खण्ड-135, अंक-2
मंगलवार, 7 वैशाख, शक संवत् 1876
(27 अप्रैल, 1954 ई0)

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 135 में 5 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:

निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, उत्तर प्रदेश (भारत)

१९५४

मूल्य : बिना महसूल 25 पैसे, महसूल सहित 31 पैसे।

वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

मंगलवार, २७ अप्रैल, १९५४

विधान सभा की बैठक सभा-मण्डप, लखनऊ में ११ बजे दिन में अध्यक्ष, श्री आत्माराम गोविन्द खेर, की अध्यक्षता में आरम्भ हुई ।

उपस्थित सदस्यों की सूची (३३६)

अक्षयवर सिंह, श्री
अतहर हुसैन ख्वाजा, श्री
अनन्तस्वरूप सिंह, श्री
अब्दुल मुईज़ खां, श्री
अमरेशचन्द्र पांडेय, श्री
अमृतनाथ मिश्र, श्री
अली जहीर, श्री सैयद
अवधशरण वर्मा, श्री
अवधेशचन्द्र सिंह, श्री
अशरफ अली खां, श्री
आशालता व्यास, श्रीमती
इरतजा हुसैन, श्री
इस्तफ़ा हुसैन, श्री
उदयभान सिंह, श्री
उमाशंकर तिवारी, श्री
उमाशंकर मिश्र, श्री
उल्फ़त सिंह चौहान निर्भय, श्री
ऐजाज़ रसूल, श्री
ओंकारसिंह, श्री
कन्हैयालाल, श्री
कन्हैयालाल वाल्मीकि, श्री
कमलापति त्रिपाठी, श्री
कमलासिंह, श्री
कमाल अहमद रिज़वी, श्री
करनसिंह, श्री
कल्याणचन्द मोहिले
उपनाम छन्नन गुरू, श्री
कल्याणराय, श्री
कामताप्रसाद विद्यार्थी, श्री
कालीचरण टंडन, श्री
किन्दरलाल, श्री
किशनस्वरूप भटनागर, श्री
कृपाशंकर, श्री
कृष्णचन्द्र गुप्त, श्री
कृष्णशरण आर्य, श्री
केवल सिंह, श्री
केशभान राय, श्री
केशव गुप्त, श्री
केशव पांडेय, श्री
केशवराम, श्री
कैलाशप्रकाश, श्री
खयालीराम, श्री
खुशीराम, श्री
गंगाधर, श्री
गंगाधर जाटव, श्री
गंगाधर शर्मा, श्री
गंगाप्रसाद, श्री
गजेन्द्रसिंह, श्री
गणेशचन्द्र काछी, श्री
गणेशप्रसाद जायसवाल, श्री
गणेशप्रसाद पांडेय, श्री
गिरजारमण शुक्ल, श्री
गिरधारीलाल, श्री
गुप्तार सिंह, श्री
गुरुप्रसाद पांडेय, श्री
गुरुप्रसाद सिंह, श्री
गुलजार , श्री
गोवर्धन तिवारी, श्री
गौरीराम, श्री
घनश्यामदास, श्री

चतुर्भुज शर्मा, श्री
चन्द्रभानुशरण सिंह, श्री
चन्द्रवती, श्रीमती
चन्द्रसिंह रावत, श्री
चन्द्रहास, श्री
चिरंजीलाल जाटव, श्री
चिरंजीलाल पालीवाल, श्री
चुन्नीलाल सगर, श्री
छेदालाल, श्री
छेदालाल चौधरी, श्री
जगतनारायण, श्री
जगदीशप्रसाद, श्री
जगन्नाथ प्रसाद, श्री
जगन्नाथबख्श दास, श्री
जगन्नाथ मल्ल, श्री
जगन्नाथ सिंह, श्री
जगपति सिंह, श्री
जटाशंकर शुक्ल, श्री
जयपाल सिंह, श्री
जयराम वर्मा, श्री
जयेन्द्र सिंह विष्ट, श्री
जवाहरलाल, श्री
जवाहरलाल रोहतगी, डाक्टर
जुगलकिशोर, श्री
जोरावर वर्मा, श्री
ज्वालाप्रसाद सिन्हा, श्री
झारखंडे राय, श्री
टीकाराम, श्री
डल्लाराम, श्री
डालचन्द, श्री
तिरमलसिंह, श्री
तुलसीराम, श्री
तुलाराम, श्री
तुलाराम रावत, श्री
तेजप्रताप सिंह, श्री
तेजबहादुर, श्री
तेजासिंह, श्री
त्रिलोकीनाथ कौल, श्री
दयालदास भगत, श्री
दर्शनराम, श्री
दलबहादुरसिंह, श्री
दाऊदयाल खन्ना, श्री
दाताराम, श्री
दीनदयालु शर्मा, श्री
दीनदयालु शास्त्री, श्री
दीपनारायण वर्मा, श्री
देवकीनन्दन विभव, श्री
देवदत्त मिश्र, श्री
देवदत्त शर्मा, श्री
देवमूर्ति राम, श्री
देवराम, श्री
देवेन्द्र प्रताप नारायण सिंह, श्री
द्वारका प्रसाद मित्तल, श्री
द्वारका प्रसाद मौर्य्य, श्री
द्वारिका प्रसाद पांडेय, श्री
धनुषधारी पांडेय, श्री
धर्म सिंह, श्री
नत्थूसिंह, श्री
नन्दकुमार देव वाशिष्ठ, श्री
नरदेव शास्त्री, श्री
नरेन्द्रसिंह विष्ट, श्री
नरोत्तमसिंह, श्री
नवलकिशोर, श्री
नागेश्वर द्विवेदी, श्री
नाजिम अली, श्री
नारायणदास, श्री
नारायणदीन वाल्मीकि, श्री
निरंजनसिंह, श्री
नेकराम शर्मा, श्री
नेत्रपालसिंह, श्री
नौरंगलाल, श्री
पद्मनाथ सिंह, श्री
परमानन्द सिन्हा, श्री
परमेश्वरीराम, श्री
परिपूर्णानन्द वर्मा, श्री
पातीराम, श्री
पुत्तूलाल, श्री
पुट्टनराम, श्री
पुलिनविहारी बनर्जी, श्री
प्रकाशवती सूद, श्रीमती
प्रतिपालसिंह, श्री
प्रभाकर शुक्ल, श्री
प्रभूदयाल, श्री
फजलुलहक़, श्री
फतेहसिंह राणा, श्री
बद्रीनारायण मिश्र, श्री
बनारसीदास, श्री
बलदेवसिंह, श्री
बलभद्रप्रसाद शुक्ल, श्री
बशीर अहमद हकीम, श्री

बसन्तलाल, श्री
बाबूनन्दन, श्री
बाबूराम गुप्त, श्री
बाबूलाल कुसुमेश, श्री
बाबूलाल मीतल, श्री
बालेन्दुशाह, महाराजकुमार
बेचनराम, श्री
बेचनराम गुप्त, श्री
बैजनाथ प्रसाद सिंह, श्री
ब्रह्मदत्त दीक्षित, श्री
भगवतीप्रसाद दुबे, श्री
भगवतीप्रसाद शुक्ल, श्री (प्रतापगढ़)
भगवतीप्रसाद शुक्ल, श्री (बाराबंकी)
भगवानदीन वाल्मीकि, श्री
भगवानसहाय, श्री
भीमसेन, श्री
भुवर जी, श्री
भूपालसिंह खाती, श्री
भृगुनाथ चतुर्वेदी, श्री
भोलासिंह यादव, श्री
मकसूद आलम खाँ, श्री
मथुराप्रसाद त्रिपाठी, श्री
मथुराप्रसाद पांडेय, श्री
मदनगोपाल वैद्य, श्री
मदनमोहन उपाध्याय, श्री
मलखानसिंह, श्री
महमूद अली खां, श्री (सहारनपुर)
महाराजसिंह, श्री
महावीर प्रसाद श्रीवास्तव, श्री
महावीरसिंह, श्री
महीलाल, श्री
मिजाजीलाल, श्री
मिहरबान सिंह, श्री
मुजफ्फर हसन, श्री
मुन्नूलाल, श्री
मुरलीधर कुरील, श्री
मुश्ताक अली खां, श्री
मुहम्मद अब्दुल लतीफ, श्री
मुहम्मद अब्दुस्समद, श्री
मुहम्मद इब्राहीम, श्री हाफिज
मुहम्मद तक़ी हादी, श्री
मुहम्मद नबी, श्री
मुहम्मद नसीर, श्री
मुहम्मद शाहिद फाखरी, श्री
मोहनलाल, श्री
मोहनलाल गौतम, श्री
मोहनसिंह, श्री
मोहनसिंह शाक्य, श्री
यमुनासिंह, श्री
यशोदादेवी, श्रीमती
रघुनाथप्रसाद, श्री
रघुराज सिंह, श्री
रणञ्जय सिंह, श्री
रतनलाल जैन, श्री
रमेश वर्मा, श्री
राघवेन्द्रप्रताप सिंह, राजा
राजकिशोर राव, श्री
राजकुमार शर्मा, श्री
राजनारायण, श्री
राजवंशी, श्री
राजाराम, श्री
राजाराम मिश्र, श्री
राजाराम शर्मा, श्री
राजेन्द्रदत्त, श्री
राधाकृष्ण अग्रवाल, श्री
रामअधार तिवारी, श्री
रामअधीन सिंह यादव, श्री
रामअनन्त पाण्डेय, श्री
रामअवध सिंह, श्री
रामकुमार शास्त्री, श्री
रामकृष्ण जैसवार, श्री
रामगुलाम सिंह, श्री
रामचन्द्र विकल, श्री
रामजीलाल सहायक, श्री
रामजी सहाय, श्री
रामदास आर्य, श्री
रामदास रविदास, श्री
रामदुलारे मिश्र, श्री
रामनरेश शुक्ल, श्री
रामनारायण त्रिपाठी, श्री
रामप्रसाद, श्री
रामप्रसाद देशमुख, श्री
रामप्रसाद नौटियाल, श्री
रामप्रसाद सिंह, श्री
रामभजन, श्री
राममूर्ति, श्री
रामरतन प्रसाद, श्री
रामराज शुक्ल, श्री
रामलखन, श्री
रामलाल, श्री

रामवचन यादव, श्री
रामशंकर द्विवेदी, श्री
रामशंकर रविवासी, श्री
रामसनेही भारतीय, श्री
रामसहाय शर्मा, श्री
रामसुन्दर पांडेय, श्री
रामसुन्दर राम, श्री
रामसुभग वर्मा, श्री
रामसुमेर, श्री
रामस्वरूप, श्री
रामस्वरूप गुप्त, श्री
रामस्वरूप भारतीय, श्री
रामस्वरूप मिश्र विशारद, श्री
रामहरख यादव, श्री
रामहेत सिंह, श्री
रामेश्वर प्रसाद, श्री
रामेश्वर लाल, श्री
लक्ष्मणदत्त भट्ट, श्री
लक्ष्मणराव कदम, श्री
लक्ष्मी देवी, श्रीमती
लक्ष्मीशंकर यादव, श्री
लालबहादुर सिंह, श्री
लालबहादुर सिंह कश्यप, श्री
लीलाधर अष्ठाना, श्री
लेखराजसिंह, श्री
वंशनारायणसिंह, श्री
वंशीदास धनगर, श्री
वंशीधर मिश्र, श्री
वसी नक़वी, श्री
वासुदेव प्रसाद मिश्र, श्री
विजयशंकर प्रसाद, श्री
विद्यावती राठौर, श्रीमती
विश्राम राय, श्री
विष्णुदयाल वर्मा, श्री
वीरसेन, श्री
वीरेन्द्र नाथ मिश्र, श्री
वीरेन्द्रपति यादव, श्री
वीरेन्द्र वर्मा, श्री
वीरेन्द्रशाह, राजा
व्रजभूषण मिश्र, श्री
व्रजरानी मिश्र, श्रीमती
व्रजवासीलाल, श्री
व्रजविहारी मिश्र, श्री
शंकरलाल, श्री
शम्भूनाथ चतुर्वेदी, श्री
शांतिप्रपन्न शर्मा, श्री
शिवकुमार मिश्र, श्री
शिवकुमार शर्मा, श्री
शिवनारायण, श्री
शिवपूजन राय, श्री
शिवप्रसाद, श्री
शिवराजबली सिंह, श्री
शिवराजसिंह यादव, श्री
शिवराम पांडेय, श्री
शिवराम राय, श्री
शिववक्षसिंह राठौर, श्री
शिववचनराव, श्री
शिवस्वरूपसिंह, श्री
शुकदेव प्रसाद, श्री
शुगनचन्द, श्री
श्याममनोहर मिश्र, श्री
श्यामलाल, श्री
श्रीचन्द, श्री
श्रीनाथराम, श्री
श्रीनिवास, श्री
श्रीनिवास पंडित, श्री
श्रीपति सहाय, श्री
सईद जहां मखफ़ी शेरवानी, श्रीमती
संग्रामसिंह, श्री
सच्चिदानन्दनाथ त्रिपाठी, श्री
सज्जनदेवी महनोत, श्रीमती
सत्यनारायणदत्त, श्री
सम्पूर्णानन्द, डाक्टर
सावित्रीदेवी, श्रीमती
सियाराम गंगवार, श्री
सीताराम शुक्ल, श्री
सुखीराम भारतीय, श्री
सुन्दरलाल, श्री
सुरूजू राम, श्री
सुरेन्द्रदत्त वाजपेयी, श्री
सुरेशप्रकाश सिंह, श्री
सूर्यबली पांडेय, श्री
सेवाराम, श्री
हनुमानप्रसाद मिश्र, श्री
हबीबुर्रहमान अंसारी, श्री
हबीबुर्रहमान आज़मी, श्री
हबीबुर्रहमान खां हकीम, श्री
हमीद खां, श्री
हरगोविन्द पन्त, श्री
हरगोविन्द सिंह, श्री

हरदयाल सिंह पिपल, श्री
हरदेव सिंह, श्री
हरिप्रसाद, श्री
हरिश्चन्द्र अष्ठाना, श्री
हरिश्चन्द्र वाजपेयी, श्री
हुकुम सिंह, श्री
हेमवतीनन्दन बहुगुणा, श्री

प्रश्नोत्तर

तारांकित प्रश्न

मुजफ्फरनगर-बुढ़ाना सड़क के अन्तिम मील का पक्का न किया जाना

*१—**श्री श्रीचन्द** (जिला मुजफ्फरनगर)—क्या यह सच है कि मुजफ्फरनगर-बुढ़ाना सड़क का अन्तिम मील अभी पक्का नहीं किया जा रहा है? यदि ऐसा है, तो क्यों?

निर्माण उपमंत्री (श्री चतुर्भुज शर्मा—जी हां। जब तक इस भाग में हिन्डन नदी पर पुल का स्थान नियुक्त न हो जाय तब तक इस कच्चे मार्ग का निर्माण उचित न होगा।

बुढ़ाना के निकट हिंडन नदी पर पुल निर्माण के लिये स्थान की नियुक्ति

*२—**श्री श्रीचन्द**—क्या निर्माण मंत्री कृपया बतायेंगे कि बुढ़ाना के निकट हिंडन नदी पर पुल बनाने का निश्चय किस स्थान पर किया जा चुका है?

श्री चतुर्भुज शर्मा—अभी कोई स्थान नियुक्त नहीं किया गया है।

श्री श्रीचन्द—क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि इस पुल के बनने के लिए क्या कोई स्थान नियुक्त हो चुका है?

श्री चतुर्भुज शर्मा—इसका जवाब दिया जा चुका है कि अभी नहीं किया गया है।

श्री वीरेन्द्र वर्मा (जिला मुजफ्फरनगर)—क्या मंत्री जी बताने का कष्ट करेंगे कि क्या इस पुल का एस्टीमेट बन चुका है और यदि बन चुका है, तो क्या वह इसी आर्थिक वर्ष में बनेगा?

श्री चतुर्भुज शर्मा—इसका एस्टीमेट ८ लाख ७० हजार रुपये का है और यह इस साल नहीं हो सकेगा। इस पंचवर्षीय योजना के खत्म होने पर इस पर विचार किया जायगा।

अदालत में हाजिरी के लिए गवाहों के सम्मन के फार्म

*३—**श्री धर्मसिंह** (जिला बुलन्दशहर)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि सन् १९५२ तथा १९५३ में फौजदारी के गवाहों के फार्म उर्दू भाषा में छपे हैं?

न्याय मंत्री (श्री सैयद अली जहीर)—गवाह के सम्मन के फार्म बगरज हाजिरी अदालत मजिस्ट्रेट व सेशन्स दो परत में छापे जाते हैं जिसका एक परत हिन्दी और दूसरा परत उर्दू में होता है।

*४—श्री धर्मसिंह—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि उपर्युक्त फार्म हिन्दी में न छपने के क्या कारण हैं ?

श्री सैयद अली जहीर—यह प्रश्न नहीं उठता।

*५—श्री धर्मसिंह—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि ये फार्म तादाद में कितने छपे हैं ?

श्री सैयद अली जहीर—यह फार्म १९५१ व १९५३ में क्रमशः ५,००,००० व १,५०,००० छापे गये।

श्री धर्मसिंह—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जब कि इस प्रदेश की भाषा हिन्दी है तो यह फार्म उर्दू में कैसे छपवाये गये ?

श्री सैयद अली जहीर—मैंने नहीं कहा कि वह उर्दू ही में छपे हैं वह उर्दू और हिन्दी दोनों ही में छपे हैं। उसकी दो फर्द होती हैं एक गवाह के पास रहती है और दूसरी सरकार के पास रहती है उसको अख्तयार है चाहे जिसमें भरे।

श्री वीरेन्द्र वर्मा—क्या मंत्री जी बताने का कष्ट करेंगे कि भविष्य में सरकार की फार्मों के छपवाने के सिलसिले में क्या नीति है ?

श्री सैयद अली जहीर—यह फार्म हाई कोर्ट के हुक्म से छपते हैं और जिस तरह से सिविल प्रोसीजर कोड और क्रिमिनल प्रोसीजर कोड में वह फार्म हैं उसी हिसाब से छपने का हुक्म है लेकिन जैसे-जैसे हिन्दी का रिवाज होता जाता है उसके मुताबिक यकीन है कि हाई कोर्ट भी हुक्म जारी करेगा कि वह आइन्दा हिन्दी में छापे जायं।

श्री वीरेन्द्र वर्मा—क्या मंत्री जी इस सम्बन्ध में हाई कोर्ट को मुत्र करने का विचार रखते हैं कि वह भविष्य में फार्म हिन्दी में छपवाये ?

श्री सैयद अली जहीर—हाई कोर्ट सरकार की पालिसी को जानता है और वह उस पर जरूर अमल करेगा।

जिला मुजफ्फरनगर में सिंचाई के निमित्त कुयें बनवाने के लिये कृषकों को सहायता

*६—श्री श्रीचन्द—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि मैशनरी वेल्स विभाग की ओर से १९५० से १९५३ तक सिंचाई के लिए कुयें बनाने के लिए जिला मुजफ्फरनगर में कृषकों को सहायता दी गई ? यदि हाँ, तो किन-किन को ?

सिंचाई उपमंत्री (श्री राममूर्ति)—जी हां। जिन कृषकों को सहायता दी गई उनकी विस्तृत सूची मेरे पास है। यदि माननीय सदस्य चाहें तो उसे दे सकते हैं। इन कृषकों की कुल संख्या ८६१ है।

श्री श्रीचन्द—क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि इन कुओं के बनाने में सरकार ने कितनी सहायता किसानों को दी ?

श्री राममूर्ति—३० सितम्बर, सन् १९५२ तक जितने कुयें बने उनके लिये ५ सौ रुपये की, उसके बाद पहली जुलाई सन् १९५२ तक जितने बने उनके लिये ढाई सौ रुपये की सब्सिडी दी गई और उसके बाद सब्सिडी बन्द कर दी।

श्री श्रीचन्द—क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि इन कुओं में से कितने अब तक सिंचाई के योग्य हो गये हैं ?

श्री राममूर्ति—मेरे खयाल से जब कुयें बने तो सभी पानी दे रहे होंगे।

*७-८--श्री रामप्रसाद (जिला रायबरेली)-- [११ मई, १९५४ के लिये स्थगित किये गये।]

*९--श्री मथुराप्रसाद पांडेय (जिला बस्ती)--[२९ मई, १९५४ के लिये प्रश्न संख्या ७७ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किया गया।]

*१०--श्री रामजीलाल सहायक (जिला मेरठ)--[२५ मई, १९५४ के लिये स्थगित किया गया।]

*११--श्री रामजीलाल सहायक--[११ मई, १९५४ के लिये प्रश्न संख्या ७१ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किया गया।]

अलीगढ़ जिले में पक्की सड़कों का निर्माण

*१२--श्री नन्दकुमारदेव वाशिष्ठ (जिला अलीगढ़)--क्या निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि अलीगढ़ जिले में १९५३ में कितने मील लम्बी पक्की सड़क बन कर तैयार हो चुकी है और वह किस स्थान से किस स्थान तक के लिए है?

श्री चतुर्भुज शर्मा--अलीगढ़ जिले में १९५३ तक १७ मील २ फर्लांग ६०० फुट नवीन तथा ९६ मील पुनःनिर्माण करके कुल ११३ मील २ फर्लांग ६०० फुट पक्की सड़कें बन कर तैयार हो चुकी हैं, जिनका विवरण निम्नलिखित है :--

	मील	फ०	फि०
नवीन निर्माण कार्य			
इगलास से हाथरस	९	७	६००
अतरौली से रामघाट की ओर	७	३	०
पुनःनिर्माण			
अलीगढ़-अनूपशहर की ओर	७	०	०
अलीगढ़-राया	२४	०	०
अलीगढ़-अतरौली	१५	०	०
अलीगढ़-टप्पल	३१	०	०
नानऊ से दादों तक	१९	०	०

श्री नन्दकुमारदेव वाशिष्ठ--क्या मननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि जो सड़कें दो जिलों को मिलाती हैं और वह सड़कें डिस्ट्रिक्ट बोर्ड को दे दी गई हैं? क्या सरकार उन्हें वापस लेने पर विचार कर रही है?

श्री चतुर्भुज शर्मा--जब द्वितीय पंचवर्षीय योजना बनेगी उस समय विचार किया जायगा कि कौन सी सड़कें लेने लायक हैं और वह ली जायेंगी।

श्री शिवनारायण (जिला बस्ती)--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि इन सड़कों पर कुल कितना रुपया व्यय हुआ?

श्री चतुर्भुज शर्मा--इनमें सब पर †१७ लाख ६९ हजार रुपया खर्च हुआ।

श्री रामप्रसाद देशमुख (जिला अलीगढ़)-- क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि सासनी से विजयगढ़ और चौरायां से गगीरी तक की सड़कें जिन पर मिट्टी पड़ी हुई है वे सड़कें क्यों नहीं बन रही हैं?

श्री चतुर्भुज शर्मा--सड़कें डिस्ट्रिक्ट बोर्ड को वापस हो गई होंगी।

---

† श्री अध्यक्ष की ६ जून, १९५४ की आज्ञा से संशोधित।

श्री नन्दकुमार देव वाशिष्ठ---क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि आज से तीन वर्ष पहले सासनी-विजयगढ़ रोड पर कंकड़ पड़ गई थी और सब पूरी स्कीम बन गई थी कि बन जायगी, लेकिन अब डिस्ट्रिक्ट बोर्ड को वापस कर दी गयी। तो क्या सरकार उसको फिर से बनाने पर विचार कर रही है ?

श्री अध्यक्ष---जो सूचना आप देना चाहते थे वह मंत्री जी को मिल गई। उत्तर देने की आवश्यकता नहीं है।

श्री रामचन्द्र विकल (जिला बुलन्दशहर)---क्या माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना, जिसकी प्रायः मंत्री जी चर्चा किया करते हैं, कब से चालू होगी ?

श्री चतुर्भुज शर्मा---सन् १९५५-५६ तक यह पंचवर्षीय योजना समाप्त हो जायगी, उसके बाद द्वितीय पंचवर्षीय योजना चालू होगी।

श्री रामप्रसाद देशमुख---क्या माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि जिन सड़कों को डिस्ट्रिक्ट बोर्ड को नहीं दिया गया है और उन पर मिट्टी पड़ी हुई है उनको बनाने का कब तक प्रयत्न किया जायगा ?

श्री चतुर्भुज शर्मा---जो कच्ची सड़कें पी० डब्ल्यू० डी० के पास हैं उनकी बराबर मरम्मत होती है उनकी देखरेख होती है और वह पी० डब्ल्यू० डी० की तरफ से बना करती हैं।

*१३-२४---**श्री नन्दकुमार देव वाशिष्ठ**---[११ मई, १९५४ के लिये स्थगित किये गये।]

प्रतापगढ़ जिले में नलकूप के निर्माणार्थ तकावी

*१५---**श्री रामनारायण त्रिपाठी** (जिला फैजाबाद)---क्या सरकार कृपा कर बतायेगी कि प्रतापगढ़ जिले में ट्यूबवेल बनाने के लिए पिछले पांच वर्षों में किन-किन लोगों को तकावी दी गयी और प्रत्येक व्यक्ति को कितनी ?

श्री राममूर्ति---पिछले ५ वर्षों में प्रतापगढ़ जिले में दो व्यक्तियों को और दो सहकारी समितियों को संलग्न तालिका में उल्लिखित मात्रा में नलकूप निर्माणार्थ तकावी की गई।

(देखिये नत्थी 'क' आगे पृष्ठ १४५ पर।)

फैजाबाद जिले में चालू नलकूप

*१६---**श्री रामनारायण त्रिपाठी**---क्या सिंचाई मंत्री कृपा कर बतायेंगे कि फैजाबाद की फैजाबाद तहसील में अब तक कितने नलकूप तैयार होकर चालू हो गये हैं, तथा कितने अभी चालू नहीं हुये हैं ?

श्री राममूर्ति---फैजाबाद जिले की फैजाबाद तहसील में २७ नलकूप तैयार होकर चालू कर दिये गये हैं और अब वहां कोई नलकूप चालू होने के लिये शेष नहीं है।

*१७---**श्री रामनारायण त्रिपाठी**---क्या सिंचाई मंत्री कृपा करके बतायेंगे कि जिन नलकूपों को तैयार हुये दो वर्ष हो गये उनसे उस क्षेत्र में सिंचाई करने के लिये अब तक नालियां क्यों नहीं बनायी गयीं ?

श्री राममूर्ति---ऐसा कोई नलकूप नहीं है जिसको बने दो वर्ष हो गये हों और जिससे सिंचाई करने के लिये नालियां न बनी हों ।

श्री राम नारायण त्रिपाठी---क्या माननीय मंत्रीजी का नालियों से मतलब एक नलकूप के कमांड एरिया को छोटी बड़ी नालियों से है या खास बड़ी-बड़ी नालियों से ही है ?

श्री राममूर्ति---इसका मतलब ६ फर्लांग की नाली से होता है । उसके बाद एक मेन लाइन होती है और उसके बाद लोग अपनी नालियां बनाते हैं ।

मिर्जापुर जिले में गंगा जरगो नदी के बीच ढाव के ग्रामों की सिंचाई

*१८---**श्री राजकुमार शर्मा** (जिला मिर्जापुर)---क्या सिंचाई मंत्री कृपया बतायेंगे कि वे मिर्जापुर में चुनार तहसील के हवालों परगने के गंगा जरगो नदी के बीच १२ ग्रामों की सिंचाई जो ढाव के ग्राम कहे जाते हैं जरगो नदी से पम्प द्वारा करने की व्यवस्था कर रहे हैं ?

श्री राममूर्ति---द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत जिरगो नदी पर एक बांध बनाने की योजना है जिससे इस क्षेत्र के कुछ भाग में सिंचाई की जा सकेगी ।

श्री राजकुमार शर्मा---क्या माननीय मंत्री जी को ज्ञात है कि इन १२ ढाव के ग्रामों की सिंचाई पम्प द्वारा करने की व्यवस्था की गई है और जरगो बांध से उसका कोई संबंध नहीं है ?

सूचना मंत्री (श्री कमलापति त्रिपाठी)---जिस पम्प कैनाल की बात आप कर रहे हैं उसका सरवे हो गया है और यह संभव नहीं मालूम होता कि पम्प से पानी उठा कर दिया जाय । जरगो बांध एक दूसरी योजना है, जिसके द्वारा उसकी सिंचाई हो सकेगी ।

श्री व्रजभूषण मिश्र (जिला मिर्जापुर)---क्या माननीय मंत्री जी यह बतलाने की कृपा करेंगे कि जरगो बांध की योजना कितने रुपये की है ?

श्री राममूर्ति---१ करोड़ ६० लाख रुपये की ।

मिर्जापुर जिले में नलकूपों की व्यवस्था

*१९---**श्री राजकुमार शर्मा**---क्या सिंचाई मंत्री कृपया बतायेंगे कि वे जिला मिर्जापुर में जहां नहर नहीं है वहां रबी की सिंचाई के लिये ट्यूबवेल की व्यवस्था कर रहे हैं ?

श्री राममूर्ति---मिर्जापुर जिले में भूमि के नीचे के स्तर (underground Strata) की जानकारी न होने के कारण, वहां नलकूप बनाने की अभी कोई योजना नहीं है, परन्तु केन्द्रीय सरकार की प्रयोगात्मक नलकूप योजना के अन्तर्गत इस जिले में दो नलकूप बनाने का प्रस्ताव किया गया है ।

*२०---**श्री राजकुमार शर्मा**---यदि हां, तो क्या यह ट्यूबवेल मुइली परगने में जहां नहर नहीं है और कुयें में पानी अत्यन्त ही करीब है वहां बनाया जायेगा ?

श्री राममूर्ति---यह प्रश्न नहीं उठता । केन्द्रीय सरकार की प्रयोगात्मक नलकूप योजना के अन्तर्गत बनाने वाले कुओं की स्थिति उस सरकार द्वारा नियुक्त की गई एक समिति निश्चित करेगी ।

श्री राजकुमार शर्मा---क्या सिंचाई मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि मिर्जापुर जिले में नलकूप निर्माण के संबंध में भूमि के स्तर की जांच किस साहब ने कब और कहां की और उसका फल क्या प्राप्त हुआ ?

श्री राममूर्ति---मैंने तो अध्यक्ष महोदय यह अर्ज कर दिया कि सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से एक कमेटी बिठलाई जायगी और वह उसकी जांच करेगी। हमारे यहां से कोई सरवे नहीं हुआ है।

श्री ब्रजभूषण मिश्र---क्या माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि मिर्जापुर जिले की वह भूमि जो बनारस जिले से मिली हुई है वहां पर नलकूप नहीं बन सकते ?

श्री राममूर्ति---बन सकते हैं, मैं इससे इंकार नहीं करता, लेकिन अभी हमारे यहां उसकी कोई योजना नहीं है।

श्री रामकृष्ण जैसवार (जिला मिर्जापुर)---क्या यह सही नहीं है कि मिर्जापुर से सटी हुई जमीन जो बनारस की है उसमें विशेषरूप से नलकूप बनाये गये हैं ?

श्री अध्यक्ष---यह बनारस का प्रश्न नहीं है।

श्री ब्रजभूषण मिश्र---क्या माननीय मंत्री जी मिर्जापुर जिले की भूमि का सरवे करायेंगे जिससे नलकूप बनाने के संबंध में जानकारी हासिल हो सके ?

श्री राममूर्ति---मैंने पहले सवाल के जवाब में अर्ज किया कि अभी हमारे यहां कोई सरवे नहीं हुआ है। पहले हम वहां दो एक्सप्लोरेट्री ट्यूबवेल बनायेंगे। इस संबंध में जो जांच पड़ताल होगी और उससे जो रिजल्ट प्राप्त होगा उसके बाद हम बतला सकेंगे कि वहां ट्यूबवेल बन सकते हैं या नहीं।

मऊ पावर हाउस के मजदूरों की मजदूरी की दर

*२१---**श्री श्रीनाथ राम** (जिला आजमगढ़)---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि मऊ पावर हाउस के मजदूरों को निश्चित मजदूरी की दर क्या है ?

वित्त मंत्री (श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम)---मऊ पावर हाउस में लगे हुये भिन्न-भिन्न प्रकार के मजदूरों की दरें नीचे दी हुई हैं---

(अ)	अकुशल मजदूर Un-skilled labour	१ रु० ४ आ० प्रति दिन।
(ब)	अर्ध कुशल मजदूर Semi-Skilled labour	१ रु० ६ आ० प्रति दिन।
(स)	कुशल मजदूर Skilled labour	१ रु० ८ आ० प्रति दिन।

श्री श्रीनाथ राम---क्या माननीय मंत्री जी को ज्ञात है कि मऊ पावर हाउस के सभी प्रकार के मजदूरों को एक ही मजदूरी, जो सब से कम है, दी जाती है ?

श्री हाफ़िज मुहम्मद इब्राहीम---मैंने तो इसके खिलाफ जवाब दिया कि मुख्तलिफ मजदूरी दी जाती है, हर किस्म के मजदूर को।

श्री जगन्नाथ मल्ल (जिला देवरिया)---क्या माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि लेबर इंक्वायरी कमेटी की सिफारिश के मुताबिक सरकार ने जो और पावर हाउस के मजदूरों का रेट मुकर्रर किया है वह रेट यहां क्यों नहीं दिया जाता है ?

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम---उस एरिया में जितनी यह मजदूरी है उससे बहुत कम मजदूरी रही है बमुकाबिले उन एरियाज के जहां मजदूरी मुकर्रर हुई है।

श्री श्रीनाथ राम---क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि इस मऊ पावर हाउस के मजदूरों की मजदूरी का भुगतान कितने दिनों पर होता है ?

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम––मेरे पास आज तक कोई शिकायत इस बात की नहीं आयी है कि वहां भुगतान वक्त पर नहीं होता है। अगर कोई शिकायत है और मेरे इल्म में लायी जायगी तो मैं उसकी तहकीकात कराऊंगा।

श्री रामसुन्दर पांडेय (जिला आजमगढ़)––क्या माननीय वित्त मंत्री माननीय श्रीनाथ, एम० एल० ए० की शिकायतों पर ही उसकी जांच कराने की कृपा करेंगे ?

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम––उन्होंने अभी कोई शिकायत ऐसी नहीं की है, एक आम बात कही गई है। जब तक कोई स्पेसिफिक बात सामने न आये मैं कैसे उसकी तहकीकात कराऊं।

श्री झारखंडे राय (जिला आजमगढ़)––क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि मऊ पावर हाउस में हर प्रकार के कुल कितने मजदूर हैं ?

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम––इसकी तादाद इस वक्त मेरे पास नहीं है।

श्री जोरावर वर्मा (जिला हमीरपुर)––क्या माननीय मंत्री जी के पास इस प्रकार की शिकायतें आयी हैं कि जो उनको निर्धारित मजदूरी है वह उनको नहीं दी जाती है।

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम––नहीं, आज तक मेरे पास ऐसी कोई शिकायत नहीं आयी है।

सरकार द्वारा आजमगढ़ जिले में निर्धारित संख्या में कुओं का निर्माण

*२२––**श्री रामसुन्दर पांडेय**––क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि आजमगढ़ जिला प्लानिंग कमेटी के पास इस आशय का कोई आदेश सरकार द्वारा भेजा गया है कि आजमगढ़ जिले में इस वर्ष केवल ३०० ही पक्के कुयें सरकारी सहायता से बनाये जायेंगे ?

श्री राममूर्ति––कूप निर्माण योजना के अन्तर्गत सन् १९५३–५४ वर्ष में आजमगढ़ जिले का ३०० Subsidized कुयें निर्धारित किये गये थे और इस आदेश की एक प्रतिलिपि जिलाधीश को भेजी गई थी।

*२३––**श्री रामसुन्दर पांडेय**––क्या सिंचाई मंत्री कृपा कर बतायेंगे कि उन्हों २० सितम्बर, सन् १९५३ को आजमगढ़ जिला प्लानिंग कमेटी की बैठक में कम से कम १,००० कुयें सरकारी सहायता से बनवाने का आश्वासन दिया था ?

श्री राममूर्ति––सितम्बर सन् ५३ में मुख्य मंत्री जी ने आजमगढ़ जिले की असंतोषजनक स्थिति के कारण १००० Subsidized कुयें बनवाने का आश्वासन दिया था। इसलिये आजमगढ़ की संख्या बढ़ाकर वहां १००० कुयें देने की व्यवस्था इस वर्ष की जायगी।

श्री रामसुन्दर पाण्डेय––क्या माननीय सिंचाई मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि इन ३०० कुओं के बनाने का आदेश क्या ३० सितम्बर के बाद भेजा गया था ?

श्री राममूर्ति––इस वक्त मेरे लिये इसके बारे में कहना जरा मुश्किल है क्योंकि मेरे पास जवाब आया है उसमें इसका जिक्र नहीं है।

श्री रामसुन्दर पांडेय––क्या माननीय सिंचाई मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि एक हजार कुयें बनाने की स्वीकृति जिलाधीश, आजमगढ़ को कब भेजी जायगी ?

श्री राममूर्ति––वह स्वीकृति भेजी जा चुकी है।

गंडक नहर योजना को कार्यान्वित करने का विचार

*२४—**श्री शुकदेव प्रसाद** (जिला गोरखपुर)—क्या सरकार बड़ी गंडक नहर योजना वर्तमान पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत कार्यान्वित करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब से वह कार्य प्रारम्भ होगा ?

श्री राममूर्ति—भारत सरकार से आर्थिक सहायता प्राप्त करने का प्रयत्न किया जा रहा है ताकि प्रथम पंचवर्षीय योजना के शेष दो वर्षों में इस के एक भाग पर निर्माण कार्य आरम्भ कर दिया जा सके।

श्री शुकदेव प्रसाद—क्या मंत्री जी यह बतलाने की कृपा करेंगे कि गंडक नहर योजना के लिये सेंट्रल सरकार से कब लिखा पढ़ी की गई है ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—करीब एक वर्ष से यह लिखा पढ़ी चल रही है।

श्री शुकदेव प्रसाद—क्या माननीय मंत्री जी यह बतलाने की कृपा करेंगे कि कितने रुपये की सहायता की याचना की गई है ?

श्री राममूर्ति—१ करोड़ ९१ लाख ५५ हजार रुपये की।

श्री शुकदेव प्रसाद—क्या मंत्री जी यह बतलाने की कृपा करेंगे कि यह नहर हमारे प्रांत के किन किन भागों से होकर जायगी ?

श्री राममूर्ति—गोरखपुर में महाराजगंज तहसील में और देवरिया में हाटा तहसील में।

श्री रामचन्द्र विकल—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि केन्द्रीय सरकार से सहायता पाने के लिये सरकार ने केवल गंडक नहर योजना के संबंध में मांग की है, या प्रदेश की अन्य पंचवर्षीय योजना के लिये भी मांग की है ?

श्री राममूर्ति—सरकार समय समय पर योजनाओं के बारे में सेंट्रल गवर्नमेंट को लिखती रहती है।

*२५-२६—**श्री जगन्नाथ प्रसाद** (जिला खीरी)—[११ मई, १९५४ के लिये स्थगित किये गये।]

*२७—**श्री बाबूनन्दन** (जिला जौनपुर)—[११ मई, १९५४ के लिये स्थगित किया गया।]

सूचना विभाग की ओर से चमड़े के हैंड बैग्स का वितरण

*२८—**श्री जोरावर वर्मा**—क्या सूचना मंत्री यह बतायेंगे कि इस वर्ष सूचना विभाग की ओर से कितने चमड़े के हैंड बैग्स (Hand bags) बनवाये गये हैं और प्रति बैग की क्या लागत है ?

श्री राममूर्ति—सूचना विभाग की ओर से गत वर्ष (नवम्बर १९५३) ३०० चमड़े के हैन्ड बैग्स बनवाये गये थे जिन पर २७ रु० १० आ० ९ पा० प्रति बैग लागत पड़ी।

*२९—**जोरावर वर्मा**—क्या सूचना मंत्री यह बतायेंगे कि ये बैग्स कहां-कहां और किन किन को भेंट किये गये हैं ?

श्री राममूर्ति—यह बैग मुख्यतः देवनागरी लिपि सुधार सम्मेलन के सदस्य तथा अन्य निमंत्रित व्यक्तियों को बांटे गये, कुछ और भी बांटे गये जिनकी सूची माननीय सदस्य की मेज पर रख दी गयी है।

(देखिये नत्थी 'ख' आगे पृष्ठ १४६ पर।)

*३०--श्री जोरावर वर्मा--क्या सरकार इनकी उपयोगिता को देखते हुये इन्हें खुले बाजार में बिकवाने का विचार रखती है ? यदि नहीं तो क्यों ?

श्री राममूर्ति--नहीं। यह तो केवल एक विशेष अवसर अर्थात् देवनागरी लिपि सुधार सम्मेलन जिसमें भिन्न-भिन्न प्रदेशों से मंत्री तथा अन्य साहित्यकार एकत्रित हुये थे उनको भेंट स्वरूप पुस्तिकाओं के साथ देने के लिये बनवाये गये थे।

श्री जोरावर वर्मा--क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि ३०० चमड़े के बैग बनवाने में ८३०४ रुपये ११ आने खर्च हुये उसकी हाउस से मंजूरी ले ली थी ?

श्री अध्यक्ष--यह प्रश्न नहीं उठ सकता है। हाउस स्वयं जान सकता है।

श्री जोरावर वर्मा--क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि यह जो चमड़े के बैग बनवाये गये हैं उनका बजट में प्रावीजन था ?

श्री राममूर्ति--जी हां, बजट में प्रावीजन रहता है। सूचना विभाग के पास जो ऐसे कार्यों के लिये बजट है उसमें मंत्री को अधिकार होता है कि वह अपनी बुद्धि और विवेक के अनुसार ऐसे कार्यों में खर्च करे।

श्री जोरावर वर्मा--क्या माननीय मंत्री जी बृटिश पार्लियामेंट की तरह इस आदरणीय सदन के प्रत्येक सदस्य को इस तरह के बैग भेंट करने की कृपा करेंगे ?

श्री राममूर्ति--अब इस साल तो बैग खत्म हो चुके हैं थोड़े ही बाकी रह गये हैं। अगर माननीय सदस्यों का ऐसा हुक्म है तो जरूर बांटे जायेंगे।

श्री रामदास आर्य (जिला मुजफ्फरनगर)--क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि कि यह बैग कहां तैयार कराये गये ?

श्री राममूर्ति--हमारे काटेज इंडस्ट्रीज विभाग में।

श्री रामचन्द्र विकल--क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि इन दस्तकारों को जिन्होंने यह बैग बनाये जो लोगों को भेंट किये गये थे तो क्या उनको सरकार कोई पुरस्कार देने का विचार रखती है ?

श्री राममूर्ति--माननीय सदस्य ने सवाल उठाया है, इस पर गौर करेंगे और यदि लोग खुश हैं तो जरूर उनको पुरस्कार दे देंगे।

श्री अमरेशचन्द्र पांडेय--क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि इन बैगों को बनवाने के लिये क्या कोई टेंडर्स मांगे गये थे ?

श्री अध्यक्ष--यह तो उन्होंने बतला दिया है कि काटेज इंडस्ट्रीज डिपार्टमेंट से बनवाये गये हैं।

श्री झारखंडे राय--क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जो अन्य व्यक्तियों को बैग दिये गये, जिसकी सूची माननीय सदस्य की मेज पर रखी गई है, क्या उसे हमें बताने की कृपा करेंगे ?

श्री राममूर्ति--देवनागरी लिपि सुधार सम्मेलन जिसमें भिन्न-भिन्न प्रदेशों के मंत्री तथा अन्य साहित्यकार एकत्रित हुये थे ....

श्री अध्यक्ष--आप प्रश्न के प्रथम भाग को छोड़ दें।

श्री राममूर्ति--देवनागरी लिपि सुधार के सदस्य अन्य निमंत्रित व्यक्ति संबंधित कार्यकर्त्ता तथा सचिव, उपसचिव और सचिवालय के कतिपय अधिकारीगण १७७

२--विधान सभा के विरोधी दल के नेता	१
३--विधान सभा के संयुक्त दल के नेता	१
४--समाचारपत्रों के सम्पादक तथा संवाददाता	२८
५--फोर्ड फाउन्डेशन टीम के सदस्य	९
६--समाजवादी पार्टी के विदेशी सदस्य	५
७--हिन्दी पुरस्कार समिति के सदस्य	५
८--सूचना स्थायी समिति के सदस्य	१४
९--जर्मन पत्रकार	२
१०--अमेरिकन पत्रकार	१
११--नैपाल राज्य के प्रमुख व्यक्तियों को	९
योग	२४९

श्री जोरावर वर्मा--क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि समाजवादी पार्टी के विदेशी सदस्यों से उनका क्या अर्थ है ?

श्री राममूर्ति--हिन्दोस्तान के अलावा जो और मुल्कों के लोग आये हुये थे, उन से संबंधित है।

श्री रतन लाल जैन (जिला बिजनौर)--क्या माननीय मंत्री जी बतलायेंगे कि अगर यह बैग बाजार में बेचे जायेंगे तो किस मूल्य में बिक जायेंगे

श्री अध्यक्ष--"अगर" के साथ है, इसलिये प्रश्न नहीं उठता।

श्री रामचन्द्र विकल--क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि जिन पत्रकारों को, जिनमें विदेशी लोग भी शामिल हैं, ये बैग भेंट किये गये, तो उन लोगों की ओर से, जिनकी सूची दी गयी, क्या प्रशंसा-पत्र भी आये हैं इस तारीख तक ?

श्री राममूर्ति--अभी तक कोई आया नहीं है, शायद आता हो।

देवरिया जिले की तहसील सलेमपुर के दक्षिण-पूर्वी क्षेत्र को बाढ़ से बचाने की योजना

*३१--श्री बद्रीनारायण मिश्र (जिला देवरिया)--क्या सरकार कृपा करके बतायेगी कि देवरिया जिला की तहसील सलेमपुर के पूर्वीय और दक्षिणी भाग में जो हरसाल बाढ़ से तबाह होता है बाढ़ रोकने और लोगों को बसाने की कोई योजना सरकार ने बनायी है ?

श्री राममूर्ति--देवरिया जिले की तहसील सलेमपुर के दक्षिणी-पूर्वी क्षेत्र को बाढ़ से बचाने की उपचारिक कार्यवाही का प्रश्न सरकार के विचाराधीन है। सरकार ने सारे बाढ ग्रस्त क्षेत्र में सरवे कराने का प्रबन्ध किया है, जिसकी रिपोर्ट आने पर ठोस कदम उठाना संभव होगा।

*३२--श्री बद्रीनारायण मिश्र--क्या सरकार कृपा करके बतायेगी कि देवरिया जिले में जिन छोटे नालों के द्वारा पानी बढकर ताल और दूसरे जगह की फसल को नष्ट करता है उन नालों पर फाटकदार पुल बनवाकर बाढ रोकने के संबन्ध में कोई योजना सरकार के विचाराधीन है ? यदि हां, तो क्या ?

श्री राममूर्ति--देवरिया जिले को तहसील सलेमपुर के ग्राम पिण्डी नाले पर एक नियामक 'रेगुलेटर,' बनाने का कार्य हाथ में ले लिया गया है।

श्री बद्रीनारायण मिश्र--माननीय मंत्री जी कृपा कर बतलायेंगे कि वह सरवे करने वाले अफसर कौन साहब हैं और कब से उन्होंने काम शुरू किया है ?

श्री कमलापति त्रिपाठी--यह सरवे की एक डिवीजन होती है जिसमें एक एग्जिक्युटिव इंजीनियर होगा। इस साल बजट में वह स्वीकृत की गयी है और उसकी स्थापना की जा रही है और संभवतः वह हो गयी है।

श्री बद्रीनारायण मिश्र--क्या माननीय मंत्री जी कृपा कर बतलायेंगे कि पिण्डी नाले की तरह से चुरिया, कौसड़, खेमोदई, परासी, चकला गढ़वा और भगलपुर के पास जमुआर नालों के कारण खेती नष्ट हो रही है उन पर भी रेगुलेटर लगाने के लिये विचार कर रहे हैं ?

श्री कमलापति त्रिपाठी--इस प्रकार के जितने सुझाव होते हैं, सब पर विचार किया जाता है ।

श्री बद्रीनारायण मिश्र--माननीय मंत्री जी कृपा कर बतलायेंगे कि देवरिया में प्लानिंग कमेटी ने इन नालों पर बांध लगाने के लिये कोई सुझाव दिया है ?

श्री राममूर्ति--मेरे पास इसकी कोई सूचना नहीं है।

*३३-३४--**श्री बलवन्त सिंह** (जिला मुजफ्फरनगर)--[११ मई, १९५४ के लिये स्थगित किये गये।]

जमानियां तहसील जिला गाजीपुर में सिंचाई की योजना

*३५--**श्री भोलासिंह यादव** (जिला गाजीपुर)--क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जमानिया तहसील, जिला गाजीपुर की सिंचाई के लिये उनकी कोई योजना है ? अगर हां, तो क्या और कब तक वह कार्यान्वित होगी ?

श्री राममूर्ति--जमानिया तहसील की कृषि योग्य भूमि में से ६०,००० एकड़ भूमि नौगढ़ बांध योजना और चन्दौली नहर योजना के क्षेत्र में आयेगी। इस योजना पर कार्य किया जा रहा है और आशा की जाती है कि मार्च, १९५६ के अन्त तक यह योजना पूर्ण हो जायेगी। इसके अतिरिक्त छोटी छोटी पंपिंग (pumping) तथा ड्रेनेज (drainage) योजनायें भी जमानिया तहसील में बनाई जा रही हैं। इनमें से एक करमनासा नदी से पानी पंप (pump) करने की है। जो कि १,००० एकड़ भूमि को प्रतिवर्ष सींचने के योग्य है। ट्यूबवेल बनाने की दृष्टि से स्ट्रेटा की जांच भी की जा रही है।

श्री भोलासिंह यादव--क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि यह जांच कब तक पूरी हो जायेगी ?

श्री राममूर्ति--जी हां, जांच हो रही है। जल्दी ही हो जायगी।

श्री भोलासिंह यादव--क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जांच करा लेने के बाद ही काम शुरू कराने की कृपा करेंगे ?

श्री राममूर्ति--रिपोर्ट आने पर ही यह कह सकते हैं कि आया वह स्कीम चालू करने के काबिल है या नहीं।

श्री भोलासिंह यादव--क्या माननीय मंत्री जी को यह मालूम है कि गहमर में कोआपरेटिव ट्यूबवेल चालू हुआ है और वह सफल भी हुआ है ?

श्री कमलापति त्रिपाठी--जी हां।

श्री कमलासिंह---क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि पम्प जो लगेंगे वह अधिक से अधिक कितनी ऊंचाई तक पानी फेंक सकते हैं ?

श्री कमलापति त्रिपाठी---बहुत ऊंचाई तक पानी वह फेंक सकते हैं। लेकिन जितना ही ऊंचा पानी उठाया जाता है उतना ही खर्च ज्यादा पड़ता है इस विचार से ऐसे ही जगह पावर लगा रहे हैं जहां कि लिफ्ट ज्यादा न हो। २० फुट, २५ फुट से अधिक न हो ताकि किसान उसका रेट देने में समर्थ हो सकें।

*३६---**श्री चिरंजीलाल जाटव** (जिला एटा)---[२९ मई, १९५४ के लिये प्रश्न संख्या ७५ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किया गया।]

*३७---**श्री चिरंजीलाल जाटव**---[५ मई, १९५४ के लिये प्रश्न संख्या ५२ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किया गया।]

एटा से जलेसर रोड स्टेशन जाने वाली सड़क का निर्माण

*३८---**श्री चिरंजीलाल जाटव**---क्या निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि, जो सड़क एटा से जलेसर रोड स्टेशन को जाती है उसको बनवाने का वे विचार कर रहे हैं या नहीं ?

श्री चतुर्भुज शर्मा---एटा से जलेसर रोड स्टेशन तक की सड़क एटा-जलेसर-सादाबाद स्थानीय सड़क का भाग है। कुल कंकड़ की सड़क का पुनः निर्माण कार्य सरकार प्रथम चरण योजना के अन्तर्गत समाप्त कर चुकी है।

श्री चिरंजीलाल जाटव---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जलेसर रोड स्टेशन से जो सड़क कंकड़ की बनी है, उसको डामर की बनवाने की कोई कोशिश करेगी ?

श्री चतुर्भुज शर्मा---अभी तो इसकी कोई योजना नहीं है। आगे चलकर जब पैसा होगा तो इस पर भी विचार किया जायगा।

पीलीभीत में मार्टिन कम्पनी द्वारा बिजली का प्रबन्ध

*३९---**श्री मुनीन्द्रपाल सिंह** (जिला पीलीभीत)---क्या सरकार को ज्ञात है कि पीलीभीत में मार्टिन कम्पनी से बिजली पाने का प्रबन्ध पूरा हो गया है ?

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम---जी हां।

*४०---**श्री मुनीन्द्रपाल सिंह**---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि वहां के नागरिकों को अब तक बिजली क्यों नहीं दी जा रही है ?

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम---बिजली तो दी जा रही है मगर शाम को चार घंटों में बरेली से बिजली न मिलने की वजह से अभी घरेलू कार्यों के कनेक्शन (domestic connections) नहीं दिये जा रहे हैं।

*४१-४२---**श्री यमुनासिंह** (जिला गाजीपुर)---[११ मई, १९५४ के लिये स्थगित किये गये।]

मिर्जापुर जिले में नलकूप निर्माण योजना

*४३---**श्री ब्रजभूषण मिश्र**---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि मिरजापुर जिले में उसकी ओर से नल कूप बनाने की कोई योजना है ? यदि हां, तो क्या ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राममूर्ति--मिर्जापुर जिले की भूमि के नीचे के स्तर (underground strata) के विषय में जानकारी न होने के कारण वहां नलकूप बनाने की कोई योजना अभी नहीं है परन्तु केन्द्रीय सरकार की प्रयोगात्मक नलकूप योजना के अन्तर्गत इस जिले में २ नलकूप बनाने का प्रस्ताव किया गया है ।

श्री व्रजभूषण मिश्र--क्या माननीय मंत्री जी को ज्ञात है कि मिर्जापुर जिले के गंगा पार क्षेत्र की जमीन नलकूप के उपयुक्त है ?

श्री कमलापति त्रिपाठी--वह जमीन उपयुक्त हो सकती है नलकूप के, और बावजूद इसके कि मिर्जापुर में नलकूप बनाने की कोई स्कीम नहीं है, उसके आस-पास जो नलकूप बन रहे हैं उनमें से एकाध वहां भी बनाने का विचार हो रहा है, जिससे इसकी जांच हो सके और अगर मालूम हुआ कि वहां का स्ट्राटा अच्छा है तो वहां भी नलकूप बनेगा ।

*४४-४६--**श्री बसन्तलाल शर्मा** (जिला बहराइच)--[२९ मई, १९५४ के लिये प्रश्न संख्या ६६-६८ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किये गये ।]

रायबरेली जिले में नलकूप योजना

*४७--**श्री गुप्तार सिंह** (जिला रायबरेली)--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि रायबरेली जिला में सरकारी ट्यूबवेल बनाने की योजना उसके विचाराधीन है ?

श्री राममूर्ति--जी नहीं । इस जिले में इस समय ट्यूब वेल बनाने का काम नहीं किया जा रहा है, क्योंकि इस जिले का अधिकतर भाग नहरों से सींचा जा सकता है ।

श्री गुप्तार सिंह--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि रायबरेली के वह क्षेत्र जिनमें न नहर है और न आगे नहर जाने की सम्भावना है और न कुएं ही हैं, वहां के लिये ट्यूब-वेल बनवाने पर सरकार विचार करेगी ?

श्री कमलापति त्रिपाठी--हमारे प्रदेश में कोई जिला ऐसा नहीं है जहां बहुत बड़ा क्षेत्र ऐसा न हो जहां सिंचाई के साधन न हों । इस समय तो हम उन जगहों में ट्यूबवेल बनवा रहे हैं जहां एक इंच भी सिंचाई के दूसरे साधन नहीं हैं ।

*४८-४९--**श्री बलभद्रप्रसाद शुक्ल** (जिला गोंडा)--[२५ मई, १९५४ के लिये स्थगित किये गये ।]

सलेमपुर तहसील में किसान मेला तथा विकास प्रदर्शनी पर व्यय

*५०--**श्री बद्रीनारायण मिश्र**--क्या सरकार कृपा करके बतलायेगी कि १५ अगस्त के उपलक्ष में सलेमपुर में जो मेला सरकार की तरफ से लगाया गया था उसमें कुल कितना रुपया खर्च हुआ है और वह रुपया किस अनुदान से खर्च किया गया है ?

श्री राममूर्ति--सलेमपुर कम्युनिटी प्रोजेक्ट के उद्घाटन के अवसर पर दिनांक १५ अगस्त, १९५३ को किसान मेला तथा विकास प्रदर्शनी का आयोजन किया गया । इस मेले में कुल व्यय १८८७ रु० १२ आ० ९ पा० हुआ जिसमें से ५४५ रु० ३ आ० ६ पा० पुरस्कार स्वरूप वितरित किया गया । यह व्यय कम्युनिटी प्रोजेक्ट बजट के प्रदर्शनी एवं किसान मेला नामक मद से किया गया ।

श्री बद्रीनारायण मिश्र--क्या माननीय मंत्री कृपा करके बतायेंगे कि सलेमपुर तहसील में जो पुराना मेला लग रहा है उसमें प्रदर्शनी के विकास के लिये रुपया खर्च करेंगे ?

श्री राममूर्ति--अगर प्रदर्शनी लगायी जायगी तो अवश्य खर्च करेंगे ।

श्री रामेश्वर लाल (जिला देवरिया)--सलेमपुर में लगने वाले मेले में कौन से कार्य सम्पादित हुये और किस के सभापतित्व में सम्पादित हुये, माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे ?

श्री राममूर्ति--इसके लिये सूचना की जरूरत है।

श्री रामेश्वरलाल--माननीय मंत्री जी ने १८८७ रुपया का जो खर्च बताये हैं क्या उसमें प्रांत और जिले के सरकारी अधिकारियों का भत्ता भी शामिल है ?

श्री राममूर्ति--जी नहीं। भत्ता शामिल नहीं है।

श्री रामेश्वरलाल--क्या माननीय मंत्री कृपा करके बतायेंगे कि भत्ते में आय हुई रकम कितनी है ?

श्री राममूर्ति--इसके लिये सूचना की जरूरत है।

*५१-५२--**श्री शम्भूनाथ चतुर्वेदी** (जिला आगरा)--[२१ अप्रैल, १९५४ को प्रश्न संख्या ४२-४३ के अन्तर्गत उत्तर दिये गये।]

आजमगढ़ जिले में चालू नलकूप

*५३--**श्री झारखंडे राय**--क्या सरकार कृपया बतायेगी कि आजमगढ़ जिले में तहसीलवार कितने ट्यूब वैल्स लग चुके हैं, कितने चालू कर दिये गये हैं तथा किन-किन जगहों पर लगे हैं ?

श्री राममूर्ति--आजमगढ़ जिले में ६० नलकूप मार्च, १९५४ के अन्त तक बन चुके हैं और उनमें से २७ चालू कर दिये हैं। इन नलकूपों का तहसीलवार विवरण इस प्रकार है:--

आजमगढ़ तहसील		३	बने और	१	चालू
घोसी	,,	२६	,, ,,	१५	,,
मोहम्मदाबाद	,,	२३	,, ,,	१२	,,
सगरी	,,	७	,, ,,		
मऊ	,,	१	,, ,,		

इन नलकूपों की स्थिति की तफ़सील मेज पर रक्खी हुई विवरण पत्रिका में दी हुई है।

(देखिये नत्थी 'ग' आगे पृष्ठ १४७-१४८ पर।)

श्री झारखंडे राय--क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि जो ट्यूबवेल्स लगने वाले हैं उनसे कुल कितनी जमीन की सिंचाई होने का तखमीना है ?

श्री कमलापति त्रिपाठी--कुल तो आजमगढ़ में १४५ ट्यूबवेल लगने वाले हैं और अगर एक हजार एकड़ प्रति ट्यूबवेल मान लिया जाय तो १ लाख ४५ हजार एकड़ की सिंचाई होगी।

श्री झारखंडे राय--क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि घोसी और मोहम्मदाबाद तहसीलों में ही अधिक ट्यूबवेल क्यों लगे हैं जब कि जिले की दूसरी तहसीलें इससे अधिक सूखी हैं ?

श्री कमलापति त्रिपाठी--उसका कारण तो यह है कि ऐसे कुयें जिनको मैक्स पावर हाउस से बिजली मिल जाय, जल्दी चलाये जा सकते हैं। दूसरा कारण यह है कि रबी के क्षेत्र में हमने पहले बनाये हैं।

श्री वीरेन्द्र वर्मा--क्या माननीय मंत्री जी यह बता सकेंगे कि जो शेष ट्यूबवेल यहां हैं अभी तक क्यों नहीं कम्प्लीट हुये हैं, उसका क्या कारण है ?

श्री कमलापति त्रिपाठी---शेष ट्यूबवेल दो विदेशी कम्पनियों को दिये गये हैं। ४० ट्यूबवेल जर्मन कम्पनी को दिये गये हैं और ३५ ट्यूबवेल फ्रेंच कम्पनी को दिये गये हैं। हमारे विभाग से ७० कुयें बनने वाले थे उनमें से ६० बन चुके हैं और १० कुछ ही दिनों में पूरे हो जायेंगे ।

श्री वीरेन्द्र वर्मा---क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि जर्मन, फ्रेंच और इंडियन फर्म्स को जो कांट्रैक्ट दिये हैं वह किस-किस रेट पर है ?

श्री राममूर्ति---इसके लिये नोटिस की आवश्यकता है ।

श्री झारखंडेराय---क्या माननीय मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि आर्थिक दृष्टि से पम्प कैनाल सस्ता पड़ता है या ट्यूबवेल लगवाना ?

श्री राममूर्ति---पम्प कैनाल अमूमन सस्ता पड़ता है ।

श्री रामसुन्दर पांडेय---क्या माननीय सिंचाई मंत्री विदेशी कम्पनियों को ताकीद करने की कृपा करेंगे कि आजमगढ़ के ट्यूबवेल जो इस समय बचे हुये हैं वह जल्दी से जल्दी बनाये जायं ?

श्री राममूर्ति---यह तो ऐग्रीमेंट में दिया ही रहता है कि जल्दी से जल्दी बनाये जायं

श्री रामेश्वरलाल---माननीय मंत्री जी का चालू से तात्पर्य मशीन चालू हो जाने से है या सिंचाई चालू होने से ?

श्री राममूर्ति---जब मशीन चालू होती है तो सिंचाई भी चालू होती है ।

श्री रामेश्वरलाल---क्या माननीय गृह मंत्री बतलायेंगे कि उनको यह ज्ञात है कि गूलें की कमी की वजह से सिंचाई नहीं हो पा रही है और अड़चनें आ रही हैं ?

श्री कमलापति त्रिपाठी---जहां तक गूलों को बनाने के लिये विभाग का संबंध है गूलों तो बन रही हैं लेकिन जो छोटी छोटी नालियां किसान निकालते हैं वे न निकालने की वजह से बाधा पड़ती है । माननीय सदस्य को किसानों को समझाना चाहिये कि जल्दी से जल्दी वे नालियां बना लें ताकि सिंचाई में उनको कोई अड़चन न हो सके ।

*५४---**श्री झारखंडे राय**---[२५ मई, १९५४ तक के लिये स्थगित किया गया ।]

*५५---**श्री झारखंडे राय**---[११ मई, १९५४ तक के लिये स्थगित किया गया ।]

बदायूं जिले के नलकूप विभाग में आपरेटरों का चुनाव और उनमें हरिजनों की संख्या

*५६---**श्री चुन्नीलाल सगर** (जिला बदायूं)---क्या यह सच है कि १९५३ ई० में बदायूं जिले के नल कूप विभाग में कुछ आपरेटरों का चुनाव किया गया था ?

श्री राममूर्ति---बदायूं डिवीजन, सिंचाई विभाग में ट्यूबवेल आपरेटरों का चुनाव सितम्बर, १९५३ में हुआ था न कि जुलाई, १९५३ में ।

*५७---**श्री चुन्नीलाल सगर**---यदि हां, तो कुल कितने आपरेटर चुने गये ।

श्री राममूर्ति---कुल ४७ उम्मीदवार चुने गये थे ।

*५८---**श्री चुन्नीलाल सगर**---क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि उक्त चुनाव के लिये हरिजन उम्मीदवारों के कुल कितने प्रार्थना-पत्र आये उनमें से कितने लिये गये ?

श्री रामूर्ति—उक्त चुनाव के लिये हरिजन उम्मीदवारों के कुल ६ प्रार्थना-पत्र आये थे जिनमें से ३ हरिजन उम्मीदवार चुने गये थे ।

श्री चुन्नीलाल सगर—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि शेष तीन हरिजन उम्मीदवार क्यों नहीं लिये गये, जब कि चुनाव में हरिजनों का कोटा ८ उम्मीदवार लिये जाने का था ?

श्री राममूर्ति—तीन उम्मीदवार नहीं लिये गये। एक की रोशनी बहुत कमजोर थी, दूसरे साहब पढ़े-लिखे नहीं के बराबर थे और तीसरे सिने बूलाग़ियत तक नहीं पहुंचे हैं।

हमीरपुर जिले में सिंचाई की योजना

*५९—**श्री मन्नीलाल गुरुदेव** (जिला हमीरपुर) (अनुपस्थित)—क्या सिंचाई मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि जिला हमीरपुर में किन-किन तहसीलों में कितने ट्यूबवेल बनने वाले हैं ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—इस जिले में ट्यूबवेल बनाने की कोई योजना नहीं है। वहां का क्षेत्र ट्यूबवेल बनाने योग्य नहीं है, क्योंकि पानी की सतह (spring level) नीची है और कुआं बनाने तथा पानी निकालने में बहुत रुपया व्यय होगा।

*६०—**श्री मन्नीलाल गुरुदेव** (अनुपस्थित)—क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला हमीरपुर की महोबा और चरखारी तहसीलों के दक्षिणी क्षेत्र में सिंचाई की क्या योजना सरकार ने बनाई है ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—जिला हमीरपुर के चरखारी शहर से लगभग १।। मील दूर दक्षिण-पश्चिम की ओर अर्जुन नदी पर जलाशय बनाया जा रहा है। अनुमानतः इसके निर्माण में ५३.०० लाख रुपया व्यय होगा तथा इससे २७,००० एकड़ भूमि की सिंचाई हो सकेगी। आशा है कि यह जलाशय जून, १९५४ तक बन कर तैयार हो जाये। इसके सिवा यह क्षेत्र पहाड़ियों और चट्टानों से भरा हुआ है। अतः छोटी-छोटी बंधियों की योजना को काम में लाने के उपयुक्त है।

जिला हमीरपुर में अर्जुन डैम का निर्माण

*६१—**श्री मन्नीलाल गुरुदेव** (अनुपस्थित)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जिला हमीरपुर में जो अर्जुन डैम बन रहा है वह कब तक बन कर तैयार हो जायेगा ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—मुख्य बांध का निर्माण दो भागों में विभाजित किया गया है। पहले भाग में बांध का निर्माण इस परिमाण में पूरा करना है जिससे निर्धारित ऊंचाई से १० फीट नीचे तक जल एकत्रित हो सके। यह बांध इस वर्ष जून में तैयार हो जायेगा। दूसरे भाग में बांध के अन्य सहायक कार्य पूरा करना है जैसे पिचिंग तथा स्पिलवे (spillway) की भराई इत्यादि जिससे कि बांध अधिक ऊंचाई तक बाढ़ का पानी निकाल सके। यह दूसरा भाग जून, १९५५ तक समाप्त हो जायेगा।

गाजीपुर जिले की सड़कों के निर्माण पर दूसरी पंचवर्षीय योजना के समय विचार

*६२—**श्री कमला सिंह**—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि गाजीपुर जिला में सैदपुर, भोमापार, चिरयाकोट रोड, औरिहार-जियापुर रोड तथा औरिहार-चन्दकरोड इन्टर डिस्ट्रिक्ट रोड्स है ? यदि हां, तो क्या सरकार इनको दूसरी फेज में लेने का विचार कर रही है ?

श्री चतुर्भुज शर्मा---जी नहीं। इन्टर डिस्ट्रिक्ट रोड वह कहलाती है जो दो (डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स) को मिलाएं। यह सड़कें किसी दो (डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स) को नहीं मिलातीं। इन सड़कों को पक्का कराने के प्रश्न पर दूसरी पंचवर्षीय योजना बनाते समय विचार किया जायगा।

श्री कमलासिंह---क्या माननीय मंत्री जी को मालूम है औरिहार-चन्दक रोड जौनपुर को गाजीपुर से, सैदपुर, भीमापार, चिरियाकोट रोड, चन्दौली, बनारस के हेडक्वार्टर को आजमगढ़ हेडक्वार्टर से और औरिहार-जियापुर रोड बनारस से देवगांव को मिलाती है?

श्री चतुर्भुज शर्मा---जी यह सीधी नहीं मिलती हैं। दूसरी रोड्स आती हैं उनमें ये मिल जाती हैं।

श्री कमलासिंह---क्या यह सही है कि इस साल बाढ़ ने सैदपुर, भीमापार, चिरियाकोट रोड कई जगह पुलों के पास तोड़ दिया है जिससे भीमापार के १ फर्लांग लम्बे पुल को भी आगामी वर्ष वर्षा से क्षति पहुंचने की आशंका है?

श्री चतुर्भुज शर्मा---ऐसी कोई सूचना नहीं है। माननीय सदस्य ने जो बतलाया है उसे देख लिया जायगा।

श्री कमला सिंह---क्या माननीय मंत्री जी को मालूम है कि इन सड़कों के वे हिस्से जो दूसरे जिलों में पड़ते हैं वे पक्के हैं और जो हिस्से गाजीपुर में पड़ते हैं वे कच्चे हैं?

श्री चतुर्भुज शर्मा---इसके लिये सूचना चाहिये।

जौनपुर जिले की कुछ सड़कों को पक्की करने का सुझाव

*६३---**श्री नागेश्वर द्विवेदी** (जिला जौनपुर)---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जिलाधीश जौनपुर ने जिले की कुछ सड़कों को पक्की कराने का सुझाव सरकार के पास भेजा था? यदि हां, तो वह सड़कें कौन कौन सी हैं और उन पर क्या कार्यवाही हुई?

श्री चतुर्भुज शर्मा---प्रथम भाग जी नहीं, जिलाधीश जौनपुर ने ऐसा कोई भी सुझाव सरकार के पास नहीं भेजा

द्वितीय भाग---यह प्रश्न नहीं उठता।

*६४---**श्री नागेश्वर द्विवेदी**---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जिलाधीश जौनपुर के उपर्युक्त सुझावों के बारे में इंजीनियर पी० डब्ल्यू डी० की क्या सहमति है?

श्री चतुर्भुज शर्मा---उपर्युक्त दी गई सूचना के अनुसार यह प्रश्न भी नहीं उठता।

श्री नागेश्वर द्विवेदी---क्या माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि सरकार का कोई विचार है कि जौनपुर जिले की कुछ सड़कें पक्की कर दी जायं?

श्री चतुर्भुज शर्मा---मैंने अभी अर्ज किया था कि जो सब जिलों के लिये लागू है वही जौनपुर जिले के लिये लागू है। जब द्वितीय पंचवर्षीय योजना बनायेंगे तो जौनपुर की सड़कों पर भी विचार किया जायगा।

*६५--श्री नागेश्वर द्विवेदी--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि अगली पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत जौनपुर जिले की कौन-कौन सड़क पक्की कराने की योजना बन रही है ?

श्री चतुर्भुज शर्मा--अगली पंचवर्षीय योजना में जिन सड़कों को पक्की कराना है यह अभी सरकार के विचाराधीन है।

श्री नागेश्वर द्विवेदी--क्या माननीय मंत्री जी यह बतलाने की कृपा करेंगे कि जौनपुर जिले में कौन-कौन सड़कें पहले फेज में ली गयी थीं ?

श्री चतुर्भुज शर्मा-- यह सवाल बिल्कुल दूसरा है इसके लिये सूचना की जरूरत पड़ेगी।

फर्रुखाबाद और शाहजहांपुर जिलों को मिलाने के लिये गंगा, रामगंगा आदि नदियों पर पुल निर्माण

*६६--श्री पातीराम (जिला फर्रुखाबाद) (अनुपस्थित)--क्या सरकार फर्रुखाबाद और शाहजहांपुर जिले को सीधा मिलाने के लिये गंगा, रामगंगा तथा अन्य संबंधित नदियों पर पुल निर्माण करने के लिये इसी पंचवर्षीय योजना में स्थापना दे रही है। यदि नहीं, तो ये पुल कब निर्मित होंगे ?

निर्माण मंत्री (श्री गिरधारी लाल)--जी नहीं। इनका निर्माण आवश्यक धन की प्राप्ति पर निर्भर है।

*६७--श्री पातीराम (अनुपस्थित)--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि फर्रुखाबाद जिले में राजकीय नलकूप योजना किस कारण अचानक स्थगित कर दी है ?

श्री गिरधारी लाल--फर्रुखाबाद जिले में नलकूप योजना स्थगित नहीं की गई है। वहां नलकूप बनाने का कार्य प्रगति पर है। परगना पहाड़ा के केवल ६ नलकूपों पर वहां के निजी नलकूपों के मालिकों तथा किसानों के बीच विवाद के कारण अस्थायी रूप से कार्य स्थगित किया गया था--उसमें से ३ नलकूपों पर पुनः कार्य प्रारम्भ कर दिया गया है और शेष ३ नलकूपों का मामला अभी सरकार के विचाराधीन है।

*६८-६९--श्री महीलाल (जिला मुरादाबाद)--[४ मई, १९५४ के लिये स्थगित किये गये।]

दादरी (बुलन्दशहर) में बिजली पहुंचाने की योजना

*७०--श्री रामचन्द्र विकल--क्या सरकार कृपा करके बतायेगी कि दादरी (बुलन्दशहर) कस्बे में बिजली पहुंचाने की किसी योजना पर सरकार विचार कर रही है ? यदि हां, तो कब तक वह योजना कार्यान्वित होगी ?

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम--जी नहीं।

श्री रामचन्द्र विकल--क्या माननीय मंत्री जी को विदित है कि दादरी कस्बा के निवासियों की ओर से तथा आस पास के नागरिकों की ओर से माननीय मंत्री जी के पास दादरी में बिजली देने के लिये प्रार्थना-पत्र आया है ?

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम--जहां तक मैं कह सकता हूं अभी तक मेरे पास कोई एसा प्रार्थना-पत्र नहीं आया है।

श्री रामचन्द्र विकल——क्या माननीय मंत्री जी को मालूम है कि यह दादरी कस्बा जो जी० टी० रोड पर आबाद है एक बहुत उन्नतिशील कस्बा है और इसमें बिजली ले जाने में जो कठिनाई है उसको सरकार बतलाने की कृपा करेगी ?

श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम——बिजली ले जाने में सब से बड़ी कठिनाई यह है कि इस वक्त बिजली नहीं है, जो ले जायी जा सके ।

पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत पूर्वी जिलों में नलकूपों की योजना

*७१——**श्री शुकदेव प्रसाद**——क्या सरकार यह बतलाने की कृपा करेगी कि पंचवर्षीय योजनान्तर्गत पूर्वीय जिलों के गोरखपुर, बस्ती और देवरिया जिलों में सन् १९५३–५४ में कितने टचूबवेल बनाने की योजना थी और उनमें से कितने अब तक बन चुके ? यदि शेष हैं तो क्यों ?

श्री राममूर्ति——गोरखपुर, बस्ती और देवरिया जिले में १९५३–५४ व १९५४–५५ दो वर्षों में २९५ नलकूप बनाने की योजना है। यह दो वर्षीय कार्यक्रम है। १९५३–५४ में कार्य की प्रगति इस प्रकार हुई :——

जिला		योजना	१९५३–५४ में तैयार हुए नलकूपों की संख्या
गोरखपुर	..	६५	२०
देवरिया	..	१००	४०
बस्ती	..	१३०	६१
योग	..	२९५	१२१

सारे २९५ नलकूप, योजनानुसार १९५४–५५ के अन्त तक बन कर तैयार हो जायेंगे ।

श्री शुकदेव प्रसाद——क्या माननीय मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि यह जो टचूबवेल तैयार हो रहे हैं, उनमें से कितनों को अभी तक बिजली मिल चुकी है ? और वह चालू हो गये हैं ।?

श्री राममूर्ति——इसके लिये नोटिस की जरूरत है ।

श्री रामेश्वरलाल——क्या माननीय मंत्री जी को ज्ञात है कि जो टचूबवेल देवरिया में तैयार हो गये हैं उनके क्षेत्र में ५० एकड़ जमीन में गर्मी की फसल बोने का सरकार की तरफ से आदेश है ?

श्री कमलापति त्रिपाठी——ऐसा कोई आदेश तो नहीं है, लेकिन चाहता जरूर हूं कि इस मौसम में अगर कोई फसल तैयार हो सकती हो, तो वह तैयार कर लें।

श्री रामेश्वरलाल——क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि उन किसानों को जो उन क्षेत्रों में गर्मी की फसल बोयेंगे उनको मुफ्त पानी देने की व्यवस्था सरकार करेगी ?

श्री कमलापति त्रिपाठी——मुफ्त पानी देने का कोई सवाल पैदा नहीं होता । अगर वह फसल और पानी लेंगे तो पैसा देंगे।

श्री वीरेन्द्र वर्मा——क्या माननीय मंत्री बतलाने का कष्ट करेंगे कि यह जो २९५ ट्यूबवेल्स बन रहे हैं उनमें कितने फारेन कंट्राक्टर हैं और कितने इंडियन हैं ?

श्री कमलापति त्रिपाठी---टी०सी०ए० प्रोग्राम के मुताबिक ये कुयें बन रहे हैं यह किसी फर्म के जरिये से नहीं बन रहे हैं बल्कि डिपार्टमेंट की तरफ से बन रहे हैं।

श्री शुकदेव प्रसाद---क्या माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह ट्यूबवेल सरकारी विभाग द्वारा बनवाये गये हैं या किसी ठेकेदार से ?

श्री राममूर्ति---अभी बतलाया कि यह सरकारी विभाग द्वारा बनवाये गये हैं।

श्री अब्दुल मुईज खां (जिला बस्ती)---इन जिलों में ट्यूबवेल बनाने के लिए किन किन सरकारों से हमारी सरकार को रुपया मिला है ?

श्री कमलापति त्रिपाठी---जी नहीं ।

श्री रामसुन्दर राम (जिला बस्ती)---अगर किसी जिले में जिलाधीश ने समर क्राप पैदा करने के लिए ट्यूबवेल क्षेत्र के किसानों को यह कह दिया है कि मुफ्त पानी देंगे तो वह खर्चा कहां से मीट करेंगे ?

श्री अध्यक्ष---यह शर्तिया सवाल है। आपने "अगर" लगा दिया है जिससे मालूम होता है कि आपको कोई मालूमात नहीं हैं। इसलिये मैं इसकी इजाजत नहीं देता।

रायबरेली जिले की सलोन तहसील में सई नदी पर पुल का निर्माण

*७२---**श्री दलबहादुर सिंह** (जिला रायबरेली)---क्या यह सही है रायबरेली जिले की प्लानिंग कमेटी ने सर्वसम्मति से यह प्रस्ताव पास किया है कि सलोन तहसील में सई नदी पर सलोन परसेदपुर के बीच में शीघ्र ही एक पुल बनवा दिया जाय ?

श्री गिरधारीलाल---जी हां ।

*७३---**श्री दलबहादुर सिंह**---क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री ने अपने रायबरेली जिले के दौरे के अवसर पर सलोन तहसील जिला रायबरेली में सई नदी पर सलोन परसेदपुर के बीच में एक पुल बनवाने का आश्वासन दिया है ? यदि हां, तो पुल कब तक बन जाने की सम्भावना है ?

श्री गिरधारीलाल---जी नहीं। केवल इस पुल के निर्माण का प्रस्ताव प्राप्त होने पर सहानुभूति पूर्वक विचार करने का आश्वासन दिया गया था ।

*७४---**श्री दलबहादुर सिंह**---क्या उक्त पुल के स्थान का उपमंत्री निर्माण विभाग ने भी गत वर्ष निरीक्षण किया था और उसे प्राथमिकता देने का आश्वासन सदन में दिया था ?

श्री गिरधारी लाल---

प्रथम भाग---जी हां ।

द्वितीय भाग---आगामी योजना में उक्त पुल के निर्माण के प्रस्ताव पर विचार करने का आश्वासन सदन में दिया गया था ।

जौनपुर जिले में पेड़ों का नीलाम

*७५---**श्री बाबूनन्दन**---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि नवम्बर सन् १९५३ से फरवरी, सन् १९५४ तक पी० डब्लू०डी० इंजीनियर की तरफ से जौनपुर में कितने पेड़ों का नीलाम कितने रुपये पर हुआ है ?

श्री गिरधारी लाल---दिसम्बर, १९५३ ई० में पी०डब्यू०डी० इन्जीनियर की तरफ से जौनपुर में ४३ पेड़ों का नीलाम ६१४ रु० पर हुआ था। नवम्बर, १९५३ ई० तथा जनवरी व फरवरी, १९५४ ई० में पेड़ों का कोई नीलाम नहीं हुआ ।

*७६--श्री बाबूनन्दन--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि कितने पेड़ हरे थे और कितने सूखे ?

श्री गिरधारी लाल--उक्त पेड़ों में से ३२ पेड़ आंधी में गिर गये थे तथा शेष खोखले, कमजोर व गिर जाने के योग्य हो गये थे ।

बस्ती जिले में सड़कों का निर्माण

*७७--श्री मथुराप्रसाद पांडेय--क्या सरकार कृपया बतायेगी कि बस्ती जिले में बनने के लिये कौन कौन सी सड़कें रक्खी गई थीं और उनमें से प्रत्येक पर अब तक कितना कार्य हुआ ?

श्री गिरधारी लाल--आवश्यक सूचना माननीय सदस्य की मेज पर रक्खी हुई सूची में दी गई है ।

(देखिये नत्थी 'घ' आगे पृष्ठ १४९-१५० पर ।)

फर्स्ट फेज में गढ़वाल जिले में निर्माण के लिए सड़कें

*७८--श्री गंगाधर मैठाणी (जिला गढ़वाल)--क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री कृपया बतायेंगे कि पोस्टवार रोड डेवेलपमेंट प्रोग्राम के अन्दर फर्स्ट फेज में कितनी मील मोटर रोड जिला गढ़वाल में स्वीकृत हुई थी और वे कौन-कौन सड़कें थीं ?

श्री गिरधारी लाल--फर्स्ट फ़ेज प्रोग्राम में जिला गढ़वाल के अन्तर्गत चमोली, जोशीमठ रोड जिसकी लम्बाई तीस मील है मोटर मार्ग के रूप में बनाना रक्खा गया था ।

*७९--श्री गंगाधर मैठाणी--क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि आर्थिक वर्ष १९५०-५१, १९५१-५२, १९५२-५३ और १९५३-५४ में कितनी-कितनी मील मोटर रोड उपर्युक्त प्रोग्राम के अन्दर जिला गढ़वाल में बनी हैं ?

श्री गिरधारी लाल--१९५०-५१ मिट्टी तथा पुल और पुलियों का कार्य १५ मील ।

१९५१-५२ चमोली पीपलकोटी भाग के अधूरे कार्य को पूर्ण करना ।

१९५२-५३ मिट्टी का कार्य १ मील ।

पुल तथा पुलियों का कार्य ३ मील ।

१९५३-५४ कार्य स्थगित था ।

*८०--श्री गंगाधर मैठाणी--क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री बतायेंगे कि उपर्युक्त फर्स्ट फेज की मोटर सड़कों को वे कब तक पूरा कर सकेंगे ?

श्री गिरधारीलाल--१९५५-५६ ई० के अन्त तक गुलाबकोटी तक कार्य पूर्ण हो जाने की आशा की जाती है । गुलाबकोटी जोशीमठ भाग पर कार्य धनराशि की उपलब्धि पर निर्भर करता है ।

कानपुर में मेस्टन रोड पर पुलिस द्वारा लाठी चार्ज के सम्बन्ध में कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचना

श्री अध्यक्ष—मेरे पास एक कामरोको प्रस्ताव श्री रामसुन्दर पांडेय ने भेजा है। वह इस प्रकार है—कानपुर में तारीख २५ अप्रैल को साढे आठ बजे रात को मैस्टन रोड पर लगभग ५० कार्यकर्ता चुनाव कार्य समाप्त होने पर प्रजा सोशलिस्ट पार्टी के कार्यालय में शांतिमय ढंग से आरहे थे। ज्योंही वे लोग पार्टी के कार्यालय के दरवाजे पर पहुंच कर ऊपर जाने लगे पुलिस ने उन पर लाठी चार्ज किया। पुलिस के इस कार्य पर जिससे न तो चुनाव का संबंध था और न शांति भंग होने का अन्देशा था वादविवाद करने के लिये विधान सभा अपना कार्य स्थगित करती है।

मैं चाहूंगा कि माननीय रामसुन्दर पांडेय इस पर प्रकाश डालें कि इससे और सरकार से कैसे साधारण इन्तजाम के मामले में संबंध आता है?

श्री रामसुन्दर पांडेय (जिला आजमगढ़)—माननीय अध्यक्ष महोदय, यह घटना जिस समय घटी उस समय मेरे अतिरिक्त माननीय कल्याण चन्द्र जी मोहिले, श्री मदन मोहन जी उपाध्याय, श्री राम नारायण जी त्रिपाठी, ठाकुर मलखान सिंह ऐसे जो माननीय सदस्य हैं इस विधान सभा के वे सब लोग पार्टी के कार्यालय में ऊपर दफ्तर में मौजूद थे। एक रास्ते से पार्टी के लगभग ५० कार्यकर्त्ता जो पोलिंग स्टेशन से कार्य करके आ रहे थे उस पर, हम लोगों ने ऊपर से देखा कि पुलिस ने एकाएक उन पर, लाठी प्रहार करना शुरू कर दिया। अध्यक्ष महोदय, जहां तक मुझे जानकारी है, जब कोई भीड़ जमा होती है तो पुलिस या मैजिस्ट्रेट ५ मिनट में उसे तितर-बितर होने के लिये समय देता है, ऐसा भी नहीं किया गया। वहां न तो कोई जुलूस था और न कोई कानून तोड़ने का अंदेशा था। पार्टी के कार्यालय में संदेशा देने के लिये और समाचार जानने के लिये कार्यकर्त्ता एवं समर्थक आ रहे थे। जो लोग लाल टोपी लगाये हुये थे उनके ऊपर लाठी प्रहार किया। एक-दो घंटे पहले जब कि दूसरी ओर से कार्यकर्त्ता आ रहे थे उन पर भी (सोशलिस्ट पार्टी के कार्यकर्त्ताओं पर लाठी प्रहार किया गया, उस वक्त दफ्तर में साथी मलखान सिंह जी बैठे हुये थे उन्होंने श्री राम नरेश सिंह जी तथा श्री गोपाल नारायण जी सक्सेना को भेजा कि वे पूछें कि लाठी चार्ज क्यों किया जा रहा है। श्री गोपाल नारायण जी तथा श्री राम नरेश जी मजिस्ट्रेट से पूछने गये। पूछने के कारण उन दोनों व्यक्तियों को गिरफ्तार कर लिया गया। श्री गोपाल नारायण जी को बाद में छोड़ दिया गया लेकिन राम नरेश सिंह जी को जेलखाने भेज दिया गया। मैं गवर्नमेंट के ऊपर सिर्फ यह जिम्मेदारी डालना चाहता हूं कि जब एक तरफ तो प्रजा सोशलिस्ट पार्टी के कार्यकर्त्ता जो शांतिमय ढंग से दफ्तर में आ रहे थे उन पर लाठी चार्ज किया गया और दूसरी तरफ दो तीन बजे घसियारी मंडी में कांग्रेस का जलूस निकाला गया जिसमें एक थानेदार साहब और सिपाही आगे-आगे चल रहे थे और उनकी देख-रेख में कांग्रेस का जलूस चल रहा था। उस वक्त भी शांति खतरे में हो सकती थी लेकिन उस जलूस को माननीय गृह मंत्री जी की पुलिस ने बाकायदा चले जाने दिया तथा दूसरी पार्टी के कार्यकर्ता को जो शांतिमय ढंग से अपने दफ्तर को आ रहे थे, गिरफ्तार किया गया और उन पर लाठी चार्ज किया गया। इसलिए यह एक महत्व का प्रश्न है। इस प्रकार से प्रदेश की गैर जिम्मेदार पुलिस को एक मौका मिलता है कि किसी पार्टी के कार्यकर्ताओं के ऊपर तथा उन नागरिकों के ऊपर जो कि शांतिमय ढंग से जा रहे हों, इस प्रकार बर्बरतापूर्वक लाठी चार्ज करे। तथा मार पीट कर धराशायी कर दे इसके साथ ही दूसरी पार्टी को गैर कानूनी कार्य करने दे। क्योंकि वह एक सत्ताधारी दल की पार्टी थी। मैं समझता हूं कि यह सदन इसको मंजूर करेगा कि ऐसे कार्यकर्ता पार्टी या नागरिक जो कि शांतिमय ढंग से जा रहे थे, उनसे शांति भंग का कोई अंदेशा न था। ऐसे लोगों के साथ जो पुलिस द्वारा बर्बरतापूर्ण अत्याचार हुआ उसके लिए आपके द्वारा सदन इस प्रस्ताव को अनुमति देगा।

गृह मन्त्री (डाक्टर सम्पूर्णानन्द)---माननीय अध्यक्ष महोदय, यदि घटना ठीक वैसी ही हो, जैसा कि अभी माननीय सदस्य ने बतलाया है तब भी इसका गवर्नमेंट से कोई सम्बन्ध नहीं हो सकता। इसका जो भी संबंध होगा वह वहां के स्थानीय अधिकारियों से होगा। उन्होंने मौके को देखकर जो उचित समझा होगा वैसा किया होगा। जहां तक कि घटना की बात है मेरा ऐसा ख्याल है कि माननीय सदस्य को कुछ ग़लत इत्तला मिली है।

एक सदस्य---आंखों से देखा था।

डाक्टर सम्पूर्णानन्द---आपने अपना नाम नहीं लिया कि आपने अपनी आंखों से देखा। जिन लोगों के उन्होंने नाम लिये उनके सम्बन्ध में मुझे कुछ कहना नहीं है। क्योंकि उस वक्त न वह मौजूद थे और न मैं मौजूद था, इसलिए जब कि मेरे पास जो सूचना है उसके बारे में यह न साबित हो जाय कि वह ग़लत है, तब तक मुझे उसी को सत्य मानना होगा।

श्री रामसुन्दर पांडेय---अध्यक्ष महोदय, मैं स्वयं वहां मौजूद था।

श्री अध्यक्ष---पहले तो आपने यह बताया नहीं। आपने केवल दूसरों के नाम लिये। ठीक है अब उनको सूचना हो गयी कि आप भी वहां मौजूद थे।

डाक्टर सम्पूर्णानन्द---पहले तो आपने अपना नाम लिया नहीं। खैर, यह हो सकता है कि घटना को समझने में कुछ गलतफहमी हो गयी हो। मेरी सूचना यह है कि उस रोज चुनाव के बाद सोशलिस्ट पार्टी की तरफ से कई जगह जुलूस निकालने की कोशिश की गयी। आम तौर पर ऐसा हुआ कि जहां जुलूस निकल रहे थे वहां पुलिस ने जाकर यह बतलाया कि दफा १४४ लगी हुयी है, जुलूस नहीं निकल सकता और जुलूस निकालना बंद कर दिया गया। लेकिन जिस जुलूस का जिक्र किया गया, उसमें राम नरेश सिंह जो मौजूद थे। श्री राम नरेश सिंह गिरफ्तार किये गए और इसलिए गिरफ्तार किये गये कि जब पुलिस के अफसर ने उनसे हट जाने के लिए कहा तो उन्होंने कहा कि हम नहीं हटते, तुम्हें जो करते बने वह करो। इस पर पुलिस को श्री रामनरेश सिंह व धर्मवीर गोस्वामी को गिरफ्तार करना पड़ा। मेस्टन रोड वाली जिस घटना का जिक्र किया गया है वहां भी प्रजा सोशलिस्ट पार्टी की तरफ से जुलूस निकला था, उसमें लोग थे जो तरह तरह के नारे लगा रहे थे। पुलिस ने कहा कि यहां दफा १४४ लगी हुयी है लेकिन १४४ की उन लोगों ने अवहेलना की। अवहेलना करने पर पुलिस को मजबूर होकर उस किस्म का काम करना पड़ा जिस किस्म के काम का जिक्र माननीय सदस्य ने किया। ठीक वाकया क्या था इसकी बाबत जब सरकार की तरफ से १४४ तोड़ने पर जो १८८ का मुकदमा चलता है वह अदालत के अन्दर चलेगा तभी साबित हो सकेगा कि वह जुलूस शांतिमय था या अशांतिमय था जलूस ८ बजे रात को लौट रहा था, या चुनाव ८ बजे रात तक था और लोग चुनाव से लौट रहे थे, इन सारी बातों का फैसला उसी वक्त अदालत के द्वारा ही होगा। रही यह बात कि किसी जगह पर कांग्रेस का जुलूस निकला था तो एक गलत काम से दूसरा काम सही नहीं होता। इस वक्त मुझे यही निवेदन करना है।

श्री मदनमोहन उपाध्याय (जिला अल्मोड़ा)---आन ए प्वाइंट आफ आर्डर, सर। मैं समझता हूं कि कोई सरकारी कर्मचारी सरकार के हुक्म से कोई काम करता है तो उस समय यह नहीं कहा जा सकता है कि उसके लिए सरकर जिम्मेदार होगी? जैसा कि माननीय मंत्री जी ने कहा कि पुलिस ने जो काम किया उससे सरकार का किसी तरह से कोई सम्बन्ध नहीं है। तो मैं जानना चाहता हूं कि जब कोई सरकारी आफिसर कोई काम करता है तो उसके लिए सरकार जिम्मेदार नहीं समझी जाती है।

श्री अध्यक्ष---आपने दो सवाल किये हैं। एक तो सरकार की जिम्मेदारी के बारे में आमतौर पर जिम्मेदारी सरकारी अफसरों के बारे में सरकार की है, इस विषय में तो कोई दो

[श्री अध्यक्ष]

रायें नहीं हो सकती हैं। लेकिन जो कामरोको प्रस्ताव सदन में आता है वह तो इसलिये कि उससे सरकार का कोई विशेष सम्बन्ध है सरकार की तरफ से कोई विशेष आज्ञा यहां से आ गयी होगी कि तुम यह काम करो तब तो यह प्रश्न आ सकता है। दूसरे सरकार की जिम्मेदारी यों भी हो जाती है कि अगर माननीय सदस्य ने माननीय गृह मंत्री जी के पास यह शिकायत भेजी होती और उन्होंने इन्क्वायरी कराने से इंकार किया होता तो भी एक प्रश्न होता कि सरकार जो है वह इन्क्वायरी कराने को भी तैयार नहीं है, इसलिए उसकी जिम्मेदारी सरकार के ऊपर आती है। सरकार उस चीज को दबाना चाहती है, इस तरह की आशंका हो सकती है, तभी इसके ऊपर विचार हो सकता है। लेकिन अफसर कोई काम करता है तो आमतौर पर उसकी जिम्मेदारी स्थानीय कर्मचारियों पर ही आती है। मैं समझता हूं कि ऐसे विषय पर सरकार को कोई जिम्मेदारी इस किस्म की नहीं आ सकती है जिस पर कामरोको प्रस्ताव के जरिये विवाद किया जाय बल्कि उसके लिये तो अदालत वगैरह में ही फैसला होगा। इसलिए मैं यह जानना चाहता हूं कि आया सरकार की तरफ से ऐसा कोई इशारा है, अगर कोई ऐसी चीज हो तभी विवाद करने के लिए यह प्रश्न उठ सकता है।

श्री मलखान सिंह (जिला अलीगढ़)---माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय होम मिनिस्टर को मैंने खुद टेलीफोन कराया और जब मैं दर्शनपुरवा चला गया तो मेरी बातचीत माननीय मंत्री जी से हुयी और मैंने उनको इस बात की सूचना दी और उनसे रिक्वेस्ट किया कि कानपुर कोई दूर नहीं है, आप यहां बहुत जल्द आ सकते हैं इसलिए यहां पर आकर पुलिस का नंगा नाच देख लीजिये।

डाक्टर सम्पूर्णानन्द---८ बजे रात में ?

श्री मलखान सिंह---दिन में।

डाक्टर सम्पूर्णानन्द---लेकिन घटना तो ८ बजे रात की है।

श्री मलखान सिंह---तो आपने इनकार कर दिया कि मैं नहीं आऊंगा और जो कुछ भी वहां के अधिकारी मुझे इत्तिला देंगे उसी पर मुझे यकीन करना पड़ेगा। माननीय गृह मंत्री जी ने जो यह कहा कि श्री रामनरेश सिंह व श्री धर्मवीर गोस्वामी किसी जुलूस में थे, यह बिलकुल गलत है। मैंने खुद उन दोनों आदमियों को भेजा कि जाकर पूछें कि पुलिस लाठी चार्ज क्यों कर रही है ? जब वे पुलिस अधिकारियों से पूछने गये तो उन्होंने कहा कि तुम्हें पूछने का कोई अधिकार नहीं है। तुम यहां से हट जाओ। मैं समझता हूं कि दफा १४४ के मुताल्लिक जो हुक्म है उसकी कापी प्रजा सोशलिस्ट पार्टी के आफिस में वहां मौजूद है। और यह यक़ीन दिला सकता हूं कि उसमें कोई ऐसी चीज नहीं है। मैंने वहां पुलिस से भी बात की और डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट को भी मैंने टेलीफोन किया और मैंने उनको बताया कि श्री रामनरेश सिंह और श्री धर्मवीर को मैंने खुद भेजा है लेकिन वह नीचे जाते ही गिरफ्तार कर लिए गए। इस पर कानपुर के डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट श्री राठौर ने कहा कि उन्होंने यह नाम नोट कर लिए हैं और मैं कोतवाली में आ रहा हूं और ये लोग कोतवाली में लाये जायेंगे। उनको छोड़ दिया जायगा। अब यह कहना कि वह जुलूस में भाग ले रहे थे यह सरासर झूठ है और जब हम देखते हैं कि सरकार की ओर से ऐसा पुलिस का नंगा नाच होता है तो हमारा सिर नीचा हो जाता है। मैंने खुद डी०एम० से प्रार्थना की कि आप साथ चलिए और इस की इन्क्वायरी कीजिये।

श्री अध्यक्ष---यह दोपहर की बात है।

श्री मलखान सिंह---लेकिन मेरे कहने पर भी उन्होंने हिलना कबूल नहीं किया। इससे मैं समझता हूं कि यह सरकार का ऊपर से इशारा था कि हम पर इस तरह की कार्यवाही की जाय।

श्री व्रजभूषण मिश्र (जिला मिर्जापुर)---मैं कुछ इस विषय में कहना चाहता हूं ।

श्री अध्यक्ष---क्या आप इस घटना के प्रत्यक्षदर्शी हैं ?

श्री व्रजभूषण मिश्र---जी हां, साढ़े ८ बजे रात की घटना के सम्बन्ध में मैं प्रत्यक्षदर्शी हूं। चुनाव समाप्त हो चुका था। हम और श्री देवी सहाय वाजपेयी कार पर लौट रहे थे और आगे बढ़ कर हमने देखा कि वहां पर करीब ५-७ सौ की भीड़ चली आ रही थी और उसका नेतृत्व लाल टोपी वाले लीडर कर रहे थे और वह नारे लगा रहे थे कि "टंडन बेचारा हार गया, शास्त्री बहादुर जीत गया।" वह बहुत बड़ा मजमुआ था, हमारी कार को भी घेर लिया गया और तरह-तरह के नारे लगाये गये और चिढ़ाने की कोशिश की गयी और तरह-तरह की आपत्तिजनक चीजों से वह लोग दूसरों पर आवाजें कसते थे ।

श्री अध्यक्ष---यह मेस्टन रोड की बात है न ?

श्री व्रजभूषण मिश्र---जी हां ।

श्री मदनमोहन उपाध्याय---मेरा नाम लिया गया इसलिए अध्यक्ष महोदय, मैं कुछ.....।

श्री अध्यक्ष---मैं अब इजाजत नहीं दूंगा । अब मुझे निर्णय देना है। मैं हरएक का स्टेटमेंट नहीं लूंगा ।

श्री परिपूर्णानन्द वर्मा (जिला गोरखपुर)---मैं एक प्रश्न पूछना चाहता हूं अध्यक्ष महोदय।

श्री अध्यक्ष---यह प्रश्नों का समय नहीं है, अब मैं इजाजत नहीं दूंगा।

श्री परिपूर्णानन्द वर्मा---श्रीमन्, इससे क्लेयरीफिकेशन हो जायगा ।

श्री अध्यक्ष---जी नहीं। अब मैं फैसला देना चाहता हूं।

अभी तक जो प्रकाश डाला गया है इस प्रश्न के ऊपर और वाकयात के ऊपर, उससे प्रत्यक्ष सरकार से कोई सम्बन्ध मालूम नहीं होता और इसलिए कामरोको प्रस्ताव का विषय नहीं उठ सकता। लेकिन इतना मैं कहूंगा कि माननीय गृह मंत्री जी जो वाकयात दूसरी तरफ से बयान किये गए उनके विषय में अगर अधिक जानकारी के बाद सदन में वाकयात के सम्बन्ध में प्रकाश डालें किसी और रोज तो उचित होगा। इतना मैं इस विषय में सुझाव दे देना चाहता हूं और इस कामरोको प्रस्ताव की इजाजत नहीं देता हूं कि यह पेश हो।

सहजनवा महाबीर जूट मिल्स के हड़ताली मजदूरों की गिरफ्तारी के सम्बन्ध में कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचना

श्री अध्यक्ष---दूसरा कामरोको प्रस्ताव है श्री झारखंडे राय जी का कि सहजनवा जूट मिल्स में १२ सौ मजदूर हड़ताल कर रहे हैं और उसमें श्री नरसिंह पांडेय, श्री फागू सिंह और ४० हड़ताली मजदूर २६ अप्रैल को गिरफ्तार हुए हैं और परिस्थिति दिन ब दिन वे कहते हैं कि गम्भीर होती जा रही है और गिरफ्तारी से मजदूरों में उत्तेजना बढ़ने से उन्हें यह भी अन्देशा है कि अन्य दो जूट मिलों में हड़ताल फैल जायगी। अतः इस गिरफ्तारी से उत्पन्न परिस्थिति पर विचार करने के लिए वे चाहते हैं कि सदन का कार्यस्थगन हो। इस विषय पर मैं अपनी राय

[श्री अध्यक्ष]

पहले भी दे चुका हूं कि कई जगह इस तरह की बातें हुआ करती हैं और वह विषय कामरोको का नहीं बन सकता इसलिये कि उस सिलसिले में अगर कोई कार्यवाही रोज के इंतजाम के सम्बन्ध में या शांति कायम करने के लिए सरकारी आफिसर करते है तो वह भी इतना आवश्यक विषय नहीं होता, इतना गम्भीर नहीं होता कि सदन का काम रोका जाय। मैं नहीं समझता कि कोई ऐसी परिस्थिति उत्पन्न हो गयी है या वह इतनी अरजेंट है कि उसके ऊपर विचार के लिए मैं यह इजाजत दूं कि ऐसा कामरोको प्रस्ताव उपस्थित किया जाय। मैं इसको आवश्यक और बहुत निश्चित भी नहीं समझता हूं, इसलिए अवंध करार देता हूं।

उत्तर प्रदेश बिक्री-कर (द्वितीय संशोधन) विधेयक, १९५३

श्री अध्यक्ष—मैं घोषणा करता हूं कि उत्तर प्रदेश बिक्री-कर (द्वितीय संशोधन) विधेयक, १९५३ पर, जिसे उत्तर प्रदेश विधान सभा ने अपनी १५ फरवरी, १९५४ की बैठक में तथा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् ने अपनी ४ मार्च, १९५४ की बैठक में पारित किया था, श्री राज्यपाल की अनुमति ३० मार्च, १९५४ को प्राप्त हो गयी और वह उत्तर प्रदेश का १९५४ का आठवां अधिनियम बन गया।

†उत्तर प्रदेश पंचायत राज (संशोधन) विधेयक, १९५३

स्वशासन मंत्री (श्री मोहनलाल गौतम)—माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश पंचायत राज (संशोधन) विधेयक, १९५४ पर जैसा कि वह संयुक्त प्रवर समिति द्वारा संशोधित हुआ है, विचार किया जाय।

माननीय अध्यक्ष महोदय, इस समय मैं सदन का बहुत समय नहीं लेना चाहता। जो संशोधन इस सदन के सामने पहले आया था उस पर दो दिन तक विचार हो चुका है और वे सब बातें सदन में माननीय सदस्यों के सामने मौजूद हैं। मैं केवल उन दो एक बातों का जिक्र करूंगा कि जो इस संयुक्त प्रवर समिति में संशोधित हुयी हैं। एक बड़ी भारी चीज और सबसे महत्वपूर्ण संशोधन जो इस प्रवर समिति में हुआ वह यह है कि जो पहले कम्पलसरी लेबर का प्राविजन था वह अब इसमें से हटा दिया गया है। इसका कारण यह नहीं है कि गांवों मे जो कार्य इस वक्त हो रहा है उसके लिए वालन्ट्री लेबर की आवश्यकता नहीं है। इसका यह भी कारण नहीं, मैं कह सकता हूं कि इस श्रम को लेने के लिये यदि गांव वाले चाहें तो सबसे वह श्रम ले सकें बल्कि इसका मुख्य कारण जो प्रवर समिति के सदस्यों के सामने था जैसा कि मैं समझता हूं वह यह कि इस समय हमारे प्रदेश में श्रमदान द्वारा काफी कार्य हो रहा है और जबकि गांव-गांव में श्रमदान को अपनाया जा रहा है और बराबर काम वहां हो रहा है, जिसका मूल्य अगर आंका जाय तो इस समय लगभग ६,६९,२२,५८० रु० होगा। पौने सात करोड़ का अंदाज पंचायत राज के मुहकमे का है और इतना कार्य पिछले दिनों में श्रमदान से हुआ है। हो सकता है कि ये आंकड़े कुछ बढ़ गये हों और यह भी हो सकता है कि ये आंकड़े उन तमाम कामों को न शामिल करते हों, जो कि आज गांवों में हुए हैं। बहुत से कार्य ऐसे हो सकते हैं जिनका पूरा मूल्य आंका न गया हो और जिनकी रिपोर्ट पंचायत राज के दफ्तर में न हुयी हो। लेकिन अगर पौने सात करोड़ या ६,७ करोड़ के बीच में भी मूल्य मान लिया जाय तब भी यह ऐसा कार्य है जिसकी हमें सराहना करनी चाहिये और इसके ऊपर हम गर्व कर सकते हैं कि जो वायुमंडल इस समय गांवों में पैदा हो रहा है वह काफी उत्साहवर्धक है। इसलिए यह खयाल हुआ और कुछ लोगों का विचार है कि शायद कम्पलसरी लेबर करने से उस काम में कोई रुकावट पड़े।

---

† संयुक्त प्रवर समिति द्वारा संशोधित विधेयक २२ अप्रैल, १९५४ को कार्यवही में छपा है।

कुछ और लोगों को इससे यह भी डर था कि कहीं बेगार की दूसरी शक्ल इससे गांवों में न आजाय। इन कारणों से इस बात को इस विधेयक से निकाल दिया गया। इस वक्त कम्पलसरी लेबर का प्राविजन जो पहले था, अब नहीं रहा इस अमेंडमेंट बिल में।

दो एक और छोटे-छोटे अमेंडमेंट्स हैं। एक यह कि अमेंडमेंट बिल में पंचायतों का जो प्राविजन था उसमें टर्म ५ साल का था और उसका एक्सटेंशन समय-समय पर होसकता था। उसमें कोई समय निर्धारित नहीं था। अब सिर्फ एक साल तक एक्सटेंशन मिल सकता है और ५ साल का टर्म है, यह संशोधन अब हो गया है। एक संशोधन इसमें और है। वह यह कि अगर गांव में झगड़ा नजर आये और पंचायती अदालत यह देखे कि झगड़ा बढ़ने का डर है तो १५ दिन तक उन लोगों से जमानत और मुचलका ले सकती है। इसमें दिक्कत यह पड़ रही थी कि अगर कोई जमानत न दे तो उसका क्या हो, इस लिए इसको पहले निकाल दिया गया था। अब इसको दुबारा रख दिया गया है और यह जोड़ दिया गया है कि अगर कोई जमानत न दे तो ५ रुपया रोजाना तक उस पर जुर्माना हो सकता है।

पंचायती अदालतों के बारे में काफी बहस हुयी। मौजूदा विधान यह है कि वह चुनी जाती हैं लेकिन अब जो अमेंडमेंट में है वह यह है कि एक पैनेल में से सेलेक्शन होगा बाई दि प्रेस्क्राइब्ड अथारिटी। बहुत बहस मुबाहिसा के बाद, काफी विचार के बाद इस पर प्रवर समिति की राय हुई कि यह ठीक है और यही कायम रहे। इस प्रकार बहुत थोड़े से अमेंडमेंट्स इसमें हुये हैं जिनका कि मैंने जिक्र किया। कुछ माइनर अमेंडमेंट्स हैं जिनका जिक्र कर के मैं सदन का समय लेना जरूरी नहीं समझता। इन शब्दों के साथ मैं इसको सदन के सामने पेश करता हूं।

श्री रामनारायण त्रिपाठी (जिला फ़ैजाबाद)--अध्यक्ष महोदय, मैं इस विधेयक का विरोध करने के लिये खड़ा हुआ हूं। पंचायत राज के निर्माण और उसके संचालन का विरोध प्रजा सोशलिस्ट पार्टी की तरफ से मुनासिब नहीं मालूम देता। लेकिन प्रवर समिति से जैसी आशा थी उतने संशोधन और सुधार, विधेयक में नहीं किये गये। एक आवश्यक और बहुत महत्वपूर्ण प्रवर समिति ने जो संशोधन किया अनिवार्य श्रमदान के संबंध में, उसका स्वागत कर देना भी मुनासिब समझता हूं। लेकिन अब भी ऐसे बहुत से विषय हैं जिनका मैं संक्षेप में आगे जिक्र करूंगा.....।

श्री व्रजविहारी मिश्र (जिला आजमगढ़)--प्वाइंट आफ आर्डर सर। मैं एक व्यवस्था का प्रश्न उपस्थित करना चाहता हूं और वह यह है कि क्या एक माननीय सदस्य जो ज्वाइंट सिलेक्ट कमेटी के भी सदस्य रहे हों वह इस विधेयक का इस प्रकार विरोध कर सकते हैं?

श्री अध्यक्ष--जी हां, कर सकते हैं।

श्री व्रजविहारी मिश्र--माननीय सदस्य ने अपने डिसेंटिंग नोट में भी यह नहीं लिखा है कि वह इस विधेयक का विरोध करते हैं।

श्री अध्यक्ष--अगर न भी लिखा हो, फिर भी विरोध कर सकते हैं और इस लिये कर सकते हैं कि जिस बात से उनको विरोध है अगर वही बात कमेटी में मंजूर हो गई हो तो वह यह समझते हैं कि विधेयक ही बेकार है और उसका विरोध करना चाहिये। इसलिये विरोध हो सकता है और इसकी उनको इजाजत है।

श्री अब्दुल मुईज खां (जिला बस्ती)--प्वाइंट आफ आर्डर सर। इस स्टेज पर जब कि किसी प्रवर समिति या संयुक्त प्रवर समिति की रिपोर्ट इस सदन में पेश की जाय और माननीय मंत्री जी यह प्रस्ताव करें कि इसको कंसीडर किया जाय, तो क्या उसका विरोध किया जा सकता है?

श्री अध्यक्ष—जी हां।

श्री अब्दुल मुईज खां—मैं नियम १०५ (२) की ओर आप का ध्यान आकर्षित करूंगा।

श्री अध्यक्ष—आप नियम १०६ भी पढ़ लीजिये, जो इस प्रकार है—

"There shall be no debate on any motion or amendment at this stage except that the member making the motion or moving the amendment and the member opposing may be allowed to make brief statement. . ."

[इस प्रक्रम पर किसी भी प्रस्ताव या संशोधन पर वादविवाद न होगा अंतरिक्त इसके कि प्रस्तावक या संशोधन प्रस्तुत करने वाले और उसका विरोध करने वाले सदस्य को संक्षिप्त वक्तव्य देने की अनुज्ञा दी जा सकेगी.....]

इसलिये विरोध कर सकते हैं।

श्री रामनारायण त्रिपाठी—अध्यक्ष महोदय, इस विधेयक को तैयार करने में सरकार की तरफ से काफी समय लिया गया। इस सम्बन्ध में एक सरकारी कमेटी बनायी गयी थी जिसने काफी विचार के बाद एक महत्वपूर्ण रिपोर्ट तैयार की। उस सरकारी कमेटी द्वारा जो रिपोर्ट प्रस्तुत की गई उसमें बहुत से सर्व सम्मति से हुए निर्णयों की इस विधेयक के तैयार करते वक्त उपेक्षा की गयी। इस विधेयक में जो आपत्तिपूर्ण बातें हमारी पार्टी की तरफ से हो सकती हैं उनका संक्षेप में, जैसा कि नियमों में दिया गया है, जिक्र करना चाहता हूं। पहली बात यह है कि न्याय पंचों का एक नियत अधिकारी द्वारा नामजदगी का एक ऐसा प्रश्न है कि यह अधिकार सरकार इस विधेयक द्वारा ले कर के मैं समझता हूं कि प्रजातंत्र के मूलभूत सिद्धान्त पर कुठार घात कर रही है। न्याय पंचायतों का या गांव पंचायतों का मूलभूत सिद्धांत यह है कि लोग अपनी चुनी हुई संस्थाएं बनायें और उन संस्थाओं के जरिये से वह न्याय भी करें और साथ ही साथ गांवों का निर्माण और शासन भी करें और उसमें किसी सरकारी अधिकारी या नियत अधिकारी द्वारा खलल डालना या दस्तन्दाजी करना सरकार के लिये मुनासिब नहीं है और मेरा यह निश्चित मत हो रहा है कि सरकार इस प्राविजन का बहुत ही दुरुपयोग करेगी और साथ ही साथ इसमें भ्रष्टाचार की वृद्धि होगी। अध्यक्ष महोदय, नामजदगी का ऐसा तरीका है कि उसमें काफी भ्रष्टाचार होगा और लोग तरह तरह के आर्थिक और सरकारी दबाव डालेंगे। इसलिये यह बात अत्यन्त अनुचित है।

इस विधेयक द्वारा सरकार यह अधिकार ले रही है कि किसी न्याय पंचायत के सरपंच, पंच, किसी गांव पंचायत के प्रधान, उपप्रधान या सदस्यों का यहां तक कि गांव सभा को भी जब वह चाहे मुअत्तल कर सकती है या खत्म कर सकती है, अध्यक्ष महोदय, यह सरकार की तरफ से बहुत ही बेजा अधिकार लिया जा रहा है। चुनी हुई संस्थाओं को अगर किसी को भी अलग करने का अधिकार है तो अविश्वास के प्रस्ताव द्वारा या रिकाल की पावर के द्वारा मतदाताओं को यह अधिकार होना चाहिये। सरकार मनमाने तरीक़े से यह अधिकार ले कर मैं समझता हूं कि सही रूप से ग्राम पंचायतों को चलने नहीं देना चाहती है।

ग्राम पंचायत के प्रधानों की अवस्था के बारे में सदन को ज्ञात है कि पहले ३० वर्ष रखा गया था और बहुत वादविवाद के बावजूद भी ३० वर्ष से कम नहीं हुआ। मैंने पहले कहा था कि जो पिछड़ी जाति के और हरिजन लोग हैं उनमें आमतौर से ३० वर्ष के लोग पढ़े लिखे नहीं मिलेंगे और इस उपबंध की वजह से उनको वंचित रह जाना पड़ेगा। गांव के प्रधानों को हिन्दी का ज्ञान देवनागरी स्क्रिप्ट में होना आवश्यक है। दूसरी तरफ यह भी व्यवस्था की गयी है कि एक्जेम्पशन्स किये जा सकते हैं। बहुत से ऐसे लोग हो सकते हैं जो और भाषाओं का काफी अच्छा ज्ञान रखते हों परन्तु हिन्दी न जानते हों, तो वे इस प्राविजन के हिसाब से वंचित रह जायंगे। मिसाल के तौर पर मैं उर्दू का नाम लेना चाहता हूं। पश्चिमी जिलों में, मुसलमानों और हिन्दुओं का

सवाल नहीं है, आमतौर पर लोग उर्दू जानते हैं और बहुत ही आलिम हैं। एक उर्दू जानने वाला प्रकांड विद्वान है और देवनागरी न जानता हो तो वह प्रधान नहीं हो सकता। यह बहुत ही अनुचित है। पंचायतों के चुनाव के बारे में इस सदन में इस बात पर बहुत जोर दिया गया था कि हाथ उठा कर वोट देने की प्रथा ठीक नहीं है और बैलट की व्यवस्था होनी चाहिये। इस संबंध में एक नियत ढंग की आवश्यकता है लेकिन जहां तक मेरा ख्याल है माननीय मंत्री जी भी अभी इस निश्चय पर नहीं पहुंचे हैं कि बैलट होना चाहिये।

इसी प्रकार पंचायत की अवधि पहले तीन वर्ष की थी और अब बढ़ा कर पांच वर्ष कर दी गयी है। हमारी यह निश्चित राय है कि शुरू-शुरू में जल्दी-जल्दी पंचायतों का बदलना इस बात के लिये अच्छा होगा कि जो लोग बुरे हैं वे जल्दी अलग किये जा सकेंगे और अच्छे लोगों को चुनने का मौक़ा मिलेगा। यह हो सकता है कि दस पांच वर्ष के बाद पांच वर्ष की अवधि हो जाय लेकिन अभी तीन वर्ष की ही होनी चाहिये।

दूसरी शिकायत यह है कि पंचायतों में कोरम पूरा नहीं होता है, लोग आते नहीं हैं, ऐसी अवस्था होने पर भी जरा इसमें पहले मिडिल स्कूल और जूनियर हाई स्कूल और अपर प्राइमरी और लोअर प्राइमरी स्कूलों के ८५,००० अध्यापकों को हक़ था कि वे किसी भी न्याय पंचायत में या ग्राम पंचायत में पंच या सदस्य हो सकते थे, लेकिन इस विधेयक के द्वारा वह अधिकार भी छीना जा रहा है और मैं समझता हूं कि प्रदेश में हजारों और लाखों की संख्या में फैले हुये ऐसे अध्यापकगण काफ़ी सहयोग देते थे और रविवार की छुट्टियों में काफ़ी काम करते थे। अब एक ऐसा उपबन्ध रखना जिससे वे अपने अधिकारों से वंचित हो जायं नामुनासिब चीज है।

इसके अलावा, अध्यक्ष महोदय, पंचायतों के संचालन के बारे में चार पांच साल के प्रयोग के बाद हम इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि चाहे वे न्याय पंचायतें हों, चाहे ग्राम पंचायतें हों वे सफलतापूर्वक उसी वक्त चल सकती हैं जब कि सरकार अपने रेवेन्यू से उनको कुछ धन दे और वह धन ग्राम पंचायतें अपने निर्माण कार्यों में, सड़कें बनाने में, नये सिरे से मकान बनाने में, पार्क बनाने में और सार्वजनिक कार्यों के करने में व्यय करें। उनको एक्सपर्ट्स दिये जायं, इंजीनियर्स दिये जायं। लेकिन सरकार जो कुछ व्यवस्था करती है वह पंचायत राज के सेक्रेटरियों या चपरासियों वगैरह की तनख्वाह दे देती है और इसके अलावा कोई ठोस सहायता प्रान्तीय बजट से उनको नहीं दी जाती है जिससे कि वे निर्माण के कार्य कर सकें। अध्यक्ष महोदय, रूस की पंचायतों से कभी-कभी हमारी सरकार तुलना किया करती है। लेकिन रूस में काफी आर्थिक सहायता इन पंचायतों को वहां की सरकार की ओर से दी जाती है और वहां इन पंचायतों की ओर से नए-नए गांवों का निर्माण हो रहा है। लेकिन ऐसी व्यवस्था इस विधेयक में नहीं है। हमने यह मांग की थी कि कम से कम हर प्रकार की रेवेन्यू में से २५ प्रतिशत गांव पंचायतों को निर्माण कार्यों के लिये दिया जाना चाहिये। सेलेक्ट कमेटी का नाम लेना मुनासिब नहीं है। हम लोग १० प्रतिशत तक उतर आये थे लेकिन वह मांग भी ठुकरा दी गयी और उसका इसमें कहीं पता नहीं है।

अध्यक्ष महोदय, सरकार उनसे मालगुजारी वसूल कराती है। लेकिन बहुत थोड़े गांव पंचायतों को यह काम दिया गया था। लेकिन इसमें भी सरकार की राय है कि पंचायतें इस काम में असफल रहीं। हमारी राय है कि गांव पंचायतों से मालगुजारी वसूल कराने के लिये जितने आप के सरकारी अमीन और मुलाजिम हैं वह सब गांव पंचायतों की मुलाजमत में रख दिये जायं ताकि साढ़े छः प्रतिशत या दस प्रतिशत उनको कमीशन मिल जाय। इस हालत में भी उनकी आर्थिक सहायता हो सकती है। लेकिन यह बात भी इसमें अनिवार्य रूप में या निश्चित रूप में नहीं रखी गई है। कहा यह गया है कि जो-जो पंचायतें इस काबिल होंगी उनको यह अधिकार दिये जायंगे। जब कि रेवेन्यू विभाग के नीचे के स्तर में और गांव पंचायतों में एक संघर्ष चल रहा है तो ऐसी हालत में सरकारी कर्मचारी कहेंगे कि गांव पंचायतें ठीक तरह से काम नहीं कर रही हैं। उनका कार्य हो सकता है। कई गांव पंचायतों का एक क्षेत्र

[श्री रामनारायण त्रिपाठी]

बना कर उसमें अमीन या नायब तहसीलदारों को उनके अधिकार में रख दिया जाय और गांव पंचायतों को वही पावर्स दे दी जायँ जो इनको होती हैं। तब यह दिक्कत नहीं होगी। यह कहना कि गांव पंचायतें वसूल नहीं कर पाती हैं, मुनासिब नहीं मालूम होता है।

अध्यक्ष महोदय, बार बार हमारी तरफ से कहा गया है कि प्रदेश की जनता पर टैक्सों का भार सैचुरेटेड प्वाइंट तक पहुंच सकता है। इस पर भी नये नये टैक्स लगाये जा रहे हैं, जैसे पानी पर टैक्स, रोशनी पर टैक्स, जानवरों पर टैक्स, गाड़ी पर टैक्स और भी अनेक प्रकार के टैक्स लगाये जा रहे हैं, जो गांव पंचायतों को बदनाम कर देंगे। वसूली तो इनसे कुछ होगी नहीं, व्यर्थ में गांव पंचायतें बदनाम होंगी और असफल होंगी। ऐसे भी बहुत से टैक्स हैं जिनको डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स वसूल करते हैं और गांव पंचायतें भी वसूल करती हैं। जैसे बैलगाड़ी तथा अन्य चीजों पर टैक्स लगाने का अधिकार डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स को भी है और इन पर पंचायतें भी टैक्स लगायेंगी, इस तरह से दोहरा टैक्सेशन हो गया है। मैं कहता हूं कि हमें तो सरकार से ऐसी आशा थी कि कोई ऐसा रास्ता निकालेगी कि जिससे एक ही जगह पर टैक्स वसूल हो और एक ही को अधिकार हो और जो रुपया इकट्ठा हो उसका आपस में बंटवारा किया जाय। लेकिन इतने लम्बे चौड़े विधेयक के तैयार करने के बाद भी मामला वैसे का वैसा ही रहा।

अध्यक्ष महोदय, इस सारे विधेयक में प्रेस्क्राइब्ड अथारिटी की इतनी भरमार है यानी यह नियत अधिकारी इस विधेयक की जान है। यदि इस शब्द को इसमें से निकाल दिया जाय तो इस विधेयक की जान ही निकल जायगी। लेकिन इसकी कोई परिभाषा नहीं है कि कौन प्रेस्क्राइब्ड अथारिटी होगी। अध्यक्ष महोदय, आप उस कमेटी के चेयरमैन रह चुके हैं, आपके जमाने में खेर कमेटी में टाउन एरिया और डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स के लिये अपनी रिपोर्ट में यह सुझाव दिया कि जिला बोर्डों तथा म्युनिसिपल बोर्डों के संचालन के लिये प्रान्तीय स्तर पर एक प्राविंशियल लोकल सेल्फ गवर्नमेंट बोर्ड होना चाहिये। हमारी राय यह है कि जिले के स्तर पर ऐसी संस्था होनी चाहिये, जिसको नियत अधिकारी माना जाय यानी प्रेस्क्राइब्ड अथारिटी माना जाय और सरकार को सरकारी कर्मचारियों के रूप में काफी खर्चा देना चाहिये। जिले में इसका दफ्तर होना चाहिये और जो काम प्रेसक्राइब्ड अथारिटी के लिये रखे गये हैं वे सब चीजें इसी संस्था को दी जानी चाहिये। मैं समझता हूं कि प्रेस्क्राइब्ड अथारिटी को पंचों की नामजदगी का अधिकार है और ग्राम पंचायतों को बैठक बुलाने का अधिकार है।

श्री अध्यक्ष---आप जरा संक्षेप में कहिये।

श्री रामनारायण त्रिपाठी---मैं अभी खत्म किये देता हूं। इस तरह से अध्यक्ष महोदय, मैंने बतलाया है कि हम समझते थे कि सरकार इस विधेयक में समुचित परिवर्तन करेगी और जो वास्तविक कठिनाइयां पंचायतों की हैं वे हल होंगी, लेकिन वह कुछ नहीं हो रहा है। मैं समझता हूं कि यह जो अधिकार लिये जा रहे हैं, इनसे गांव पंचायतें और भी कुंठित हो जायंगी और व्यर्थ में वह बदनाम हो जायंगी। मैं समझता हूं कि इससे सरकार सही मानों में इनको चलाना नहीं चाहती है। अगर वह इनको चलाना चाहती है तो पूरे सरकारी नियंत्रण में चलाना चाहती है, जो प्रजातंत्र के सिद्धांत के विरुद्ध है।

श्री अध्यक्ष---(श्री मुहम्मद शाहिद फ़ाखरी के खड़े होने पर) मैं यह जानना चाहूंगा कि आप कोई संशोधन लाना चाहते हैं या विरोध करना चाहते हैं? या यह चाहते हैं कि यह सिलेक्ट कमेटी को दोबारा भेजा जाय?

श्री मुहम्मद शाहिद फाखरी (जिला गोंडा)---बाद को लाऊंगा।

श्री अध्यक्ष---अगर आप लाना चाहते हैं तब तो बोल सकते हैं.....

श्री मुहम्मद शाहिद फाखरी--बाद को लाऊंगा, लेकिन अगर वह कमी पूरी हो जायेगी.....

श्री अध्यक्ष--शायद कुछ नहीं हो सकता। आपको सोच कर आना चाहिये।

श्री मुहम्मद शाहिद फाखरी--मुझे इसमें से कुछ चीजों पर इख्तलाफ है।

श्री अध्यक्ष--इख्तलाफ करने के लिये भी जब तक आप का कोई संशोधन नहीं होगा तब तक आप नहीं बोल सकते। सेलेक्ट कमेटी से आने के बाद अगर विरोध होता है तो पूरे बिल का विरोध होता है, जैसा कि श्री राम नारायण त्रिपाठी ने किया या कोई ऐसा संशोधन आ सकता है कि यह सेलेक्ट कमेटी को फिर से भेज दिया जाय। ऐसा कोई कहने वाले हों, तो वह बोल सकते हैं।

श्री मुहम्मद शाहिद फाखरी--तो मैं अर्ज करूंगा कि दोबारा सेलेक्ट कमेटी को भेज दिया जाय।

मोहतरम स्पीकर साहब, बुनियादी तौर पर इस बिल के अन्दर बाज खामी हों या बाज अच्छाइयां हों, उस पर तो.....

श्री अध्यक्ष--पहले आप संशोधन तो पेश कीजिये।

†**श्री मुहम्मद शाहिद फाखरी**--मैं चाहता यह हूं कि इसमें बाज क्लाज ऐसे हैं जिनको तशरीह के लिये यह जरूरी है कि इस बिल को सेलेक्ट कमेटी के सामने भेज दिया जाय और दोबारा इस पर ग़ौर किया जाय।

जनाब वाला, मैं जनाब के जरिये से आनरेबिल मिनिस्टर की तवज्जह बाज क्लाजेज की तरफ दिलाना चाहता हूं। आपने इस बिल में जो अमेंडमेंट किये हैं उनमें कहीं पर तो अल्फाज बढ़ाये हैं, या जुमले बढ़ाये हैं तो वह कानूनी जरूरत के मुताबिक़ बढ़ाये हैं, लेकिन क्लाज फ़ाइव (थी) जो आपने बढ़ाया है उसको देख कर मुझे आश्चर्य हुआ, ताज्जुब हुआ कि उसकी जरूरत क्या पड़ी? जहां तक मेरी मालूमात का ताल्लुक़ है, जो मूल ऐक्ट है उसके अन्दर किसी खास क्वालीफिकेशन का प्रधान या प्रेसीडेंट के लिए कोई जिक्र नहीं था। लेकिन इस क्लाज में मेरे पास इत्तफाक़ से हिन्दी की कापी नहीं है, अंग्रेजी की कापी जो सरकार की तरफ से बंटी है उसको पढ़ कर इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि यह अल्फाज किस जरूरत के मातहत यहां पर रखे गये कि, "A member of a Gaon Sabha shall not be qualified to be chosen as Pradhan unless he is not less than 30 years of age." इससे मुझे कोई इख्तलाफ नहीं, लेकिन "and, except where the prescribed authority may ralax, knows to read and write Hindi in Devnagari characters."

जनाब वाला, जहां तक इस गलतफहमी का ताल्लुक़ है, जो कुछ कहने पर हो जाती है, मैं यह अर्ज करता हूं कि आप इसी जगह पर कितने ही इन चीजों के लिये कानून बनाये, मैं उसका अपने हृदय से, तन से, उसकी ताईद करने के लिये तैयार हूं, लेकिन यह मेरी समझ में नहीं आता कि जहां क्वालीफिकेशन आप मुक़र्रर करते हैं वहां असेम्बली के लिये, कौंसिल आफ स्टेट के लिए पार्लियामेंट के लिये, यानी हाउस आफ पीपुल के लिये कहीं भी इस किस्म की कोई कैद नहीं है कि वह एक खास किस्म की इबारत, एक खास किस्म के रस्मुलखत में जब तक वह नहीं जानता है तब तक वह उसके लिये क्वालिफाइड नहीं माना जायगा। अपने कांस्टीट्यूशन, जो हमारी सब से बड़ी क़ीमती चीज है, उसके अन्दर भी जहां हिन्दी के जानने वाले, उर्दू के जानने

---

†वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री मुहम्मद शाहिद फाखरी]

वाले, अंग्रेजी के जानने वाले बहुत बड़े काबिल मौजूद थे, उन्होंने इस जरूरत का एहसास नहीं किया कि यह कैद लगायी जाय, लेकिन आपने कानून के पेचीदा अल्फाज में इस तरह की पाबन्दी लगायी है कि जिसका नतीजा यह होगा कि बहुत से लोग जो इस वक्त तक हिन्दी बोलना अच्छी तरह जानते हैं, लेकिन देवनागरी स्क्रिप्ट को नहीं जानते होंगे तो वह खड़े न हो सकेंगे। मैं समझता हूं कि यह इंसाफ से बईद है। इसलिये मेरी यह राय थी कि इसको दोबारा गौर करने के लिये भेज दिया जाय। मुझे आपसे यह अर्ज करने में तकलीफ सी महसूस होती है कि आज जब कि हम बहुत सी खराबियों को दूर करते जा रहे हैं तो गांव सभा के और पंचायत राज के इस ऐक्ट के मातहत छोटी छोटी कमेटियों में ऐसी कैदें क्यों लगाते जा रहे हैं? क्या इसका मंशा है? फर्ज कीजिये अगर मैं यह शुबहा करूं और मुझे हक है शुबहा करने का कि एक आदमी उर्दू भी जानता है, अंग्रेजी भी जानता है, संस्कृत भी जानता है और बहुत से रस्मुलखतों के जानने वाला है लेकिन अगर वह हिन्दीके रसमुलखत से वाकफियत नहीं रखता तो इस बिना पर आप उसे मुल्क की इस खिदमत से मजबूर कर देंगे। इस क्लाज के अन्दर मैं समझता हूं कि जो चीज रखी गयी है वह मुखालिफत करती है कांस्टीच्यूशन के उन क्लाजेज की जिनमें जबान की कोई क़ैद नहीं रखी गयी है और जिनके अन्दर किसी भी एलेक्टेड बाडी के लिये हमको खड़े होने की इजाजत दी गयी है। उसका यह क्लाज विरोध करता है, मुखालिफत करता है और उसका ऐंटी है। लिहाजा मैं अदब के साथ आपके सामने झुक कर यह अर्ज करूंगा कि इस मजीद ग़लतफहमी से बचाने के लिये इस क्लाज को आप डिलीट कर दें, इसको निकाल दें। जनाबवाला, मैं यह भी अर्ज करना चाहता हूं कि जहां तक अल्फाज का ताल्लुक है उसके बारे में फरमाया जा चुका है। आपने यहां पर जिस तरीके से इबारत को रखा है अगर वह एग्जेम्प्ट न कर दे तब आप यह लाते हैं कि "नोज टू रीड आर राइट हिन्दी"। अगर फर्ज कर लीजिये कि वह रिलेक्स कर देता है, एग्जेम्प्ट कर देता है तो फिर आपका यह मंशा पूरा नहीं होता है। तो फिर जब आप इस मंशा को पूरा करने पर भी बहुत ज्यादा जोर नहीं देते हैं तो कानून के जाब्ता अल्फाज में इसे रखना मैं किसी तरह भी इस मुअज्जिज ऐवान के लिये मुनासिब नहीं समझता हूं। हमारे ऐसे लोग जिनके चेहरे पर दाढ़ी भी हो, चाहे वह किसी भी पार्टी से ताल्लुक रखते हों, ऐसे मौके पर कोई बात कहते हुये डरते हैं कि कहीं दूसरे आनरेबिल मेम्बर इसलिये एतराज न कर दें कि यह उर्दू का हामी है। मुझे इसमें कोई जर्रा बराबर भी शर्म नहीं मालूम होती है यह कहने में और न यह हमारे या हमारी कांग्रेस के उसूल के खिलाफ ही है, बल्कि यह हमारे ऐवान के उसूलों के बिलकुल मुताबिक है। एक जबान को अच्छी से अच्छी काबिलियत रखते हुये भी महज इस बिना पर कि वह एक खास रसमुल खत की नहीं जानता है उसे खड़े होने से महरूम कर दिया जाय, यह न तो इस ऐवान का उसूल है और न कांग्रेस का या हमारे कांस्टीच्यूशन का ही उसूल है। इसलिये मैं बाअदब जनाबआला से दरख्वास्त करता हूं इन मजीद दिक्कतों से खड़े होने वालों को और हम सब को बचाने के लिये आप इस क्लाज से हमको मुस्तसना करा दें। आप इस क्लाज को निकाल दें।

जहां तक ३० वर्ष तक एज रखने का ताल्लुक है मैं समझता हूं कि ३० वर्ष कुछ ज्यादा है। मैं चाहता था कि २५ वर्ष तक की ही क़ैद हो लेकिन अगर आप के नजदीक मुनासिब यही हो कि ३० वर्ष रखें तो मुझे कोई ज्यादा एतराज नहीं है। लेकिन इस सेक्शन के दूसरे हिस्से को जो आखिरी सतरें हैं उनको हम किसी तरह भी इंसाफ और दयानत के मुक्तजी नहीं समझते हैं। अगर वह बाकी रहती हैं तो एक तरीके से कांस्टीट्यूशन की भी खिलाफवर्जी होगी और आप की वसीउल नजरी और वसीउल कल्बी जो दुनिया के अन्दर मशहूर है उसके ऊपर एक धब्बा आयेगा कि एक सेक्शन को, किसी कौम को जो सूबे के अन्दर एक बड़ी खिदमत करना चाहती है, उस पर एक जरा सी कैद लगा कर उस खिदमत से महरूम कर दिया। इन अल्फाज के साथ मैं अर्ज करूंगा कि अगर यह चीज गौर करने से बाकी रह गयी है तो इस बिल को सेलेक्ट कमेटी को भेज दिया जाय या मिनिस्टर साहब मेरे मारूजा को, जो मैंने अदब से अर्ज किया है, उससे इत्तफाक करें और जो मेरे उधर के भाई ने राय का इजहार किया मैं उनकी इस राय से सहमत हूं कि इस हिस्से को निकाल दिया जाना चाहिये।

महाराजकुमार बालेन्दुशाह (जिला टेहरी-गढ़वाल)---अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय स्वशासन मंत्री के प्रस्ताव का घोर विरोध करता हूं।

स्वशासन मंत्री महोदय ने अपने भाषण में हमको बताया कि संयुक्त प्रवर समिति के द्वारा जो संशोधित विधेयक पहले इस सदन के सम्मुख प्रस्तुत किया गया था उसमें और जो इस समय विधेयक हमारे सामने है उसमें काफी परिवर्तन हैं। कुछ हद तक उन्होंने हमको यह परिवर्तन बताये। मगर मैं यह नहीं समझ पाया कि इसमें और पहले विधेयक में विशेष क्या परिवर्तन है। जनता ने बहुत देर तक इंतजार किया। हमारे माननीय स्वशासन मंत्री ने एक प्रकार का अविश्वास का आरोप भी सहा और अन्त में नतीजा यह निकला कि हमारे मंत्री महोदय ने हमारे सामने यह विधेयक रखा। इसमें और पहले विधेयक में क्या अन्तर है ? जहां तक मैं देख पाया विशेष अन्तर यही है कि जहां पहले विधेयक में एक अनुचित और अवैधानिक क्लाज था जिसके द्वारा कम्पल्सरी लेबर का प्राविजन किया गया था वह इस नये विधेयक में नहीं पाया जाता और चन्द एक मौखिक संशोधन हुये हैं। इनको छोड़ कहीं भी कोई विशेष परिवर्तन नहीं पाया जाता। हां, यदि कुछ महत्वपूर्ण परिवर्तन होते जैसे सभापति आदि की अवधि पांच साल से तीन साल रखने का विचार था और कुछ समय तक यह विचार प्रवर समिति ने स्वीकार भी किया किन्तु दुर्भाग्य से.....।

श्री अध्यक्ष---मैं समझता हूं कि प्रवर समिति की कार्यवाही के बारे में आप जिक्र न करें।

महाराजकुमार बालेन्दुशाह---मैं क्षमा चाहता हूं। तो प्रवर समिति ने एक बार विचार अवश्य किया, परन्तु किसी कारण, और कारणों को बताना इस समय आवश्यक नहीं, हालांकि प्रवर समिति के कई सदस्यों की यह राय थी कि वह विधेयक इस रूप में .....।

श्री अध्यक्ष---मैं माननीय सदस्य से कहना चाहता हूं कि प्रवर समिति के अन्तर्गत हुई कार्यवाही का कोई विशेष जिक्र न करें।

महाराजकुमार बालेन्दुशाह---मैं आपसे क्षमा चाहता हूं। अब मैं विशेष कर विधेयक पर ही आता हूं। सबसे पहले जो इसमें आपत्तिजनक बात है वह जैसा हमारे माननीय रामनारायण त्रिपाठी जी ने कहा कि विधेयक पंचायत राज विधेयक तो इतना नहीं दिखलायी देता जितना प्रेस्क्राइब्ड अथारिटी का विधेयक दिखायी देता है। जहां कोई महत्वपूर्ण काम होगा प्रेसक्राइब्ड अथारिटी के हाथ में वह काम सुपुर्द कर दिया गया है।

श्री मुहम्मद शाहिद फाख़री---प्वाइंट आफ आर्डर सर। माननीय अध्यक्ष महोदय, जनाब अभी फरमाया था कि या तो इसकी मुखालिफत में तकरीर हो सकती है या मुआफिकत में मेरे ख्याल में शाह साहब का कोई अमेंडमेंट तो है नहीं। इसमें जो आपने राय लिखी है वह यह है ---

"Reserving right to move amendments in regard to certain decisions of the Select Committee"

तो मैं यह अर्ज कर रहा था कि चूंकि उन्होंने अमेंडमेंट पेश नहीं किया लिहाजा वह इस पर कैसे तकरीर कर सकते हैं।

श्री अध्यक्ष---वह पूरे विधेयक की मुखालिफत कर रहे हैं, उन्होंने पहले ही यह कह दिया था।

महाराजकुमार बालेन्दुशाह---अध्यक्ष महोदय, जैसा मैं कह रहा था इस विधेयक में जो प्रेस्क्राइब्ड अथारिटी का जो प्राविजन है वह बहुत ही आपत्तिजनक प्राविजन है। उसके

[महाराजकुमार बालेन्दुशाह]

सम्बन्ध में यह दुख की बात है कि प्रवर समिति ने इसके सम्बन्ध में कोई संशोधन का सुझाव नहीं दिया। यह एक आपत्तिजनक बात है कि डेफिनीशन क्लाज में प्रेस्क्राइब्ड अथारिटी की कोई परिभाषा नहीं पायी जाती। लेकिन प्रेस्क्राइब्ड अथारिटी पर इतना काम सुपुर्द है और वह एक इतने महत्व की कमेटी बनेगी, किन्तु यह दुख की बात है कि यह निश्चित रूप से तै नहीं हो पाया कि यह प्रेस्क्राइब्ड अथारिटी होगी क्या चीज और इसके सदस्य कौन लोग होंगे और यह कहना कि इस बात का निर्णय पीछे किया जा सकता है मैं समझता हूं कि यह एक प्रकार से 'काट बिफोर दो हार्स' (अन्धे को आयना दिखाना) वाली कहावत चरितार्थ होगी। जबकि पूरा विधेयक, प्रेस्क्राइब्ड अथारिटी के चारों तरफ घूम रहा है, पंचायतों के चारों ओर नहीं तो जब प्रेस्क्राइब्ड अथारिटी इतना महत्वपूर्ण स्थान रखती है तो यह एक अजीब सी बात है कि उसकी कोई परिभाषा नहीं पायी जाती। अगर परिभाषा नहीं की जा सकती थी तो कम से कम इतना अवश्य होना चाहिये था कि परिभाषा के क्लाज में कोई ऐसा क्लाज होता कि प्रेस्क्राइब्ड अथारिटी की परिभाषा रूल्स में होती। इस समय जबानी कहा जाता है कि परिभाषा इसकी पीछे होगी, क्योंकि इस वक्त तक मंत्री महोदय ने यह फैसला नहीं किया कि इस प्रेस्क्राइब्ड अथारिटी के सदस्य कौन कौन लोग होंगे।

इसलिए मैं न्याय पंचायतों के सम्बन्ध में भी कुछ कहना चाहूंगा। जहां तक मैं देख पाता हूं यह एक रिट्रोग्रेसिव विधेयक है। जहां तक हमारी पंचायतें पहुंच चुकी थी वहां से यह एक कदम पीछे हटती जा रही है। मैं मानता हूं कि यह सब मानेंगे कि पंचायतें अभी तक बहुत अच्छी तरह से नहीं चल रही थी लेकिन इस सम्बन्ध में एक्सेपशंस हो सकते हैं। मैं यह कहूंगा कि इसमें एक यूनीफार्म और जनरल ओपीनियन फार्म करना गलत होगा। किन्तु यह स्वीकार कर लिया जाय कि बहुत जिलों में अभी तक पंचायतों का अनुभव उतना अच्छा नहीं रहा, जितनी की आशा की गयी थी या जितनी की उम्मीद की जाती थी लेकिन इस कारण एक ऐसा उल्टा कदम उठाना तथा ऐसा घोर अविश्वास जनता पर लादना कि वह अपनी देखभाल करने के अयोग्य है मैं समझता हूं कि इससे अच्छा यह होता कि पंचायत राज्य का विधेयक खत्म कर दिया जाता और जो पाखंड चल रहा है उससे जनता को छुट्टी दिलायी जाती। या तो जनता को अपना शासन चलाने का अधिकार दिया जाता या अधिकार न दिया जाता, लेकिन यह बीच का रास्ता अख्तियार करना उचित नहीं प्रतीत होता। यदि इस सम्बन्ध में यह कहा जाता है कि जनता अपनी देखभाल करने के अयोग्य है और अगर यह कहा जाता है कि यदि जनता को अपनी न्याय पंचायतों के लिये पंच चुनने का अधिकार दिया जाता है तो गांव के जो गुन्डे हैं या लट्ठमार लोग हैं वे इन न्याय पंचायतों के पंच चुने जायेंगे। यदि इससे यह नतीजा निकाला जाता है कि जनता अपना मत सही रूप से देने के अयोग्य है तो मैं पूछता हूं कि हम सब इस सदन में बैठने के अधिकारी किस हैसियत से हैं। मेरे कहने का मतलब यह है कि हमको छांटने के लिये जनता योग्य है लेकिन अपनी पंचायतों के लिए प्रतिनिधि छांटने के अयोग्य है, मैं समझता हूं कि यह चीज तर्कविहीन रहेगी। इसलिए मैं अब भी मंत्री महोदय से प्रार्थना करूंगा कि वह इस पर फिर विचार करें, क्योंकि यह एक ऐसा रिट्रोग्रेसिव स्टेप है जिससे पंचायत राज्य के सिद्धांत पर बुरा असर पड़ेगा। इसी तरह से न्याय पंचायतों के नामिनेशन के बारे में जो कहा जाता है कि कहीं दुनियां भर में यह नहीं पाया जाता कि जुडिशियरी इलेक्टेड हो इसे हम मानते हैं कि नहीं पाया जाता, लेकिन जुडीशियरी इलेक्टेड न होने का कारण एक यह है कि जो व्यक्ति कल लिटीगेंट की हैसियत से उस जुडीशियरी के सामने पहुंचे तो उनका छांटा हुआ जज न हो। यहां पर यदि ऐसा प्रबन्ध कर दिया जाय कि जो एलेक्टेड बाडी हो यदि वही दोबारा न्याय पंचायत को छांटे तो ठीक होगा। यदि कोई इस प्रकार का संशोधन हो जिसके द्वारा सेलेक्शन दोबारा हो सके तो उचित होगा। और इसमें यह अधिकार प्रेस्क्राइब्ड अथारिटी को देना और वह ऐसी प्रेस्क्राइब्ड अथारिटी जो जीवित भी नहीं है, उसके हाथ में देना मैं समझता हूं कि बहुत ही अनुचित है।

अध्यक्ष महोदय, प्रेसीडेंट इत्यादि की अवधि का समय भी एक बहुत महत्वपूर्ण है और मैं समझता हूं कि यदि अभी तक इसी प्रकार से पंचायतों का काम चल रहा था तो उसका लाभ उठाया जाता। मैं समझता हूं कि माननीय मंत्री जी अगर यह स्वीकार करते कि ३ साल के बजाय दो साल कर दिया जाय और मैं नहीं समझता हूं कि उनको यह स्वीकार करने में क्या आपत्ति हुयी। यदि यह सम्भव होता तो इससे एलेक्शन की फ्रीक्वेन्सी बढ़ जाती, किन्तु इसके साथ साथ यह लाभ होता कि यदि कोई ऐसा व्यक्ति किसी कारण पदाधिकारी बनाया जाय तो उसको हटाने का यह सरल तरीका है कि उसकी अवधि लम्बी न हो और मैं यह समझता हूं कि पंचायत राज के सिद्धांत के लिए यह पापुलर इन्सटीट्यूशन की अच्छी बात होती।

इस समय अधिक कहने का समय नहीं है। अन्त में मैं इतना ही कहूंगा कि जो इस समय एज ३० साल रखी गयी है वह अनुचित है। जो वर्तमान स्थिति गांव में पायी जाती है उसको ध्यान में रखते हुए और साथ साथ यह भी ध्यान में रखते हुए कि इस समय इस विधेयक के द्वारा कुछ हद तक शिक्षित होने का संशोधन भी इसमें रखा गया है। मैं समझता हूं कि मैं गलत हो सकता हूं। किन्तु मैं अपने जिले के बारे में सही रूप से कह सकता हूं कि मेरे जिले के लिए और खासकर पहाड़ी जिलों के लिए इस अवधि ३० साल के स्थान पर २५ कर दी जाय तो इसमें सुभीता रहेगा। इस सम्बन्ध में माननीय मंत्री जी से प्रार्थना करूंगा कि वह इस विषय पर दोबारा विचार करें।

श्री अध्यक्ष--किसी को कोई खास बात कहनी हो तो वह कह सकता है। किसी को विरोध में कुछ कहना हो या संशोधन के पक्ष में कुछ कहना हो तो कह सकता है किन्तु वैसे मैं इस पर बोलने के लिए हर एक को इजाजत नहीं दूंगा।

†श्री रामेश्वरलाल (जिला देवरिया)--माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं इस बिल का विरोध करते हुए खास विषय की ओर माननीय मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं जिसका जिक्र माननीय मंत्री जी ने अपने भाषण में किया था। माननीय मंत्री जी ने श्रमदान का जिक्र करते हुए अपने भाषण में इस सदन का ध्यान कुछ बातों की तरफ दिलाया था। मैं उसके ऊपर ही सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। श्रम के सम्बन्ध में मैं इस बिल के पैराग्राफ ३७ (४) में जो आया है उसको पढ़कर सुना देना चाहता हूं उसके शब्द यह हैं कि:--एनी परसन....

श्री अध्यक्ष--यह तो निकाल दी गयी है। आप अभी तक भ्रम में ही भाषण कर रहे थे। अब कृपा कर आप बैठ जायं।

श्री मोहनलाल गौतम--माननीय अध्यक्ष महोदय, नियम के अनुसार ही बहस का समय तो है नहीं। जो बातें इस समय विरोध में कही गयी हैं उनका कुछ उत्तर मैं देना चाहता हूं। श्री रामनारायण जी ने कहा है कि पंचों का नामिनेशन होगा। उसे आप नामिनेशन कहें या चुने हुए तरीके से एक सलेक्शन कहें, यह लफ्जी बहस है और मेरा ख्याल है कि उसको सबसे मुनासिब समझा गया है। मैं कई बार पहले यहां यह कह चुका हूं और आज फिर दोहराना चाहता हूं कि सोशलिस्ट पार्टी के किसी भी पालिसी और प्रोग्राम के स्टेटमेंट में आज तक उन्होंने जुडिशियरी को इलेक्टेड नहीं बताया और अब मैं उस दिन के इन्तजार में हूं जब सोशलिस्ट पार्टी इलेक्टेड जुडिशियरी की हामी होगी। इसलिए यह कहना कि हम इलेक्टेड चाहते हैं, बिलकुल गलत है दूसरी बात यह है कि कांग्रेस पार्टी ने इलेक्टेड जुडिशिरी का एक्सपेरीमेंट साढ़े चार साल तक किया, लेकिन आज नौबत यह है कि बहुत सी पंचायतें अच्छा काम कर रही हैं। इस बात से भी आंख फेरी नहीं जा सकती और इस बात को भी

---

†वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री मोहनलाल गौतम]

हम नजरन्दाज नहीं कर सकते कि बहुत सी न्याय पंचायतों में अन्याय भी हो रहा है। वह लेजिस्लेचर अपने फर्ज को अदा नहीं करेगी जो साढ़े चार साल के तजुर्बे के बाद खराबियों को दूर न करे। पहले पंच लोग गांव सभा का विश्वास प्राप्त कर लें और उसके बाद वे चुने जावेंगे। इससे अच्छा तरीका और कोई नहीं है। अगर आयन्दा इसमें कुछ खराबी होगी तो अगले अमेंडमेंट के समय उसे ठीक किया जा सकता है।

एक बड़ी भारी बात कही गयी कि ससपेंशन और रिमूवल का इलैक्टेड आदमियों को अधिकार नहीं दिया गया है। किसमें अधिकार नहीं है? मैं कहना चाहता हूं कि अगर इस सदन के माननीय सदस्य यह समझते हों कि वे जो चाहें करें और वे रिमूव नहीं हो सकते, तो वे गलती पर हैं। इलेक्टेड आदमी का अधिकार होता है कोई खास काम करने का। उसके दो पहलू हैं। इलैक्टेड आदमी का तो अधिकार है ही लेकिन जिनके ऊपर वे अधिकार प्राप्त किये हुए हैं उनका भी अधिकार है। क्या कोई यह कह सकता है कि इलेक्टेड आदमी को जुल्म करने का अधिकार है, लेकिन जिन पर वह जुल्म किया जा रहा है। उनको रक्षा पाने का अधिकार नहीं है? हर इलैक्टेड आफिस में ससपेंशन और रिमूवल का राइट है। आया दूसरे लोकल बाडीज के ऐक्ट उनकी निगाह से निकल गये हैं।

३० साल की बात कही गयी और उस पर कुछ लोगों को उकसा देना बहुत आसान बात है। पंचायतों का आधार अब तक हेड्स आफ फेमिली का रहा है। यह आम तौर से हमारे यहां प्रथा रही है कि हेड आफ दि फेमिली पंचायत में बैठे। उनका असर होता है। बच्चा चाहे जितना बुद्धिमान हो लेकिन पिता का कहना मानता है और उस पिता की इज्जत करता है। इसलिए वहां अगर ३० साल की थोड़ी सी मैजारिटी आ जाय और जो कुछ खराबियां आ रही हैं उनको दूर किया जाय तो कोई नामुनासिब बात नहीं है।

बैलट की बात कही गयी। सिद्धांत में मैं बैलेट की मुखालिफत नहीं करता। लेकिन सवाल यह है कि वह प्रैक्टिकल है या नहीं। इसमें बैलेट एक्सक्लूटेड नहीं है। श्री रामनारायण जी ने और शाह साहेब ने ३ साल की बात कही। यह डेमोक्रेसी और चुनाव का बहुत अच्छा उद्देश्य है। मैं उन सब बातों को मानता हूं, लेकिन उनके ऊपर एक बात और है वह यह कि जहां तक डेमोक्रेसी का ताल्लुक है इट इज नोट एन ऐन्ड इन इट सेल्फ, इट इज ए मीन्स टू ह्यूमन हैपीनेस। अगर आप हर साल इलेक्शन कराते जायं और जनता को उस डेमोक्रेसी से कोई लाभ न हो तो जनता यही कहेगी टाउन विद योर डेमोक्रेसी विद रिजल्ट्स। इस वक्त गांवों के लिये चार इलेक्शंस हैं। एक पार्लियामेंट का दूसरा स्टेट लेजिस्लेचर का, तीसरा डिस्ट्रिक्ट बोर्ड का और चौथा गांव सभाओं का। अभी तो पार्लियामेंट और लेजिस्लेचर का एक साथ ही होता है लेकिन वह दिन भी आ सकता है जबकि अलग अलग हों जैसा कि ट्रावनकोर कोचीन में हुआ है तथा पेप्सू में हुआ है। इस प्रकार से पार्लियामेंट के इलेक्शन यहां भी कभी अलहदा हो सकते हैं। यह संभावना हो सकती है। इससे हमें नजर नहीं बचाना चाहिये। गांव में एक वर्ष में एक इलेक्शन से मेरी मंशा यह थी कि गांव में बहुत सा सीजन ऐसा होता है जबकि इलेक्शन्स नहीं हो सकते। जैसे बरसात में नहीं हो सकते, गांवों में बहुत से मेले भी होते हैं, त्योहार होते हैं उनके समय भी नहीं हो सकते, तीसरे फसल के मौके पर भी नहीं हो सकते। पिछले इलेक्शन्स के समय हमको कई जगह इन कारणों से इलेक्शन पोस्टपोन करने पड़े। इस प्रकार से वर्ष में ऐसे बहुत कम दिन रह जाते हैं जबकि इलेक्शन कराया जा सके। इसलिये मेरी राय यह है कि एक वर्ष में एक ही इलेक्शन रक्खा जाय। अगर ऐसा किया जायगा तो मेरा ख्याल है कि जनता खुशी होगी। इन चार इलेक्शनों में एक न एक किसी न किसी से टकरायेगा अवश्य, इसलिये मेरी प्रार्थना है कि इसके लिये भी ५ साल की मियाद ही रखना ज्यादा मुनासिब है और बार बार डेमोक्रेसी के नाम पर ३ साल की मांग को न दुहराया जाय।

अभी एक बात कही गयी कि डिस्ट्रिक्ट बोर्डस के एम्पलाइज को क्यों निकाल दिया गया ? किससे ? इलेक्शन से न कि मेम्बरशिप से । गांव सभाओं में जो पहले मेम्बर हो सकते थे उसमें और कुछ ज्यादा ही अधिकार उनको मिल गये हैं। कुछ लोग जो पहले गांव सभाओं के मेम्बर नहीं हो सकते थे वे अब मेम्बर हो सकेंगे । गांव सभाओं के मेम्बर होने का उनका अधिकार नहीं छीना गयाहै, लेकिन इलेक्शन के झगड़े से लोकल बाडीज के एम्पलाइज को अलहदा रक्खा गया है। अगर किसी समय डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स और गांव सभाओं का सम्बन्ध हो गया और किसी समय गांव समाज का प्रेसीडेंट स्कूल टीचर हो गया तो फिर क्या उसका ट्रांसफर करना आसान होगा ? एक तो पहले ही तालीम की हालत बहुत खराब है, फिर और भी खराब हो जायगी । उनके पास जो शिक्षा देने का काम है वही बहुत महत्व का काम है। उनको किसी झंझट में नहीं पड़ना चाहिये । अतः स्कूल टीचर्स को इन झंझटों से बचाना चाहिये, दूर रखना चाहिये ।

जहां तक लैन्ड रेवेन्यू के कलेक्शन का सवाल है यह कहा गया कि उनसे लैन्ड रेवेन्यू के कलेक्शन का अधिकार छीन लिया गया है । ऐसा नहीं किया गया है, लेकिन यह जरूरी नहीं है कि केवल गांव सभा ही लैन्ड रेवेन्यू का कलेक्शन करे । जहां कहीं रेवेन्यू डिपार्टमेंट उन्हें यह अधिकार दे वहां वे वसूली करें, उसमें उनको कोई रुकावट नहीं है । लैम्प्स के टैक्सेज के बारे में भी कहा गया । उसके लिये यह रक्खा गया है कि जिस मुहल्ले से उसकी आमदनी हो उसको ही उस रुपये के द्वारा सुविधा दी जाय । यह इसलिये रक्खा गया है कि कहीं ऐसा न हो कि लोगों को यह शिकायत हो कि साहब टैक्स सबसे वसूल किया गया, लेकिन लालटेन चमार के मोहल्ले में लगायी गयी है, ब्राह्मण के मुहल्ले में नहीं लगायी गयी। इसलिये यह रक्खा गया है कि जिस मुहल्ले से रुपया वसूल हो उसी की सुविधा पर वह खर्च किया जाय । प्रेस्क्राइब्ड अथारिटी के बारे में कई बातें कही गयी हैं तो उसके ऊपर मैं बाद में अर्ज करूंगा । शाहिद साहब ने एक बात देवनागरी लिपि के बारे में कही कि वह इसलिये रखी गयी है, मैं आपको यकीन दिलाना चाहता हूं माननीय अध्यक्ष महोदय की मारफत कि इसमें कोई दयानतदारी या बेईमानी की बात नहीं है । अगर यह लफ्ज उनके दिमाग में बगैर सोचे समझे आ गया हो तब तो मुझे कोई एतराज नहीं है, लेकिन अगर उन्होंने सोच समझ कर ऐसी बात कही हो तब मुझे उसके लिये सख्त एतराज है । मैं समझता हूं कि किसी की दयानतदारी पर हमला करने का उनका मतलब शायद नहीं था ।

श्री मुहम्मद शाहिद फाखरी—मेरा मंशा ऐसा बिलकुल नहीं था ।

श्री मोहनलाल गौतम—तो सवाल सिर्फ इतना है कि इस वक्त यहां पर मैं पंचायत राज विधेयक के सिलसिले में हिन्दी, उर्दू या लैंग्वेज के बारे में कोई विवाद करने के लिये तैयार नहीं हूं । इस कंट्रोवर्सी को मैं और जगह के लिये छोड़ता हूं । लेकिन मेरी दिक्कत तो यह है कि इस देवनागरी का ताल्लुक यहां प्रेसीडेंट से, मिनिस्टर से, लेजिस्लेचर से, सेंट्रल मिनिस्टर से स्टेट मिनिस्टर से या स्पीकर साहब से नहीं है बल्कि हमें तो यह देखना है कि आया कोई पंचायत का सभापति अदालत में जाकर यह कहता है कि साहब यह जो अंगूठे का निशान लगाया हुआ है वह मेरा नहीं है और सेक्रेटरी साहब ने ऐसे ही लिख दिया है । अगर कोई मिनिस्टर बगैर सोचे समझे किसी फाइल पर दस्तखत कर दे तब तो कहने का मौका होता कि मिनिस्टर्स के लिए क्वालीफिकेशन रखना चाहिये, लेकिन जब उस तरह का कोई मौका ही नहीं है तब तक के लिए कुछ कहना बेकार है । जब गांव सभा का सभापति अपने अंगूठे के निशान से इंकार नहीं करता है तब इस तरह का सवाल ही नहीं उठता है । हमारे माननीय रामनारायण जी त्रिपाठी ने कहा कि किसी भी लैंग्वेज में काम करने की इजाजत होनी चाहिये । अगर ऐसा हो गया तब तो कोई गुजराती में, कोई मराठी में, कोई मुड़िया में काम करने लगेगा । इस तरह से हमारे इंसपेक्टर को सारी जबानें जानने की जरूरत पड़ेगी, ताकि वह उनका हिसाब किताब व तमाम प्रोसीडिंग्स देख सके, अगर हर जबान में काम करने की इजाजत दे दी गयी तो हमारे

[श्री मोहनलाल गौतम]

सुपरवाइजरी स्टाफ को इससे बड़ी दिक्कत पेश आयेगी । जहां तक उर्दू का सवाल है अगर किसी गांव में सिर्फ उर्दू ही जानने वाले हों तो वहां के लिए एक्जेम्पशन किया जा सकता है कि वहां उर्दू में काम हो, क्योंकि उर्दू पहले हमारे सूबे की जबान काफी अरसे तक रह चुकी है, लेकिन अगर मुड़िया, मराठी व बंगाली में भी काम होने लगे तो फिर हमारे सुपरवाइजरी स्टाफ के लिए हिसाब रखने व प्रोसीडिंग्स रखने में मुश्किल हो जायगी । उनके ऊपर कंट्रोल रखने व देखभाल करने में दिक्कत पेश आयेगी ।

एक बात शाह साहब ने प्रेस्क्राइब्ड अथारिटी के बारे में यह कही कि यह रेट्रोग्रेडिव स्टेप है । मैं समझता हूं कि इस सम्बन्ध में मुझे ज्यादा कहने की जरूरत नहीं है । इसको मैं बहुत ही डेमोक्रेटिक बिल समझता हूं और मेरा ख्याल है कि जितना बड़ा कदम डेमोक्रेसी की तरफ इस बिल में उठाया गया है उतना दुनियां में बहुत ही कम कदम उठाया गया है । यह बिल साढ़े चार साल के तजुर्बे के बाद आया है और यह डेमोक्रेसी का कदम पीछे की तरफ ले जाने वाला नहीं है । मालूम होता है कि शाह साहब ने बगैर समझे हुए ही इसे रेट्रोग्रेडिव स्टेप कह दिया और मैं समझता हूं कि यह बिलकुल गलत चीज है ।

महाराजकुमार बालेन्दुशाह---मैं बतला दूं कि इसको पिछले से कम्पेअर किया गया था नकि अब जो पंचायत राज बिल है उससे कम्पेअर किया गया था ।

श्री मोहनलाल गौतम---यह सिर्फ खराबियों और खामियों को दूर करने के लिए है । श्री बालेन्दुशाह जो ज्वाइंट सेलेक्ट कमेटी के मेम्बर थे उसकी बाबत उन्होंने तमाम दलीलें सुनी हैं । इसकी बाबत कोई ऐसी चीज नहीं है जो डेमोक्रेसी को कम करने के लिए हो । इन अल्फाज के साथ मैं समझता हूं कि जो मैंने प्रस्ताव रखा है उसको यह सदन स्वीकार करेगा ।

श्री मुहम्मद शाहिद फ़ाख़री---अगर आगे मौक़ा मिलेगा तो मैं और अर्ज करूंगा, लेकिन जैसा कि अभी फ़रमाया गया कि उर्दू के जानने वालों को मुस्तसना रखा जायगा तो मुझे कोई एतराज वापस लेने में नहीं है ।

(सदन की अनुमति से संशोधन वापस लिया गया ।)

श्री अध्यक्ष---प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश पंचायत राज (संशोधन) विधेयक, १९५४ पर, जैसा कि वह संयुक्त प्रवर समिति द्वारा संशोधित हुआ है, विचार किया जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

(इस समय १ बजकर २० मिनट पर सदन स्थगित हुआ और २ बजकर २५ मिनट पर उपाध्यक्ष, श्री हरगोविन्द पन्त, की अध्यक्षता में सदन की कार्यवाही पुनः आरम्भ हुई ।)

खण्ड २

यू० पी० ऐक्ट २६, १९४७ की धारा १ का संशोधन ।

२---(१) यूनाइटेड प्राविंसेज पंचायत राज ऐक्ट, १९४७ (जिसे यहां पर आगे चल कर मूल अधिनियम कह गया है) की धारा १ की उपधारा (२) में से शब्द "the Jaunsar Bawar pargana of the Dehra Dun District and the portion of Mirzapur District, south of Kaimur Range and" निकाल दिए जायं और शब्द "municipality" तथा "notified area" के बीच में आये हुये 'कामा' के स्थान पर शब्द "or" रख दिया जाय ।

(२) मूल अधिनियम की धारा १ की उपधारा (२) के नीचे निम्नलिखित 'स्पष्टीकरण" बढ़ा दिया जायगा :—

"*Explanation*—In this sub-section the expression 'municipality' includes a municipal corporation established in accordance with the law for the time being in force."

श्री उपाध्यक्ष—खंड २ में जो श्री कृपा शंकर जी के नाम पर संशोधन है उसमें कुछ छपने की ग़लती है, वह भी क्या शुद्ध हो जायेगी ?

श्री मोहनलाल गौतम—ठीक हो जायगी।

श्री उपाध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खंड २ इस विधेयक का अंग माना जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खंड ३

३—मूल अधिनियम की धारा २ में—

(१—क) खंड (b) में (शब्द और कामा "male or female," निकाल दिये जायं और) शब्द "completed his or her twenty-first year" के स्थान पर शब्द "attained the age of twenty-one years" रख दिये जायं ; यू० पी० ऐक्ट २६, १९४७ की धारा २ का संशोधन।

(१—ख) खंड (c) में शब्द "case" के स्थान पर शब्द "criminal case" रखा जायगा।

(२) खंड ($\dot{g}$) निकाल दिया जाय।

(३) वर्तमान खंड (*m*) के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय—

'"(*m*) 'revenue case, means a case under the United Provinces Land Revenue Act, 1901, or the U. P. Zamindari Abolition and Land Reforms Act, 1950, or any other law relating to land tenure triable by a Nyaya Panchayat;" U. P. Act III of 1901 U. P. Act I of 1951.

(४) खंड (*m*) के बाद नये खंड (*mm*) के रूप में निम्नलिखित रख दिया जाय—

"(*mm*) 'Public property' and 'public land' mean any public building, park or garden or other place to which for the time being the public have or are permitted to have access whether on payment or otherwise;"

(५) खंड (*o*) में अन्त में आए हुए 'सेमीकोलन' के स्थान पर 'कामा' रख दिया जाय और उसके बाद निम्नलिखित बढ़ा दिया जाय—

"but does not incude any such road, street, bridge, lane square,court, alley or passage owned, maintained or repaired by the State Government or the Central Government or any other local authority;"

(६–क)––खंड (r) निकाल दिया जाय;
(६–ख)––खंड (s) में शब्द "suit" के स्थान पर शब्द "civil case" रखा जायगा।

(७) खंड (t) में अन्त के आये हुए 'सेमीकोलन' के स्थान पर 'कामा' रख दिया जाय और उसके बाद निम्नलिखित बढ़ा दिया जाय:––

"and includes any area which the State Government may, by general or special order, declare to be a village for the purposes of this Act;" और

(८) खंड (u) और (v) निकाल दिये जायं।

स्वशासन मंत्री के सभासचिव (श्री कृपाशंकर)––कुछ वर्बल अमेंडमेंट्स (शाब्दिक संशोधन) हैं जो पढ़ने से ही मालूम हो जायेंगे। उपाध्यक्ष जी, मैं प्रस्ताव करता हूं कि खंड ३ की प्रथम पंक्ति में शब्द "कामा" और "male or female" वाला कोष्ठक निकाल दिया जाय।

श्री उपाध्यक्ष––प्रश्न यह है कि खंड ३ की प्रथम पंक्ति में "शब्द कामा" और "male or female" वाला कोष्ठक निकाल दिया जाय?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री रामनारायण त्रिपाठी––अगर उपाध्यक्ष महोदय, ऐसे संशोधन सरकार के पास और हों तो उनकी प्रतिलिपियां हम लोगों के पास भेजवा दें ताकि सहूलियत हो जाय। ऐसे कुछ समझ में नहीं आता।

श्री मोहनलाल गौतम––मुझे अफसोस है कि यह छपा हुआ सदस्यों के सामने नहीं है जिसकी वजह से उनको असुविधा हो रही है। यह दफ्तर में जा चुका है और मेरे ख्याल से अगर कोई खास जरूरत हो तो इससे देख लिया जाय वरना यह बहुत ही छोटी चीजें हैं। सिर्फ प्रिंटिंग की तरह से ग़लतियां हैं।

***श्री जयपाल सिंह** (जिला सहारनपुर)––उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि खंड ३ के उपखंड (८) के अन्त में निम्नलिखित नया उपखंड (९) (*u*) के रूप में बढ़ा दिया जाय:––

"(*u*) Scheduled caste means the castes specified in Part VIII (Uttar Pradesh) of the Scheduled to the constitution (Scheduled Castes) Order, 1950 subject to amendments made therein from time to time by a law of Parliament under Article 341(2) of Indian Constitution."

उपाध्यक्ष महोदय, मेरे इस संशोधन को पेश करने का मंशा यह है कि जहां पर और चीजों की डिफीनीशन की गई है वहां शेड्यूल्ड कास्ट शब्द की भी डिफीनिशन हो जानी चाहिये। इसकी जरूरत इसलिये है क्योंकि शेड्यूल्ड कास्ट के लोगों के लिए इस बिल के द्वारा या पंचायत राज कानून में जो स्थान सुरक्षित हैं उनमें दूसरी जातियों के लोगों के आने की बहुत काफी गुंजायश हो जाती है। कर्मचारी लोग भी जो कि एलेक्शन करायेंगे इनके लिये भी इस तरह की बातें हैं कि वह उन लोगों को एक्स प्लायट करेंगे। मैं निवेदन करूं कि पिछले दिनों

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

हमारे यहां लेखपालों की नियुक्तियां हुईं। जितने लोग भी प्राविन्शियल बेसिस पर लिये गये, हरिजन कल्याण में छपा हुआ है उन जातियों के नामों के आगे कि फलां फलां जाति के लोग हैं। उनमें बहुत से ऐसे लोग भी हैं जो हरिजनों में नहीं हैं। तो इस प्रकार से हमारे अधिकारी वर्ग के लोग दूसरी जाति के लोगों को उस तरीके से चुनाव में होने के लिये गुंजायश कर देते हैं। गांवों के अन्दर जहां पार्टीबन्दी होती है चुनाव में वहां उसमें कुछ ही जातियां होती हैं। इसलिये मैं निवेदन करूंगा कि हमारा जो मंशा उनको सुरक्षित स्थान देने का है वह फेल हो जाता है और उसमें हम पूरे तरीके से कामयाब नहीं होंगे। इसलिये यह एक ऐसा संशोधन है जो संविधान ने माना है। इसमें कोई दो रायें नहीं हैं। उसूल की बात मैंने कही है। इसमें कोई ऐसी बात नहीं है जिससे कोई बड़ा भारी नुकसान होता हो। इसलिये मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि इसको मंजूर किया जाय।

श्री मोहनलाल गौतम––माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इस डेफीनीशन के देने के बाद कोई भी चीज ऐसी नहीं होती है जो कि इस डेफिनीशन के बगैर होती है। शेड्यूल्ड कास्ट संविधान में एक शब्द है जिसकी परिभाषा दी हुई है ३६६ आर्टिकिल्स के २४वें हिस्से में पेज १८४ पर:

"(24)'Scheduled Castes' means such castes, races or tribes or parts of or groups within such castes, races or tribes as are deemed under article 341 to be Scheduled Castes for the purposes of this Constitution."

["अनुसूचित जातियां" से अभिप्रेत है ऐसी जातियां, मूलवंश या आदिम जातियां अथवा ऐसी जातियों, मूलवंशों या आदिम जातियों के भाग या उनमें के यूथ जो कि अनुच्छेद ३४१ के अधीन इस संविधान के प्रयोजनों के लिये अनुसूचित जातियां समझी जाती हैं।]

३४१ में किस तरह से होगा वह प्रेसीडेंट साहब डेक्लेयर करेंगे। उसी आर्डर के मुताबिक एक लिस्ट है, लिस्ट आन शेड्यूल्ड कास्ट इन रिलेशन टू उत्तर प्रदेश ऐज कंटेंड इन दि कांस्टीट्यूशन आर्डर, १९५०। तो यह सब चीजें जाहिर करती हैं कि शेड्यूल्ड कास्ट के माने एक नियत चीज के हैं और उसमें कोई चीज इधर उधर नहीं हो सकती है। अगर कहीं धांधली हो सकती है तो वह धांधली इस डेफिनीशन के बाद भी हो सकती है। इसलिये मेरी राय यह है कि शेड्यूल्ड कास्ट की डेफिनीशन देने से कोई ऐसा फायदा नहीं होगा जो कि पहले न हो रहा हो। मेरे खयाल से आप इसको इस तरह से न जोड़ें लेकिन अगर आप जोड़ना ही चाहें तो यह जोड़ दें––

"Scheduled Castes" mean the castes deemed to be scheduled castes under the Constitution of India."

इसके खिलाफ हम कोई कानून बना ही नहीं सकते। अगर कुछ फ़ायदा नजर आता हो तो आप इसको जोड़ दें और इसके जोड़ने में मुझे कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन इसके जोड़ने से मुझे कोई लाभ दिखाई नहीं देता है।

श्री जयपाल सिंह––जो अमेंडमेंट माननीय मंत्री जी ने स्वीकार किया मैं उसको स्वीकार करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष––प्रश्न यह है कि खंड ३ के उपखंड (८) के अन्त में निम्नलिखित नया उपखंड (९) (u) के रूप में जोड़ दिया जाय :––

"Scheduled Castes" mean the castes deemed to be scheduled castes under the Constitution of India."

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री रामनारायण त्रिपाठी--उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से निम्नलिखित संशोधन पेश करता हूं कि खंड ३ में प्रस्तावित मूल अधिनियम की धारा २ में निम्नलिखित नई उपधारा (w) रख दी जाय :--

"(*w*) Prescribed authority, wherever it occurs in this Act, means a body consisting of 25 persons including a president, two Vice-presidents, a Secretary, two joint secretaries a treasurer elected by the members of all the Gaon and Nyaya Panchayats of the district concerned."

उपाध्यक्ष महोदय, मैंने अपने विरोध के भाषण में प्रेस्क्राइब्ड अथारिटी का जिक्र किया था। माननीय बालेन्दुशाह ने भी यह कहा था कि असल में तो यह नियत अधिकारी का विधेयक है। अगर माननीय स्वशासन मंत्री इस बात पर विचार करें कि इस विधेयक में जहां जहां "प्रेस्क्राइब्ड अथारिटी" शब्द आया है उसको निकाल दिया जाय तो इस विधेयक का जीवन ही समाप्त हो जायगा। ऐसे महत्वपूर्ण अधिकारी के संबंध में जैसा कि स्वशासन मंत्री ने खुद ही कहा है कि वह निर्णय नहीं कर पा रहे हैं कि किस धारा के लिये प्रेस्क्राइब्ड अथारिटी कौन होगा और किस धारा के लिये कौन होगा और जब नियम बनेंगे तो उस समय सोच समझ कर इस सम्बन्ध में सम्बन्ध किया जायगा। मैंने इस सम्बन्ध में यह संशोधन पेश किया है कि 'प्रेस्क्राइब्ड अथारिटी' जहां भी इस विधेयक में आया हो, प्रेस्क्राइब्ड अथारिटी डिस्ट्रिक्ट लेविल पर वह होगी जो कि जनपद न्याय पंचों और गांव पंचों के जरिये से २५ आदमियों की चुनी हुई एक संस्था होगी जिसमें एक प्रेसीडेंट होगा, दो वायस प्रेसीडेंट होंगे, एक सेक्रेटरी होगा, दो संयुक्त मंत्री और एक खजांची होगा। अध्यक्ष महोदय, इस संशोधन की मंशा इस उसूल के तहत में है कि जिसमें चुने हुए लोगों को आपस में सारे काम करने चाहिये। बाहर से चुने हुए लोगों के काम में दखल देने के लिये कोई सरकारी अधिकारी न हो। यह मेरा सिद्धांत है, यह मेरी मांग है, हमारी हमेशा यह शिकायत रही है कि प्रेस्क्राइब्ड अथारिटी के जरिये सरकार मनमाने अधिकार ले रही है। यह प्रेस्क्राइब्ड अथारिटी कहीं स्टेट गवर्नमेंट है, कहीं पंचायतराज आफिसर है, कहीं सेक्रेटरी है, अब तो पंचों के नामजदगी में सवाल पैदा किया जा रहा है, कौन होगा, अभी तक पता नहीं है।

ऐसी सूरत में मैंने संशोधन पेश किया है कि २५ सदस्यों की एक संस्था हो और मेरे संशोधन से साफ़ जाहिर है कि यह डिस्ट्रिक्ट लेविल पर हो इसमें कई प्रश्न उठ सकते हैं। पहला प्रश्न तो यह है कि जिले के लेविल पर खर्चा कहां से आयेगा, कौन बन्दोबस्त करेगा, यात्रा भत्ता कौन देगा? सरकार अगर इसको मान लेती है तो हमारी मांग रही है कि सरकार जितनी कर वसूल करती है, उसका २५ प्रतिशत पंचायतों को मिलना चाहिये, अगर एक मर्तबा सरकार स्वीकार कर लेती है और जिले के स्तर पर एक संस्था बना दी जाय तो सरकार को उस संस्था को अपने कोष से धन देने में क्या रुकावट हो सकती है?

अध्यक्ष महोदय, इसकी ज्यादा तफसील में जाकर और पढ़कर जहां प्रेस्क्राइब्ड अथारिटी आया है, सदन का समय बरबाद नहीं करना चाहता हूं। लेकिन थोड़े में बतलाना चाहता हूं कि इसके क्या-क्या अधिकार हैं और क्या-क्या करने के लिये प्रावीजन किया गया है। सब से बड़े काम की जो जिम्मेदारी दी गयी है वह यह है कि गांव सभा द्वारा गांव पंचायत का इलेक्शन हो जायगा तो ५ से कम व्यक्तियों को यही न्यायी पंच चुनेंगे, पढ़े लिखे के बारे में किसको छूट दी जाय, किसको छूट न दी जाय और किस भाषा के बारे में छूट दी जाय, किसके बारे में न दी जाय, यह भी इसी का काम होगा। ग्राम प्रधान के लिये दरख्वास्त देने पर बैठक बुलाना, यह भी काम इसी का होगा। अगर नहीं बुलाता है तो १/५ मेम्बरों के कहने पर और प्रेस्क्राइब्ड अथारिटी के कहने पर मीटिंग बुला सकता है। अयोग्यता के बारे में जो लिखा गया है इसको मंत्री जी भी जानते हैं और सदस्य भी जानते हैं, उनमें से कइयों को दूर करने का और न करने का भी इसी का काम होगा। अपील, पेटीशन, हिसाब किताब की देखभाल वगैरह सब अधिकार इसी के ह। जिन स्थानों में, जिन गांवों में जहां न्यायी पंच नहीं चुने गये हैं, उन जगहों पर नामजदगी का अधिकार इसी को है। चुनाव के हो जाने के बाद अगर कोई जगह

खाली हो जाय तो उनके भरने का इसी को अधिकार है। इसके साथ ही साथ इसके और भी काम हैं। जैसे किसी पंच को अलग कर देना, किसी गांव सभा के मेम्बर को अलग कर देना। इस प्रकार से मैंने संक्षेप में बताया है कि प्रेस्क्राइब्ड अथारिटी के काफी व्यापक अधिकार हैं।

उपाध्यक्ष महोदय, कुछ दिन पहले जब कांग्रेस मिनिस्ट्री थी तो लोकल बाडीज के सम्बन्ध में हमारे माननीय अध्यक्ष खेर जी कि अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई गयी थी जिससे सिफारिश की गयी थी कि स्थानीय संस्थाओं के क्या अधिकार हैं और क्या काम हैं, उसके संबंध में वह रिपोर्ट पेश करें इसने भी एक सुझाव दिया था कि स्थानीय संस्थाओं में सरकारी नियंत्रण नहीं होना चाहिये और उसके स्थान पर म्युनिसिपल बोर्ड्स, टाउन एरियाज और डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स के लिये प्रान्तीय स्तर पर एक लोकल सेल्फ बोर्ड होना चाहिये। और वह तमाम अधिकारों को बरते तो वह उचित बात होगी। आज लोकल अधिकारियों का ट्रांस्फर है, उनकी नियुक्ति है, सेक्रेटरी का ट्रांस्फर और नियुक्ति हो सकती है, इस संबंधकी व्यवस्थायें हैं। तो मैं समझता हूं कि चुने हुए लोगों को अपनी संस्थाओं का प्रबन्ध करने का पूरा मौका दिया जाना चाहिये और इस लिये मेरा संशोधन बहुत उपयुक्त है और मैं तो एक तरह से माननीय मंत्री की मदद कर रहा हूं, क्योंकि माननीय मंत्री अभी खुद इस विचार के नहीं हो पा रहे हैं कि प्रेस्क्राइब्ड अथारिटी कौन रखी जायं और जहां तक मेरी जानकारी है, जो मैंने संशोधन दिया है वह उसी आवश्यकता की पूर्ति करता है। अगर वह उसे मान लेते हैं और मान लेने के बाद अगर सरकार काफी धन प्रदान कर के इस प्रेस्क्राइब्ड अथारिटी का संचालन करे तो सरकार इस इल्जाम से बच सकती है कि सरकार जब भी चाहती है, मनमाना अख्तियार ले लेती है और मनमाने तरीकेपर काम करती है। अगर यह अमेंडमेंट मान लिया जाता है तो एक सही माने में प्रेसीडेंट का विकास भी होने की संभावना है। मैं इन शब्दों के साथ इस संशोधन को पेश करता हूं।

महाराजकुमार बालेन्दुशाह—उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय रामनारायण जी द्वारा प्रस्तुत संशोधन का और विशेष कर उसके सिद्धान्त का मुख्यकर समर्थन करता हूं। मैंने सुबह ही इस दिशा में मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित किया था कि जब कि प्रेसक्राइब्ड अथारिटी इस विधेयक में एक इतना महत्वपूर्ण स्थान रखती है यह एक अनुचित सी बात है कि हमें इससे मय तक इस बात का कोई अन्दाजा नहीं दिया गया कि यह प्रेस्क्राइब्ड आथारिटी आखिर होगी क्या चीज और—और इस अथारिटी में कौन-कौन सम्मिलित होंगे? इसलिये मैं, हालांकि मैं मानता हूं कि जो संशोधन माननीय त्रिपाठी जी ने इस समय हमारे सामने रखा है उसमें कुछ परिवर्तन करने की गुंजायश है, किन्तु उस सिद्धांत का मैं पूर्णरूप से समर्थन करता हूं कि इस स्थान पर प्रेस्क्राइब्ड अथारिटी की परिभाषा किसी न किसी रूप में और कुछ शब्दों में बहुत आवश्यक है।

प्रेस्क्राइब्ड अथारिटी का कितना महत्वपूर्ण स्थान है इसके संबंध में माननीय त्रिपाठी जी ने विस्तार रूप से यह बताया है कि किन—किन स्थानों में और कितना अधिकार इस प्रेस्क्राइब्ड अथारिटी के हाथ सुपुर्द किया गया है। इस सम्बध में मैं और अधिक न कहना चाहूंगा, किन्तु मैं यह अवश्य कहना चाहता हूं कि एक दुःख की बात है कि सेलेक्ट कमेटी द्वारा विचार होने के बाद भी यहां आने पर हमारे मंत्री महोदय, इस विधेयक में एक प्रकार का "कार्टि ब्लांश" (एक सफ़ेद कागज) इस सदन के सदस्यों से लेना चाहते हैं। यानी माननीय मंत्री महोदय कहते हैं कि हम सब इस बिल को पास कर दें और वह अपनी इच्छानुसार, अपनी आवश्यकतानुसार इस प्रेस्क्राइब्ड अथारिटी की परिभाषा और उसकी सीमा अपने आप बनायेंगे। मैं इस पर बहुत कुछ आश्चर्यान्वित होता हूं और साथ ही साथ मैं इस बात के लिए माननीय मंत्री महोदय को बधाई देना चाहता हूं कि शायद ही कभी किसी मंत्री ने इतने स्पष्ट रूप में यह कहा हो कि मैं अपने हाथों में पूर्ण अधिकार रखना चाहता हूं। कहां तक यह अधिकार अपने हाथों में रखना उचित है, कहां तक आवश्यक है, इस बात का ज्ञान माननीय मंत्री महोदय को हम से अधिक है। किन्तु अपने-अपने जिलों की जहां तक हमको जानकारी है, मैं समझता हूं कि यह एक अनुचित

[महाराजकुमार बालेन्दुशाह]

बात है कि माननीय मंत्री महोदय पहले तो प्रेस्क्राइब्ड अथारिटी को इतना महत्वपूर्ण स्थान दें और फिर क्योंकि वह इस समय हमारे सामने नहीं है, उसके बारे में हमें कुछ बतायें भी न, कि वह कौन होगा। मैं तो यह आवश्यक समझता हूं कि इस बारे में हम सब को यह पूर्णरूप से बता दिया जाय कि माननीय मंत्री महोदय के विचार से यह प्रेस्क्राइब्ड अथारिटी किस प्रकार की होगी। इस प्रेस्क्राइब्ड अथारिटी की परिभाषा स्पष्ट करना मैं बहुत आवश्यक समझता हूं और इस संबंध में त्रिपाठी जी के संशोधन का समर्थन करता हूं। अध्यक्ष महोदय, इस प्रेस्क्राइब्ड अथारिटी के जो कर्तव्य हैं उनका जिक्र न करते हुए मैं इतना कहना आवश्यक समझता हूं क्योंकि आज सुबह की बैठक में कुछ हद तक उसकी चर्चा हुई कि इस प्रकार प्रेस्क्राइब्ड अथारिटी के द्वारा अपने हाथ में अधिकार लेने को मैं एक रिट्राग्रेसिव स्टेप समझता हूं। जब कि यह माना गया है और जब कि यह माना जाना चाहिये कि अब जनता काफी हद तक अपने भले को समझ सकती है, मैं यह उचित नहीं समझता कि हरएक कदम पर और हरएक महत्वपूर्ण विषय पर जनता के लिए यह बार-बार कहा जाय कि तुम इस संबंध में अपना मत नहीं दे सकते, क्योंकि तुम्हें इसके बारे में कुछ ज्ञान नहीं है और इसलिये हम यह कार्यवाही प्रेस्क्राइब्ड अथारिटी द्वारा करायेंगे। यह एक बहुत ही अनुचित बात है और इसी से मेरा मतलब था कि यह एक रिट्रोग्रेसिव स्टेप है। जनता का शासन के साथ सम्पर्क बढ़ाने के बजाय यह एक ऐसा स्टेप है जिससे कि जनता का सम्पर्क राज्य शासन से दूर किया जा रहा है और राज्य शासनका पूरा अधिकार राज्य कर्मचारियों के ऊपर और मन्त्रिमंडल के नियुक्ति किये हुए व्यक्तियों के ऊपर रखा जा रहा है। अध्यक्ष महोदय, इस सम्बन्ध में माननीय मन्त्री महोदय को इस बात पर आश्चर्य था कि मुझ सरीखे व्यक्ति के मुंह से कुछ ऐसे रिट्रोग्रेसिव स्टेप जैसे शब्दों का उच्चारण होना एक अजीब बात है। इस सम्बन्ध में मैं मन्त्री महोदय को खाली यही बताना चाहता हूं कि रिट्रेग्रेसिव या प्रोग्रेसिव जो कुछ भी हो, पिछले जमाने में इसकी लड़ाई इतनी नहीं थी जितनी कि आज है यानी रूलर्स या रूल्ड की लड़ाई आज पहले से अधिक है। आज मंत्री महोदय रूलर्स के स्थान पर हैं। तो उनका यह सोचना कि जनता अयोग्य है, यह एक ग़लत क़दम है और ग़लत विचार होगा। इसलिये मैं माननीय मंत्री महोदय से यही प्रार्थना करूंगा कि वे माननीय त्रिपाठी जी के संशोधन को स्वीकार करते हुए यदि आवश्यक समझें कि इस संशोधन में कुछ परवर्तन होना चाहिये तो वह आवश्य करें क्योंकि मैं देखता हूं कि त्रिपाठी जी के संशोधन का विस्तार बहुत बड़ा है और शायद एक २५ सदस्यों की प्रेस्क्राइब्ड अथारिटी बनाना एक अनप्रैक्टिकल स्टेप सा होगा। तो वह जो कुछ इस सम्बन्ध में उचित समझें उस प्रकार का सुझाव दें किन्तु इसकी परिभाषा स्पष्ट कर लें यही मैं निवेदन करता हूं।

श्री व्रजविहारी मिश्र---माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह जो संशोधन प्रस्तुत किया गया है उसका विरोध करता हूं। मुझे आश्चर्य हुआ माननीय त्रिपाठी जी के भाषण को सुनकर के और उनके इस संशोधन को पढ़कर के कि कितना अव्यावहारिक यह संशोधन है। आप चाहते हैं कि बिना इसका प्रबन्ध किये हुए कि खर्चा कहां से आयेगा, कैसे उसकी व्यवस्था की जायगी, कैसे यह जो आप चाहते हैं कि इस किस्म की प्रेस्क्राइब्ड अथारिटी बनायी जाय उसका संचालन कौन करेगा, इन सब बातों पर आपने कोई सुझाव नहीं दिया और आप चाहते हैं कि प्रेस्क्राइब्ड अथारिटी का एलेक्शन सारी जो जिले भर की गांव सभायें हैं, जब सब मिलकर के करें और २५ आदमियों की वह एक बाडी बनायी जाय। यह कितना अव्यावहारिक है।

श्री रामस्वरूप गुप्त (जिला कानपुर)---एक वैधानिक प्रश्न है। यह संशोधन नियम के अनुकूल नहीं है क्योंकि प्रेस्क्राइब्ड अथारिटी की डेफिनीशन आलरेडी दी हुई है मूल अधिनियम की धारा २ में और जब वह डेफिनीशन मौजूद है तो नयी डेफिनीशन ऐड करना नियम के खिलाफ है और यह हाउस का समय नष्ट किया जा रहा है।

श्री उपाध्यक्ष---मैं इस वैधानिक आपत्ति से सहमत हूं।

श्री रामनारायण त्रिपाठी--उपाध्यक्ष महोदय, मुझको भी कुछ कहने का मौका दिया जाय ।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस वैधानिक आपत्ति का विरोध करता हूं। इसलिए कि सदन के सामने कोई मामला है तो केवल इसलिए कि प्रेस्क्राइब्ड अथारिटी की परिभाषा पहले से मौजूद है, इसलिए दूसरी नहीं हो सकती, अगर सदन इस प्रेस्क्राइब्ड अथारिटी की परिभाषा को मान लेता है तो दूसरी परिभाषा खत्म हो जायगी। यह सदन की बात है। स्कोप के बियांड कोई संशोधन नहीं है इसलिए इन आर्डर होना चाहिये। अगर सदन इस परिभाषा को रिजेक्ट कर देता है तो ओरीजनल परिभाषा रहेगी और अगर सदन इस परिभाषा को रखता है तो ओरीजनल परिभाषा खत्म हो जायगी । इसलिए स्कोप बढ़ाने की कोई बात नहीं है। इसलिए मैं समझता हूं कि इन आर्डर है।

श्री मोहनलाल गौतम--माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह जो संशोधन आया है वह 'डब्लू' है। अर्थात् जितने और हैं वह तो सब ज्यों के त्यों रहेंगे और एक और भाग जोड़ दिया जाय। जो प्रेस्क्राइब्ड अथारिटी "क्यु" पर है वह ज्यों की त्यों कायम रहती है । अगर "क्यु"को हटा कर इसको रखने की बात होती तब तो यह इन आर्डर था । लेकिन "क्यु" को मानते हुए, "डब्लू" को रख रहे हैं इसलिए आउट आफ आर्डर है।

श्री रामनारायण त्रिपाठी--यह तो मुझे अधिकार है कि अगर आवश्यकता पड़े तो मैं कह दूं कि उसके स्थान पर यह रख दिया जाय। इसलिए आउट आफ आर्डर का कोई सवाल नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष--जैसा कि मैंने अभी कहा एक परिभाषा प्रेस्क्राइब्ड अथारिटी की अभी सदन स्वीकृत कर चुका है।

श्री रामनारायण त्रिपाठी--अभी तो कोई स्वीकृत हुई नहीं ।

श्री उपाध्यक्ष--खंड २ तो आ चुका है पहले। तो ऐसी हालत में मैं उचित नहीं समझता कि इस संशोधन की मैं आज्ञा दूं ।

प्रश्न यह है कि संशोधित खंड ३ इस विधेयक का अंग माना जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

खंड ४

४--मूल अधिनियम में--

(क) शब्द "Panchayati Adalat" जहां कहीं भी वह आया हो के स्थान पर शब्द "Nyaya Panchayat" यू०पी० ऐक्ट २६, १९४७ में शब्द (Naya panchayat) आदि का रखा जाना ।

(क क) विषय और संदर्भ से प्रतिकूल न होने पर--

(i) शब्द "case" के स्थान पर जहां जहां वह आया है शब्द "criminal case" ; तथा

(ii) शब्द "suit" के स्थान पर जहां जहां वह आया है शब्द "civil case" ;

(ख) धारा 77-A की उपधारा (१) के अन्त में धारा ९५ के खंड (*c*) में और धारा १०३ और १०६ में आये हुए शब्द "proceeding" को छोड़कर जहां कहीं भी शब्द "proceeding" और आया हो उसके स्थान पर शब्द "revenue case" और

(ग) शब्द "budget" जहां कहीं भी वह आया हो के स्थान पर शब्द "annual estimate of income and expenditure"

(गग) शब्द "President" के स्थान पर शब्द "Pradhan"

(गगग) शब्द "Vice-President" के स्थान पर "Up-Pradhan" रख दिये जायं।

श्री कृपाशंकर--मैं प्रस्ताव करता हूं कि खंड ४ के उपखंड (ख) की तीसरी पंक्ति के अन्त में शब्द "और" को हटा दिया जाय और उपखंड (गगग) में शब्द "Vice President" के बाद "inverted commas" लगाया जाय।

श्री मोहनलाल गौतम--यह छपने की गलती है। मैं स्वीकार करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष--प्रश्न यह है कि खंड ४ के उपखंड (ख) की तीसरी पंक्ति के अन्त में शब्द "और" को हटा दिया जाय तथा उप खंड (गगग) में शब्द "Vice President" के बाद "inverted commas" लगाया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री उपाध्यक्ष--प्रश्न यह है कि संशोधित खंड ४ इस विधेयक का अंग माना जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खंड ५

यू०पी० ऐक्ट २६, १९४७ की धारा ५ का संशोधन।

५--मूल अधिनियम की धारा ५ के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय--

Membership of Gaon Sabha.

5. (1) A Gaon Sabha shall consist of all adults ordinarily resident within the area for which it is established but a person shall be disqualified for being a member of the Gaon Sabha if he—

(*a*) is not a citizen of India, or

(*b*) is of unsound mind and stands so declared by a competent court.

(2) A person shall be deemed to be ordinarily resident in a village if he has been ordinarily residing in such village or towns, or is in possession of a dwelling house therein, ready for occupation."

†**श्री जयपाल सिंह**--मैं प्रस्ताव करता हूं कि खंड ५ के अन्तर्गत प्रस्तावित धारा ५ की उपधारा (5) की पंक्ति २ में शब्द "resident" के पहले शब्द 'ordinarily' को निकाल कर उसके स्थान पर शब्द "permanently" रख दिया जाय

अध्यक्ष महोदय, यह शाब्दिक संशोधन है लेकिन मैं यह महसूस करता हूं कि इस स्थान पर परमानेंट शब्द का रखना बहुत आवश्यक है। कोई भी व्यक्ति जो गांव में बालिग है उसको यह हक है कि वह गांव सभा का सदस्य हो सकता है तो जो व्यक्ति दो चार दिन के लिये टेम्पोरेरी आ

---

†वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

गया है तो उसको भी यह हक हो जायगा और हमारे यहां के कर्मचारी इसका दुरुपयोग करेंगे अपने-अपने स्थान पर। ऐसी अवस्था में मैं यह निवेदन करूंगा कि जिस जगह पार्टीबन्दी होती है और जब ऊंची जाति के लोग यह देखते हैं कि किसी स्थान पर शेड्यूल कास्ट के लोगों की आबादी अधिक है और वे उनका मुकाबिला नहीं कर सकते, जहां तक वोट का सवाल है, तो ऊंचे वर्ग के लोग खुद खड़े भी नहीं होते और न यह ही पसन्द करते हैं कि छोटी जाति का व्यक्ति गांव का प्रधान हो सके। तो ऐसी अवस्था में गांव में तीव्र दलबन्दी होने के कारण दूसरे गांव से व्यक्तियों को बुला कर इलेक्शन कराने की कोशिश करते हैं और झगड़ा मोल लेने की कोशिश करते हैं। हमारे यहां पश्चिमी जिलों में ऐसे बहुत से केसेज हुए हैं। बाहर के आदमियों को बुलाया गया। गांव सभा के रजिस्टर में उनका नाम दर्ज कर लिया गया और उनको खड़ा कर दिया गया और चुनाव अधिकारी भी पक्षपात के कारण उसको चुनाव में कामयाब घोषित कर देता है। तो ऐसी अवस्था में ऐसी गुंजाइश देना कि अधिकारी ज्यादा से ज्यादा मनमानी कर सकें या पक्षपात कर सकें यह अनुचित होगा।

[इस समय २ बजकर ५८ मिनट पर श्री उपाध्यक्ष के चले जाने पर अधिष्ठाता श्री भगवती प्रसाद शुक्ल (बाराबंकी) पीठासीन हुए।]

छोटी जाति के लोगों में अब कुछ चेतना आ गयी है। गांव पंचायत ऐक्ट के अन्तर्गत उनको गांव समाज में थोड़ा बहुत अधिकार मिला है वे उसका प्रयोग न कर सकें, ऐसी कोई गुंजाइश रखना अनुचित होगा। लिहाजा मुस्तकिल तरीके से जो व्यक्ति वहां रहते हैं उन्हीं को अधिकार होना चाहिये कि वे अपने यहां के प्रधान को चुन सकें, अपनी पंचायत की कार्यवाही में भाग ले सकें। ऐसी अवस्था में मैं माननीय मंत्री जी से प्रार्थना करूंगा कि पिछली बार भी जो क़ानून बना था उसमें शब्द, "पर्मानेन्ट" आया था और वह इसी बुनियाद को ले कर आया था कि जो हमेशा से गांव में रहता है वही गांव पंचायत के इलेक्शन में भाग ले सके और बाहरी व्यक्ति दखलन्दाजी वहां की कार्यवाही में न कर सके, इसलिए मैं इसको रखना मुनासिब समझता हूं। मैंने पहले भी अर्ज किया कि जो हमारे व्यक्ति चुनाव में करते हैं वे बेजा तरीके से तरफदारी करने के लिए इस तरह की कोशिश करते हैं इस "आर्डिनरी" शब्द को लाकर अपनी मनमानी वे कर सकें, यह मैं मुनासिब नहीं समझता हूं कि उनको इतनी गुंजाइश दी जाय और उनको इतना अधिकार दिया जाय कि वह चाहे जिस तरीके से कानून का इस्तेमाल करें। इसलिए मैं माननीय मंत्री जी से प्रार्थना करूंगा कि वह इसको स्वीकार करें।

श्री मोहनलाल गौतम---यह प्रश्न जो इस संशोधन में उठता है वह यह है कि गांव सभा का जो मेम्बर हो वह केवल वही हो जो वहां पर परमानेन्टली रिसाइड (निवास) करता हो या जो आर्डिनरिली वहां पर रिसाइड करता है। मुझे अफसोस है कि मैं इस संशोधन को स्वीकार नहीं कर सकता। आर्डिनरिली रिसाइड करने के अर्थ इस खंड २ में दिये हुए हैं।

"a person shall be deemed to be ordinarily resident in a constituency if he ordinarily resides in that constituency or owns or is in possession of a dwelling house."

यानी जो वहां रहता हो या जो मकान का मालिक हो या जिसने वहां पर मकान बनाया हो, जो आकुपेशन के लिये तैयार हो, यानी जो मकान वहां पर जिसके रहने के लिए हो वही आर्डिनरिली रेजिडेंट वहां का होगा। इस बात पर काफी बहस हुई है और मेरा ख्याल यह है कि पीपुल्स रिप्रजन्टेशन ऐक्ट में जो प्रतिबन्ध था वह भी ढीला किया जा रहा है और १८० धारा में जो शर्त थी वह भी दूर हो रही है। परमानेन्टली रेजिडेंट के मतलब काफी मुश्किल हो जाते हैं। अगर कोई २ महीने या ४ महीने के लिये बाहर चला गया तो वह परमानेन्ट माना जायगा या नहीं। इस कारण यह आर्डिनरली ठीक है और इसके मानेभी सीमित हैं और ला केसेज में भी यही माने लिये गये हैं। अब सवाल यह है कि जिस आदमी का मकान वहां पर हो, जिसका खेत हो, जिसकी कानूनी जायदाद वहां पर हो, तो जो गांव प्रापर्टी

[श्री मोहनलाल गौतम]

को लेकर कुछ आगे कदम उठाना चाहता है उसमें उसकी सलाह होगी या नहीं । आप किसी के मकान पर टैक्स लगायें तो उसको कम से कम वोट करने का अधिकार तो होना चाहिये । अगर उसके खेत वहां पर हैं और दूसरे गांव के अन्दर भी खेत हैं जो कि चकबन्दी के सिलसिले में वहां पर हिस्सा ले सकें । तो कम से कम यहां तो वह हिस्सेदार है ही । जो जयपाल सिंह जी को खतरा है उसको इसमें दूर कर दिया गया है कि एक आदमी दोनों जगह का मेम्बर नहीं हो सकता है । वह वोटर तो हो सकता है, लेकिन गांव पंचायत का मेम्बर दोनों जगह नहीं हो सकता है । इसलिए जो आपको डर है कि इससे दुरुपयोग की सम्भावना है, उसको अच्छे तरीके से देखकर यह प्राविजन कर दिया गया है कि वह दोनों जगह का पंचायत का मेम्बर नहीं हो सकता । इसलिये मेरा अन्दाजा है कि उनका सन्देह दूर हो गया होगा और वे अपने संशोधन को वापस लें लेंगे ।

श्री जयपाल सिंह---श्रीमन्, मेरा मन्शा तो यह था कि जैसे हमने कंसोलिडेशन आफ होल्डिंग यहां पर पास किया और उस पर.....

श्री रामनारायण त्रिपाठी---प्वाइंट आफ आर्डर सर । मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि संशोधन के बाद माननीय मंत्री जी बोले हैं और उसके बाद माननीय सदस्यों को मौका मिलना चाहिये न कि मूवर को । अभी श्री शिवनारायण जी बोलने के लिये खड़े हुए थे, लेकिन उनको मौका नहीं दिया गया ।

अधिष्ठाता---माननीय मंत्री जी के बाद श्री शिवनारायण खड़े नहीं हुए । श्री जयपाल सिंह खड़े हुए थे, इसलिये उनको अवसर दिया गया ।

श्री जयपाल सिंह---मैं यह कह रहा था कि जब कंसोलिडेशन आफ होल्डिंग यहां से पास हुआ कि किसानों की संबंधित जमीन है उसका एक-एक चक बना दिया जाय, ताकि ठीक तरीके से उसका सदुपयोग हो सके, तो अब यह देखना है कि एक गांव की जमीन दूसरी जगह होना भी ठीक सी बात नहीं है । मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि हमारे टीचर्स या और इसी प्रकार के जो लोग हैं टेम्पोरेरी तरीके से एक स्थान पर रह सकते हैं और आर्डीनरीली कहीं और रह सकते हैं । अतः इस आर्डिनरी लफ्ज का कहीं भी मिसयूज (दुरुपयोग) हो सकता है । अगर परमानेन्टली हो जाय तो उसके मानी और ही कुछ हो जाते हैं । जो आदमी कहीं बाहर चला जाता है वह वहां के लिए आर्डिनरी या टेम्पोरेरी रेजीडेन्ट हो सकता है, लेकिन परमानेन्ट रेजीडेन्ट नहीं हो सकता । मान लीजिये कि एक आदमी सहारनपुर का रहने वाला है और मेरठ में भी रहता है, परमानेन्टली सहारनपुर में रहता है तो वह यह दावा नहीं कर सकता कि मैं परमानेन्टली मेरठ में रहता हूं । हां यह कह सकता है कि आर्डिनरली मेरठ में रहता हूं । इस प्रकार से इसका मिसयूज (दुरुपयोग) हो सकता है । इसलिए मैं फिर निवेदन करूंगा कि इस बात को ध्यान में रख कर परमानेंटली शब्द को रख दिया जाय । गरीब लोगों को इससे नुकसान हो सकता है । जो पार्टीबंदी आजकल है उसमें लोगों को उकसा कर इसका मिसयूज (दुरुपयोग) हो सकता है । इसके बारे में यदि माननीय मंत्री जी चाहें तो मैं पर्टीकयूलर ऐक्जाम्पिल (उदाहरण) दे सकता हूं । जनरल डिसकशन के समय मैंने कहा था कि तहसीलदार आदि सब लोग यह मानते थे कि गड़बड़ी हुई है और यह कि इस तरीके की बात नहीं होनी चाहिये थी । लेकिन जब वे केसेज सेक्रेटेरियट में आये दो ढाई साल तक पड़े रहे और उसके बाद यह आर्डर हो गया कि अगर वह क्वालीफाई हो सकता है तो उसको अधिकार दे दिया जाय, उसको क्वालीफाईड मान लिया जाय और चुनाव दुबारा करा दिया जाय । इस तरह के केसेज होते हैं और गरीबों का हेरेसमेंट (दिक्कत) होता है । इसलिए मैं फिर कह देना चाहता हूं और साफ तौर से कह देना चाहता हूं कि यह देख लिया जाय कि कहीं ऐक्जीक्यूटिव पावर्स का

मिसयूज न हो तथा इस प्रकार की चीजें यहां चलना ठीक नहीं है। मैं फिर यह साफ तौर से कह देना चाहता हूं कि यह चीज ऐक्जीक्यूटिव की तरफ से आयी है आपकी ऐसी भावना कभी भी नहीं हो सकती। अतः आपको यह देखना चाहिये कि कोई ऐसी चीज न रह जाय, जिससे ऐक्जीक्यूटिव मिसयूज कर सके। मैं आपसे प्रार्थना करूंगा कि आप इस पर पुनः विचार करें और पुनर्विचार करके इस को स्वीकार कर लें।

श्री मोहनलाल गौतम---अधिष्ठाता महोदय, मैं आपसे यही कह सकता हूं कि इसमें दुरुपयोग की गुंजाइश नहीं है, जैसा कि जयपाल सिंह जी ने कहा। परमानेन्ट शब्द से भी वही बात हो सकती है, क्योंकि वह किसी भी जगह का अपने को परमानेन्ट रेजीडेंट डिक्लेयर कर सकता है। फिर जब वह दो पंचायतों का मेम्बर एक साथ नहीं हो सकता है तो फिर यह दिक्कत भी नहीं रहेगी। इससे जो शरारत आप विचार करते हैं कि हो सकती है वह रुक जायगी। ऐसी हालत में मुझे अफसोस है कि मैं इस संशोधन को स्वीकार नहीं कर सकता।

श्री जयपाल सिंह---मैं संशोधन को वापस लेता हूं।

(सदन की अनुमति से संशोधन वापस लिया गया।)

श्री जयपाल सिंह---चेयरमैन साहब, मैं प्रस्ताव करता हूं कि खंड ५ में प्रस्तावित धारा 5 की उपधारा (2) के बाद निम्नलिखित प्रतिबन्ध जोड़ दिया जाय :---

"Provided that if any person owns or is in possession of a dwelling house in more than one Gaon Sabha, he shall choose by this option to be a member of only one Gaon Sabha."

चेयरमैन महोदय, मुझे यह काफी सन्तोष है कि माननीय मंत्री जी ने अभी-अभी इस बात को स्वीकार किया कि दो गांवों में रहने वाला व्यक्ति एक ही जगह के लिये डिक्लेयर कर सकेगा कि उस गांव में उसे हिस्सा लेना है। तो जहां तक हिस्सा लेने की बात है, मैं यह साफ कह देना चाहता हूं कि उसे गांव सभा का मेम्बर होने ही में क्या फायदा है जबकि वह दूसरे गांव में रहता ही है। जैसे मैंने अपनी स्वयं की मिसाल दी कि मैं सहारनपुर का रहनेवाला हूं तो मैं सहारनपुर को ही अपने रहने का स्थान चुनूंगा न कि दूसरे स्थान को। इस तरह से हर व्यक्ति को अधिकार होना चाहिये कि वह एक ही जगह वोट दे। अगर कोई मेम्बर एक गांव सभा में है तो उसे अधिकार होना चाहिये कि वह अपनी इच्छानुसार चुन ले कि उसे कहां अपनी राय देने का हक होना चाहिये। इसलिये मैं प्रार्थना करता हूं कि इसको स्वीकार किया जाय।

श्री कृपाशंकर---अधिष्ठाता महोदय, अभी जैसा कि पहले प्रस्ताव में कहा गया है कि गांव पंचायत का तो मेम्बर नहीं होगा, लेकिन गांव सभा का होगा और उसके बाद ही श्री जयपाल सिंह का अनुरोध है कि उसे गांव सभा का मेम्बर न होने दिया जाय। तो इस सम्बन्ध में मुझे यह निवेदन करना है कि एक आदमी है जिसकी दो गांवों में खेती बारी है, मकान है या उसकी जायदाद है और उसे गांव सभा के अन्दर न रहने दिया जाय, जहां पर कि उसके ऊपर टैक्स लगता है, जहां पर कि उसका बहुत सा काम होता है वहां उसे कोई हिस्सा न लेने दिया जाय तो यह तो अन्याय की बात होगी। जहां तक ऐडमिनिस्ट्रेशन (प्रशासन) का मामला है मुझे यह निवेदन करना है कि अगर वह गांव सभा में रहता है तो उसे कोई अख्तियार तो मिलता नहीं है। सिर्फ यह है कि जब वहां मीटिंग हो तो अपनी बात वहां कोई कह सकता है और अगर उसके ऊपर कोई टैक्स लगे तो यह भी कह सकता है कि वह ज्यादा है या कम है। ऐसा शख्स जिसकी उस गांव में जायदाद हो, मकान हो वह गांव सभा में हिस्सा लेने से वंचित रखा जाय तो यह न्यायोचित नहीं होगा। इसलिये मैं इसका विरोध करता हूं और अपने भाई जयपाल सिंह से अनुरोध करता हूं कि वे इसको वापस ले लें।

श्री जयपाल सिंह---मैं अपने संशोधन को वापस लेता हूं।

(सदन की अनुमति से संशोधन वापस लिया गया।)

अधिष्ठाता---श्री गेंदा सिंह जी का संशोधन भी इस तरह का है, इसलिये यह आउट आफ आर्डर है।

प्रश्न यह है कि खंड ५ इस विधेयक का अंग माना जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री रामनारायण त्रिपाठी---माननीय श्री गेंदा सिंह जी के संशोधन का उससे कोई मतलब नहीं है जो उन्होंने कहा बल्कि उसमें तो यह लिखा है कि अगर कई गांवों में उसके मकान हों तो वह एक जगह हो रह सकता है। यह उसके आप्शन पर है। इससे कोई मतलब नहीं है कि परमानेन्टली रहते हैं या नहीं।

श्री ब्रजविहारी मिश्र---अधिष्ठाता महोदय, अब तो विधान बन गया और खंड पास हो गया अब तो यह सवाल पैदा ही नहीं होता।

श्री मोहनलाल गौतम---अधिष्ठाता महोदय, इसमें भी वही बात है जो ५वें खंड के सिलसिले में रिजेक्ट हो चुकी है। इसलिये यह पेश नहीं हो सकता और हाउस ने भी इसको वापसी की इजाजत दे दी है।

अधिष्ठाता---मैं समझता हूं कि जो निर्णय हो गया वह ठीक है, अब खंड ५ के बजाय खंड ६ पर वादविवाद होगा।

खंड ६

यू०पी० ऐक्ट २६, १९४७ में नई धाराएं 5-A और 5-B का रखा जाना।

६---मूल अधिनियम की धारा ५ के बाद निम्नलिखित नई धारायें 5-A और 5-B के रूप में बढ़ा दी जायं---

Disqualification for holding office under Gaon Sabha or Nyaya panchayat

"5-A. A person shall be disqualified for being chosen, nominated or appointed to, and for holding any office in the Gaon Sabha or the Gaon Panchayat, or the Nyaya Panchayat constituted under section 42, if he—

(*a*) is, for the time being, not a member of the Gaon Sabha concerned,

(*b*) holds any office of profit under a State Government or the Central Government or a local authority (other than a Gaon Sabha or Nyaya Panchayat),

(*c*) is a salaried servant of a Gaon Sabha or a Nyaya Panchayat,

(*d*) has been dismissed from the service of a State Government, the Central Government or a local authority or a Nyaya Panchayat for misconduct,

(*e*) is in arrears of any tax fee or rate due by him to the Gaon Sabha for such period as may be prescribed,

(*f*) is suffering from leprosy,

(*g*) is an undischarged insolvent,

(*h*) has been convicted of an offence involving moral turpitude,

(*i*) has been ordered to give security for good behaviour under section 109 or 110 of the Code of Criminal procedure, 1898, or

V of 1898

(*j*) is convicted of an election offence:

Provided that the disqualifications under clauses (*d*), (*g*), (*h*), (*i*) and (j) may in the manner prescribed be removed by the State Government:

Provided further that the disqalification under clause (e) shall cease upon payment of the arrears.

Qualification for holding office of Pradhan.

5-B. A member of a Gaon Sabha shall not be qualified to be chosen as Pradhan unless he is not less than 30 years of age and, except where the prescribed authority may relax, knows to read and write Hindi in Davanagari characters"

श्री मोहनलाल गौतम—अधिष्ठाता महोदय, आगे आने वाले संशोधन के बारे में मुझे यह कहना है कि इस बिल में "कोआप्टेड" शब्द का कहीं नहीं प्रयोग हुआ है और सब जगह नामिनेटेड या एप्वाइंटेड का ही जिक्र है। इसलिये अगर वह आगे आये तो कान्सीक्वेन्शियल तरीके पर रखा जा सकता है। मैं समझता हूं कि यहां पर यह असंगत है।

श्री रामनारायण त्रिपाठी—अधिष्ठाता महोदय, यह प्वाइंट आफ आर्डर जो मंत्री जी ने उठाया है.....।

श्री मोहनलाल गौतम—मैंने यह प्वाइंट आफ आर्डर नहीं उठाया, मैंने तो सुविधा के लिये बताया कि जो शब्द मेन बिल में नहीं आयेहैं वे यहां न आने चाहियें। जब कि वहां कोआप्शन का जिक्र नहीं है तो इस वक्त इस को न लिया जाय। इसको कान्सीक्वेन्शियल के तौर पर जोड़ दिया जाय, लेकिन इस वक्त यह असंगत ह।

श्री विष्णुदयाल वर्मा (जिला मैनपुरी)—चेयरमैन महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि खंड ६ में प्रस्तावित नई धारा 5—A की पंक्ति २ में शब्द "nominated or appointed" के स्थान पर शब्द "co-opted" रख दिया जाय।

श्रीमान् जी, यह शब्द जो कि प्रस्तावित बिल में रखे हुए हैं वह प्रजातंत्र के सिद्धांत की रू के खिलाफ हैं और चूंकि अब दुनिया की तानाशाही शक्तियां खत्म हो रही हैं, इसलिये ऐसे समय में पंचायत राज का जो मक़सद है उसको न मान कर ऊपर से अथारिटी थोपने की व्यवस्था न होनी चाहिये, इस से प्रजातंत्र के सिद्धांत की हत्या होती ह। इसलिये मैं निवेदन करूंगा कि "नामिनेटेड और एप्वाइंटेड" की जगह शब्द "कोआप्टेड" रख दिया जाय, ताकि महात्मा गांधी के उसूल के अनुसार पंचायतें अपने उद्देश्य को पूरा कर सकें। इन शब्दों के साथ में सरकार से प्रार्थना करूंगा कि वह मेरे संशोधन को स्वीकार करने की कृपा करे।

श्री शिवनारायण (जिला बस्ती)—चेयरमैन साहब, मैं आपकी इजाजत से "कोआप्टेड" शब्द रखे जाने का विरोध करता हूं। "नामिनेटेड" शब्द ही ठीक मालूम पड़ता है। इस बिल में यह व्यवस्था की गयी है कि २५ आदमी चुने जायेंगे और वह पब्लिक के चुने हुए आदमी होंगे, चाहे वे सोशलिस्ट हों या कम्युनिस्ट हों, और उनमें से ५ आदमी छांट लिये जायंगे। इस लिये इसमें "कोआप्ट" करने का सवाल पैदा नहीं होता और न ऐसा करना मुनासिब ही होगा। इन शब्दों के साथ मैं इस का विरोध करता हूं और माननीय सदस्यों से कहूंगा कि वे इसको वापस ले लें।

श्री कृपाशंकर---चेयरमैन साहब, ऐसा जान पड़ता है कि जिन महोदय ने इस संशोधन को पेश किया है वे इस धारा को समझे नहीं हैं। यहां ३ तरीक़े दिखलाये गये हैं, एक तो खुद चुने जायंगे, कुछ नामिनेट होंगे और कुछ एप्वाइंट होंगे और कहीं भी "कोआप्ट" करने का जिक्र नहीं है। इसलिये "कोआप्टेड" रखने से तो मलतब ही खब्त हो जायगा। मैं समझता हूं कि अगर इस प्रकार कर लिया जाय तो यह शब्द जब "कोआप्टेड" मेंन बिल में हैं नहीं तो कैसे यहां प्रयोग हो सकता है। कोआप्शन लफ्ज यहां पर कर देना मुनासिब नहीं होगा। मैं समझता हूं कि इससे मतलब खब्त हो जायगा। मेरे दोस्त शायद अब समझ गये होंगे। मेरी प्रार्थना है कि वे इसे वापस ले लें।

श्री विष्णुदयाल शर्मा---अधिष्ठाता महोदय, मेरा मंशा इस संशोधन के रखने का यह है कि बिल में आगे ऐसा उपबन्ध किया गया है कि कुछ जगहें जो कि गांव सभाओं में किन्हीं कारणों से पूरी न हों या खाली हो जांय वहां पर जो प्रस्तुत बिल है उसमें ऐसी व्यवस्था की गयी है कि प्रेस्क्राइब्ड अथॉरिटी या कोई भी अथॉरिटी जो कि गवर्नमेंट को मान्य हो उन जगहों को पूरी कर दें। मैं पहले ही कह चुका हूं कि इस तरह का सिद्धांत मानना जनता के ऊपर एक हुक्म लादना है और यह प्रजातंत्र के सिद्धांत के बिलकुल खिलाफ है। इसलिये मैं यह चाहता हूं कि जहां पर भी शब्द एप्वाइंटमेंट या नामिनेशन का हो वहां पर कोआप्शन रक्खा जाय। मैं फिर जोरदार शब्दों में इस संशोधन को रखता हूं और प्रार्थना करता हूं कि माननीय मंत्री जी इसे फिर सोचें।

श्री कृपाशंकर---अधिष्ठाता महोदय, मैं आप के द्वारा निवेदन करना चाहता हूं कि उनका खयाल यह है कि एक आदमी नामिनेट न किया जाय, एप्वाइंट न किया जाय, बल्कि कोआप्ट किया जाय। उनका जहां तक यह खयाल है उससे मैं हमदर्दी रखता हूं, लेकिन यहां किसी को एप्वाइंट करने का या नामिनेट करने का अधिकार नहीं दिया जा रहा है। यहां तो यह किया जा रहा है कि कोई आदमी जो क्वालिफाइड न हो वह एप्वाइंट नहीं किया जायगा। यहां पर यह अख्तियार नहीं दिया जा रहा है कि वह एप्वाइंट करें या नामिनेट करें। यहां पर तो सवाल यह है कि ऐसे आदमी नामिनेट, एप्वाइंट या कोआप्ट नहीं किये जायंगे जो कि इस प्रकार से डिसक्वालीफाइड हों। मेरे भाई साहब अगर ठीक से पढ़ लें तो यहां पर यह प्रश्न ही नहीं उठता। यहां पर अख्तियार एप्वाइंट करने या नामिनेट करने का नहीं दिया जा रहा है। जहां आगे सवाल यह आये वहां पर इस पर विचार हो सकता है।

अधिष्ठाता---प्रश्न यह है कि खंड ६ में प्रस्तावित नई धारा 8-A की पंक्ति २ में शब्द "nominated or appointed" के स्थान पर शब्द "co-opted" रख दिया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री रामनारायण त्रिपाठी---माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आपकी आज्ञा से निम्नलिखित संशोधन उपस्थित करता हूं कि खंड ६ में प्रस्तावित नई धारा 5-A की उपधारा (b) की पंक्ति ३ में शब्द "authority" और शब्द "or" के बीच में निम्नलिखित वाक्यांश जोड़ दिया जाय :---

"serving in the area of the Gaon Sabha or Nyaya Panchayat as the case may be."

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मुख्य बिल की धारा जिस पर मेरा संशोधन है वह इस प्रकार है :---

A person shall be disqualified for being chosen, nominated or appointed to, and for holding any office in the Gaon Sabha or the Gaon Panchayat or the Nyaya Panchayat constituted under section 42, if he—

(*a*) is, for the time being not a member of the Gaon Sabha concerned,

(*b*) holds any office of profit under a State Government or the Central Government or a local authority."

यहां पर मैं यह चाहता हूं कि शब्द "local authority" और "or" के बीच में यह रख दिय जाय। अधिष्ठाता महोदय, मूल अधिनियम में यह प्रतिबन्ध नहीं था। इसमें तो एक अथॉरिटी डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के कर्मचारी तो आते हैं जो किसी जगह क्लर्क हों या किसी और हैसियत से काम करते हों वे आते हैं। लेकिन अध्यापक लोग काफी हिस्सा चुनाव वगैरह में लिया करते थे। आज सैकड़ों और हजारों की तादाद में ऐसे अध्यापक हैं जो न्याय पंचायतों और गांव पंचायतों के सदस्य हैं और आम तौर पर छुट्टियों के दिनों या रविवार को हिस्सा लिया करते हैं लेकिन आज जैसा कि यह विधेयक उपस्थित किया गया है अध्यापकों को गांव पंचायतों और न्याय पंचायतों में काम करने से और भाग लेने से वंचित किया जा रहा है। यों तो आठ साल के कांग्रेसी शासन में शिक्षितों की तादाद बढ़ी नहीं है। पहले सात थी और अब माननीय स्वायत्त मंत्री जो बतला सकते हैं कि लेकिन दस या बारह फीसदी से अब भी ज्यादा नहीं है। देहातों में जनता का काम करने वाले और सेवा की प्रवृत्ति रखने वाले बहुत कम हैं और जहां तक ग्राम पंचायतों का संबंध है उनमें बहुत कम लोग हिस्सा लिया करते हैं, कोरम भी पूरा नहीं होता और आम तौर पर जितने निर्माण के कार्य होते हैं वह यों ही पड़े रहते हैं। अगर हम आंकड़े इकट्ठे करें कि कितने गांव पंचायतों ने ठीक से काम किया तो हमें बड़ी निराशा होगी। ऐसी हालत में जो अध्यापक देहाती जीवन में जो अगुवा हैं और हर आदमी जब कोई समस्या उनके सामने आ जाती है तो वह गरीब मास्टरों के सामने जाया करते हैं और उनकी राय के अनुसार कार्य करते हैं। अध्यापकों की संख्या ८५ हजार के क़रीब है और आज इन ८५ हजार को गांव पंचायतों के काम में भाग लेने से वंचित रखने के क्या माने हो सकते हैं? सरकार की क्या मंशा है कि पढ़े लिखे लोग आम तौर पर इन पंचायतों में हिस्सा न लें। एक प्रधान तो पढ़ा लिखा हो और बाक़ी सब अंगूठा लगाने वाले हों। मैं समझता हूं कि इस प्रकार का कार्य सरकार का बिलकुल अनुचित है। मैं समझता हूं कि अध्यापक वर्ग देहाती समाज के शिरोमणि हैं और उनको इसके निर्माण और संचालन में पूरा हिस्सा लेना चाहिये। मालूम होता है कि व्रजविहारी जी मिश्र भी इसका समर्थन करने वाले हैं इसलिये अब मुझे कुछ कहने की आवश्यकता नहीं रहती। मैं इन शब्दों के साथ इस संशोधन को पेश करता हूं।

श्री कृपाशंकर---माननीय सदस्य ने अमेंडमेंट पेश किया इसको मिला कर पढ़ें। यह इसमें बैठता नहीं है। "अथॉरिटी" के बाद "और" कोई नहीं है जिसके बाद "सरविंग" रखा जाय।

अधिष्ठाता---श्री रामनारायण त्रिपाठी जी यह बतलावें कि किस प्रकार यह ठीक बैठता है?

श्री रामनारायण त्रिपाठी---मेरे इस संशोधन का मतलब यह है कि न्याय पंचायत या गांव पंचायत में रहता है तब तो प्रतिबन्ध है कि उसको डिस्क्वालीफाई समझा जाय अगर बाहर का हो तब उसको चुनाव में भाग लेना चाहिये.....

अधिष्ठाता---लेकिन जोड़ने से तो आपका संशोधन इसमें ठीक नहीं बैठता।

श्री रामनारायण त्रिपाठी---मतलब मेरा साफ है। भाषण होने दीजिये। इसको अभी ठीक कर दिया जायगा।

श्री व्रजविहारी मिश्र---अधिष्ठाता महोदय, माननीय त्रिपाठी जी ने समझाने की कोशिश की। लेकिन वस्तुस्थिति क्या है, दरअसल वह क्या चाहते हैं यह विचारणीय है। मेरा नाम लेकर माननीय त्रिपाठी जी ने कहा कि शायद मैं उनके इस प्रस्ताव का समर्थन करता हूं। मैं इस प्रस्ताव का समर्थन नहीं करता हूं बल्कि मैं घोर विरोध करता हूं। माननीय चेयरमैन

[श्री व्रजविहारी मिश्र]

महोदय, मुझे क़रीब-क़रीब २२ वर्ष का तजुर्बा डिस्ट्रिक्ट बोर्ड का है और मैं डिस्ट्रिक्ट बोर्ड का अधिकारी भी रहा हूं। अध्यापकों को अगर आपने यह अधिकार दे दिया कि वे प्रधान, उप-प्रधान या न्याय पंचायतों में भाग लें अर्थात् इन पदों के लिये चुने जा सकें तो जिस दिन उन्होंने भाग लिया उसी दिन पंचायत राज की योजना विफल हो जायगी, बल्कि समाप्त हो जायगी। हम चाहते हैं कि अध्यापक बिलकुल स्वतंत्र रहें और जो गांव की लोकल पालिटिक्स है उससे वे अलग रहें तब ही वह अध्यापक का कार्य ठीक प्रकार से कर सकेंगे। अगर वह लोकल पालिटिक्स में पार्ट लेने लगेगा तो जैसा पहले हुआ था वही होगा। पहले कुछ ऐसी ग़लतफ़हमी हुई कि बहुत से अध्यापक ग्राम सभाओं के पंच बन गये और बहुत से अध्यापक न्याय पंचायतों में चले गये। उसके बाद फिर ऐसा हुआ कि बहुत सी दरख्वास्तें उनके खिलाफ आने लगीं कि बहुत सी गांव पंचायतों को उन्होंने चौपट कर दिया। फिर मजबूरन यह आर्डर देना पड़ा कि अध्यापक लोग इन संस्थाओं में हिस्सा नहीं ले सकते हैं। मैं यह कहूंगा कि इस पर ज्यादा व्याख्यान की जरूरत नहीं है। माननीय त्रिपाठी जी से मैं यह सानुरोध करना चाहता हूं कि आप इस पर जोर न दें और अध्यापकों को किनारे रखें। जो काम वह कर रहे हैं वह नितान्त आवश्यक है और उनको इन झंझटों से अलग रखना चाहिये। उनसे केवल अध्यापन का कार्य लिया जाना चाहिये। मैं यह जानता हूं कि गांवों में वह क्रीम आफ दी सोसाइटी हैं, वह पढ़े लिखे लोग हैं, लेकिन उनका कार्य दूसरा है। सारे राष्ट्र के निर्माण करने का कार्य उनका है और वही कार्य उनको करने दिया जाय और इस काम से उनको अलग रखा जाय। इन शब्दों के साथ मैं इस संशोधन का विरोध करता हूं।

श्री रामसुन्दर पांडेय (जिला आजमगढ़)—अधिष्ठाता महोदय, मैं अपने साथी राम नारायण त्रिपाठी जी के संशोधन का समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं। यह बात सही कि गांवों में जो दलबन्दियां हैं उनसे जिला बोर्ड का अध्यापक अगर बरी रहें तो वह स्कूलों में अच्छा काम करेगा। लेकिन मैं माननीय सदस्य पंडित व्रजविहारी मिश्र जी से पूछना चाहता हूं कि जिला बोर्ड का अध्यापक इस चीज से बरी हो जायं तो अच्छा है लेकिन हायर सेकेंड्री स्कूल का अध्यापक अगर अदालती पंचायत का सरपंच हो जाता है तो वह क्या करता है? एक एम० एल० ए० सरपंच हो जाता है तो वह क्या करता है? यह कहना उचित नहीं है कि अगर जिला बोर्ड का एक अध्यापक पंचायत के काम में हाथ बटायेगा तो वह अध्यापन का कार्य नहीं कर सकेगा। अधिष्ठाता महोदय, हरएक आदमी के अलग-अलग पद की अलग-अलग जिम्मेदारियां होती हैं। अगर एक अध्यापक गांव से एक मील या दो मील की दूरी पर किसी स्कूल में पढ़ाता है तो यह नामुनासिब है कि वह गांव की दलबन्दी में रहे। यह भी बात सही है कि अगर वह गांव की दलबन्दी में रहता है तो उस दलबन्दी से और उसके अध्यापन के काम से क्या मतलब है। यदि अध्यापक स्कूल में जा कर के स्कूल का काम ठीक करता है तो जिला बोर्ड के चेयरमैन मिश्र जी हैं वह उसे मुअत्तल कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। अगर वह अदालती पंचायत का सरपंच है और वहां का काम ग़ैर जिम्मेदारी से करता है तो माननीय स्वाशासन मंत्री जी के हाथों में इतनी बड़ी शक्ति आप सुपुर्द कर रहे हैं कि वह एक मिनट नहीं टिक सकता है। तो यह कहना कि अगर उसको दो जिम्मेदारियां रहेंगी तो वह कामयाब नहीं होगा यह बिलकुल ग़लत है। माननीय अधिष्ठाता महोदय, इस विधेयक को अगर माननीय व्रज विहारी मिश्र जी पढ़ेंगे तो उन्हें ज्ञात होगा कि प्रधान के चुनाव के लिये बाकायदा पाबन्दी है कि वही खड़ा हो सकता है जो कि पढ़ा लिखा हो। अधिष्ठाता महोदय, इस प्रदेश के अन्दर बहुत से ऐसे गांव हैं जहां बहुत कम लोग पढ़े लिखे हैं अगर ऐसा कोई गांव निकल आया जहां कोई पढ़ा लिखा आदमी न हो और उस गांव का कोई अध्यापक हो तो अध्यक्ष कौन चुना जायगा? इस गांव में न्याय पंचायत के पंच का चुनाव कैसे होगा? मैं आप से निवेदन करना चाहता हूं कि त्रिपाठी जी ने जो संशोधन रखा है वह इस बात का सबूत है। पढ़ा लिखा अध्यापक जो उसी गांव का निवासी है वह जिम्मेदारी के साथ काम कर सकता है और मेरा विश्वास है कि अब तक जितने पंच और अध्यक्ष रहे हैं वह डिस्ट्रिक्ट बोर्डस् के अध्यापक भी रहे हैं और हायर सेकेंड्री स्कूल के भी अध्यापक रहे हैं और उन्होंने बड़ी जिम्मे-

दारी के साथ काम को संभाला है। जैसी कि माननीय मंत्री जी की रिपोर्ट है। मैं निवेदन करूंगा कि सदन माननीय त्रिपाठी जी के संशोधनन को स्वीकार कर ले।

अधिष्ठाता--माननीय त्रिपाठी जी बतलायेंगे कि यह किस तरह से ठीक बैठता है।

श्री रामनारायण त्रिपाठी--अधिष्ठाता महोदय, जो माननीय मंत्री जी को दिक़्क़त थी वह थोड़े से शब्द ज्यादा हो गये थे। असल में यह होगा कि "खंड ६ में शब्द authority" के बाद निम्नलिखित वाक्यांश जोड़ दिया जाय। "or" तो आगे था उसे लिखा गया था। इसलिये इस शब्द अथारिटी के बाद ही निम्नलिखित वाक्यांश रख दिया जाय तो ठीक हो जायगा।

"serving in the area of the Gaon Sabha or Nyaya Panchayat as the case may be"

†**श्री पद्मनाथ सिंह** (जिला आजमगढ़)--माननीय चेयरमैन महोदय, अभी जो प्रस्ताव माननीय राम नारायण जी ने पेश किया है यह बैठ तो जाता ही है। अब केवल इसके मेरिट्स के संबंध में निवेदन करना है। यदि इसको स्वीकार कर लिया जाय तो जैसा कि एक गांव सभा में उस गांव का कोई अध्यापक नहीं है और दूसरे गांव का अध्यापक है जो रहता है तो उसको अधिकार होगा कि वह गांव सभा में आ जाय और उस गांव के कामों में दखल दे तो एक उच्छृंखलता उत्पन्न होगी कि दूसरे गांव का आदमी उस गांव में दखल दे। इससे तो एक अव्यवस्था उत्पन्न होगी कि वहां की परिस्थितियों में बाहर का आदमी सरकारी अधिकारी की तरह दखल देगा और वह ठीक नहीं होगा।

दूसरी बात यह है कि यह बात नहीं है कि हम पढ़े लिखे अध्यापकों को वंचित करना चाहते हैं या उनको अधिकार नहीं देना चाहते हैं। यह नहीं है कि उनके सम्मान में किसी तरह की कोई कमी आती है बल्कि अध्यापकों को बड़ी जिम्मेदारी का काम सौंपा गया है। जैसा कि मिश्र जी ने बतालाया है कि उनका काम सफर करता है इसलिये कि वह दूसरे कामों में व्यस्त रहते हैं। उनको तमाम कामों से दूर रखें और उनको पार्टीबाजी से दूर रखें और उनको केवल शिक्षा के काम में व्यस्त रखें तो ज्यादा अच्छा होगा। उनको इसमें घसीटना नहीं चाहिये और इससे और भी दिक़्क़तें होंगी। अगर केवल शिक्षा का मतलब यह है कि नार्मल पास हो या मिडिल पास हो, तो मैं असहमत हूं। गांवों में बहुत से ऐसे लोग हैं जो मिडिल वगैरह कुछ भी पास नहीं हैं लेकिन विवेचन बुद्धि उनकी विकसित है और गांव की समस्याओं को वे अच्छी तरह से समझ सकते और सुलझा सकते हैं। विधान में केवल पढ़ लिख सकते हों इतना ही है और सही भी है। मैं समझता हूं कि गांव के कार्यों के संचालन के लिये गांव के लोगों को ही अधिकार दिये जायं और किसी बाहर के आदमी को उसमें नहीं आने देना चाहिये और उस गांव के अध्यापक को वंचित न रखा जाय। गांव का अध्यापक तो वंचित हो और बाहर का यदि अध्यापक होगा तो ठीक नहीं होगा यह बहुत सोच विचार कर रखा गया है। इस प्रस्ताव से बहुत बड़ी उच्छृंखलता उत्पन्न होगी। मैं आशा करता हूं कि आप इसे वापस ले लेंगे।

†**श्री श्यामलाल** (जिला गोंडा)--माननीय चेयरमैन साहब, मेरा ऐसा ख्याल है कि यह जो अमेंडमेंट माननीय रामनारायण जी ने रखा है वह एक ऐसी चीज है कि जो एक दल दल में लोगों को फंसा रही है लेकिन वह अपने काम को तो पूरा कर ही नहीं पाते, जिसके लिए कि वह रखे गये हैं। उनको रखने से फायदा क्या होगा, वह तो एक दिक्कत पेश होगी। एक मास्टर अगर इस गांव का रहने वाला है और २०-४० मील पर वह काम करता हो तो हमेशा चेयरमैन से यह कोशिश करेगा कि उसका तबादला किसी नजदीक के गांव में या जहां का वह रहने वाला है वहां पर कर दिया जाय। मैं तो यह समझता हूं कि जिस मकसद से यह संशोधन पेश किया गया है वह तो कुछ और ही है। मुझे उससे कोई मतलब नहीं है।

---

†वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री श्यामलाल]

समझने वाले समझ ही जाते हैं। म तो यहां तक कहने के लिए तैयार हूं कि पंच यदि अदालत में तो पढ़े लिखे लोग होने चाहिये, क्योंकि वहां के पंच को जजमेंट लिखना पड़ता है, लेकिन सरपंच के लिए कोई पढ़े लिखे होने की खास जरूरत नहीं है। गांव में ऐसे बहुत से मुखिया और ऐसे लोग होते हैं जो ईमानदारी से काम करते हैं और बहुत अच्छे फैसले देते हैं। तो अगर आदमी ईमानदार हो और लोगों का उस पर विश्वास हो तो उसमें पढ़ा लिखा होना जरूरी नहीं है। लिहाजा पंच, सरपंच जो गांव सभा के होते हैं उनका पढ़ा लिखा होना जरूरी नहीं है। इन अल्फाज में मैं आपके संशोधन की मुखालिफत करता हूं।

†श्री मदनमोहन उपाध्याय (जिला अल्मोड़ा)—अधिष्ठाता महोदय, जो संशोधन माननीय रामनारायण जी ने पेश किया है मैं उसका समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं। अभी थोड़ी देर हुई अभी हमने एक संशोधन यहां पर पास किया कि वह आर्डिनरिली बाहर का रेजीडेन्ट होना चाहिये। उस पर यह दलील दी गयी कि हो सकता है कि वह आदमी बाहर किसी काम में हो, सर्विस में हो, इसलिए अधिकार मिलना चाहिये कि वह अपने इलाके में और इलाके के भलाई के लिए अगर कोई डेवलपमेंट वगैरा का काम हो तो उसमें शरीक हो सके। लेकिन जो अभी माननीय राम नारायण जी ने यह संशोधन रखा तो उसका विरोध इस बिना पर किया गया है कि उसको तो और काम भी करने होते हैं, वह अगर नहीं करता है तो इन कामों में क्यों डाला जाय। अधिष्ठाता महोदय, यहां जब कि टीचर्स एम०एल०ए० हो सकते हैं, मैं समझता हूं कि माननीय शिवनारायण जी इस सदन के मेम्बर हैं उनको भी वंचित किया जा रहा है कि वह ग्राम सभा के मेम्बर न हों। सिर्फ इसलिए कि टीचर्स से प्रिजुडिस्ड होना कि उन्होंने अपने हक के लिए लड़ाई लड़ी। यह तो किसी पार्टी में शरीक हो जायेंगे और वहां का वातावरण बिगाड़ देंगे, यह आर्गूमेंट मेरी समझ में नहीं आता। इसके सम्बन्ध में हमारे शिवनारायण जी तो अवश्य ही कुछ कहेंगे कि हरएक को अपने हकों के बारे में लड़ने का अधिकार है।

मैं यह समझता हूं कि यह ठीक है, जैसा राम नारायण जी ने कहा है कि जिस एरिया में रहता हो वहीं का टीचर हो तब तो गड़बड़ कर सकता है, लेकिन जहां वह टीचर है वहां उसका घर नहीं है और वहां वह गांव में सलाह और सुझाव दे सकता है, किसी पद पर रह कर कोई काम कर सकता है तो इसमें क्या हर्ज है? आप क्यों उसके इस अधिकार से उसको वंचित करना चाहते हैं? यह कैसे हो सकता है? इसलिए अधिष्ठाता महोदय, मैं समझता हूं कि जो प्रस्ताव रखा गया है वह उचित है। यह हो सकता है कि कोई बाहर का हो, कोई लखनऊ में काम करते हैं और हमारी ग्राम सभा के मेम्बर हैं। वह छुट्टी में काम कर सकते हैं और जब मौका हो कहीं जाकर अपने देश की सेवा कर सकते हैं तो कोई कारण नहीं है कि उनको इससे वंचित किया जाय और हमारी ग्राम सभा उनकी सेवाओं से फायदा न उठा सकें। इसलिए मैं समझता हूं कि यह संशोधन जो माननीय रामनारायण जी ने प्रस्तुत किया है उसे माननीय मंत्री जी स्वीकार कर लें।

†श्री भगवतीप्रसाद शुक्ल (जिला प्रतापगढ़)—अधिष्ठाता महोदय, मैंने विरोधी सदस्यों के भाषण सुने और मैंने यह अनुभव किया कि अध्यापकों को जिनको गांवों में घी कहते हैं उनको वह डालडा में मिक्स करके उनकी बुद्धि को नष्ट करना चाहते हैं। आप जानते हैं अधिष्ठाता महोदय, कि यदि घी में डालडा मिला दिया जाय और उससे मिठाई बनाई जाय तथा उसका सेवन किया जाय तो क्या असर होता है। इसलिये इस दृष्टि से मैं यह कहना चाहता हूं कि अध्यापक जो कि गांवों में विद्यार्थियों का जीवन निर्माण करने में अपना समय व्यतीत करते हैं उनको उसके बजाय पंचायती अदालतों में बैठायें या गांव सभा की दलबन्दी में उनको डालकर वहां के दूषित वातावरण में उनको बैठाने का प्रयत्न

---

†वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

करें यह उचित न होगा। यदि हमें गांवों में अच्छे नागरिकों का निर्माण करना है, अच्छे से अच्छे विद्यार्थियों का निर्माण करना है तो उनको पढ़ाने वाले अध्यापकों का भी वातावरण ऐसा रहना चाहिये जिससे कि वह विद्यार्थियों के जीवन को कुछ और ऊंचा उठा सकें। यह कहना कि गांव के रहने वालों में अध्यापक ही ऐसे हैं जो पढ़े लिखे हैं और यदि अध्यापकों को पंचायती अदालतों में या गांव सभाओं में बैठने से वंचित किया जायगा तो पढ़े लिखे आदमी बहुत कम मिलेंगे, मेरी समझ से ठीक नहीं है। मैं आपके द्वारा नम्र निवेदन यह करना चाहता हूं कि गांवों में अध्यापकों के अलावा भी बहुत से ऐसे सज्जन रहते हैं जो कि पढ़े लिखे हैं। मुमकिन है कि आजमगढ़ जिले में या पहाड़ी इलाके में या और कहीं जहां से कि हमारे विरोधी सदस्य आये हैं वहां इनकी कुछ कमी हो। लेकिन हमारे प्रांत में मैं यह आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि इस समय पढ़े लिखे सज्जनों की कमी नहीं है। उनकी संख्या बहुत बढ़ी हुयी है। और एक तरफ मैं उनका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। थोड़े दिन पहले यहां पर अध्यापकों की स्ट्राइक के जमाने में बहुत सी बातें ऐसी बतायी गयीं कि अध्यापक अपने वेतन के लिए लड़ रहे हैं, लेकिन वह ईमानदारी से और सच्चाई से अपने स्कूलों में जाकर पढ़ाने में अपना समय नहीं लगाते। इस चीज को हम अच्छी तरह से जानते हैं। हमारी इस असेम्बली में बहुत से ऐसे सदस्य हैं कि जो कि डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के भी सदस्य हैं और म्युनिसिपल बोर्ड के भी सदस्य हैं और यह चीज वह लोग अच्छी तरह से कह सकते हैं कि हमारे ग्राम के जो अध्यापक हैं, जो पाठशालाओं में या किसी स्कूल में अध्यापन का कार्य करते हैं उनके सम्बन्ध में बहुत सी ऐसी शिकायतें हैं कि वे अपना पढ़ाने का कार्य अच्छी तरह से नहीं करते। अपने मकान के नजदीक वाले स्कूल में रहना चाहते हैं, घर की खेती बाड़ी का काम करते हैं, स्कूल में थोड़ी देर के लिये पहुंचकर थोड़ा सा पढ़ाकर अपने घर लौट जाते हैं। जो और सरकारी मुहकमें हैं और जो गवर्नमेंट के सर्वेन्टस् हैं उनको इस तरह की आज्ञा दी गई है कि वे दलबन्दी में न पड़ें, पार्टीबाजी में न पड़ें और अपने कार्य में अपना समय व्यतीत करें। यह आदेश गवर्नमेंट की तरफ से दिया जाता है। यदि गवर्नमेंट स्कूल के अध्यापकों से यह कहा जाता है कि अपना समय पार्टीबाजी के कार्य में न लगायें या गवर्नमेंट के कर्मचारियों से कहा जाता है कि दलबन्दी में न पड़कर ईमानदारी से अपने सेवा कार्य को करें तो मिडिल स्कूल के अध्यापकों को भी उसी तरह से यदि वंचित किया जायगा तो यह और किसी मकसद से नहीं, बल्कि इसीलिए कि उनका समय पवित्र कार्य के लिए अच्छी तरह से व्यतीत हो। उपाध्याय जी ने हमारे मित्र शिवनारायण जी के सम्बन्ध में कुछ कहा है। लेकिन मैं उनसे यह निवेदन करना चाहता हूं कि शिवनारायण जी को उन्होंने अच्छी तरह से समझा नहीं। उनका ख़याल गलत है कि वह प्राइमरी स्कूल या डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के अध्यापक हैं। वह एक इंटरमीडियट कालेज के अध्यापक हैं। यह आपको मालूम होना चाहिए। इसलिये मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि वह असेम्बली के भी मेम्बर हो सकते हैं और गांव सभा के भी मेम्बर हो सकते हैं और अगर मौका पड़ेगा तो पार्लियामेंट के भी मेम्बर हो सकेंगे। आप उनको वंचित नहीं कर सकते हैं। इसलिए मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि हमारे मित्र त्रिपाठी जी इस संशोधन को वापस लें और जिस तरह से कल बहुत जल्द कार्य हो गया यह आगे बढ़ता रहे।

श्री रामसुभग वर्मा (जिला देवरिया)--माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं त्रिपाठी जी के प्रस्ताव का समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं। माननीय अधिष्ठाता महोदय, मुझे यह सुनकर कि ग्राम सभाओं, न्याय पंचायतों में अध्यापकों को किसी पद पर रखने के लिये विरोध किया जा रहा है, बहुत आश्चर्य हुआ। एक तरफ तो सरकार इसी बिल में यह ले आयी है कि उन पंचायतों में पढ़े लिखे आदमी रखे जायं। दूसरी तरफ जब हमारे माननीय उपनेता त्रिपाठी जी यह संशोधन लाये हैं कि जनता की ग्राम सभाएं हैं उन सभाओं में अध्यापकों को शरीक किया जाय तो उस पर हमारे सरकारी पक्ष के माननीय सदस्य खड़े होकर विरोध करते हैं।

[श्री रामसुभग वर्मा]

अभी एक माननीय सदस्य ने पढ़ाई-लिखाई के सम्बन्ध में कहा, मैं तो उनसे जानना चाहूंगा कि उनके यहां पढ़े लिखों का कितना परसेंटेज है। देहातों में ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपने गांव सभाओं को चुना। उसमें कम पढ़े लिखे लोग रहते हैं। गांव सभाओं का एक नियम है कि गांव सभाओं का बजट साल में दो बार पेश किया जाय। लेकिन हमने देखा है कि उन गांव सभाओं में कहीं भी वह बजट तैयार नहीं होता, इसलिए कि पढ़े लिखे लोगों की कमी रहती है। पढ़े लिखों की कमी के कारण सेक्रेटरी अपने इंस्पेक्टर से प्रस्ताव लिखवा लाता है, वहां के सदस्यों से दस्तखत कराकर प्रस्ताव पास करवा लेता है। इसलिए हम को सन्देह हो रहा है कि माननीय सदस्य डरते हैं कि अगर पढ़े लिखे लोगों को अधिकार मिल जायगा तो वह इन गलत कामों का विरोध करेंगे। इसलिये उनको उन अधिकारों से वंचित रखना चाहते हैं। इसलिए मैं चाहता हूं कि जो अध्यापक जिस गांव के पास रहते हैं उनको वहां की गांव सभाओं में भाग लेने का अधिकार दिया जाय और उन कमेटियों में वह शरीक किये जायं ताकि लोगों को वह गलतियों से अवगत करा सकें। इसलिये मैं त्रिपाठी जी के संशोधन का समर्थन करता हूं और आशा करता हूं कि माननीय मंत्री जी इसको स्वीकार करेंगे।

श्री रामनरेश शुक्ल (जिला प्रतापगढ़)—मैं प्रश्न उपस्थित करता हूं।

श्री जगन्नाथ मल्ल (जिला देवरिया)—मैं विरोध करता हूं।

अधिष्ठाता—अच्छा वीरेन्द्रशाह जी बोल लें। उसके बाद प्रश्न उपस्थित किया जायगा।

* राजा वीरेन्द्रशाह (जिला जालौन)—सभापति महोदय, जो संशोधन अभी भवन के सामने पेश है उसके समर्थन में मैं खड़ा हुआ हूं।

मैं, श्रीमन्, आपके जरिये अदब से कहना चाहता हूं कि जिस तरीके का प्रस्ताव अभी लाने की चेष्टा की गयी। अभी तो बिसमिल्ला ही है अगर शुरुआत में ही इस तरह से छेड़ देंगे तो आपके लिए ही बुराई है। आप शुरू ही में समझ रहे हैं कि देरी हो रही है। अगर गवर्नमेंट नहीं चाहती है तो असेम्बली होती ही क्यों है?

जो संशोधन त्रिपाठी जी ने रखा है उस पर गम्भीरतापूर्वक आप विचार कीजिये। पहले ग्राम सभाओं में जितने हमारे अध्यापक लोग थे, वे हिस्सा लेते थे, क्योंकि ग्राम के लोग ग्राम सभाओं के विधान को और उनके कार्यों को नहीं जानते थे। इसलिये ग्राम के जो मास्टर थे जो बच्चों को पढ़ाते थे वही बुड्ढों को भी पढ़ाते थे। इधर यह कहते हैं कि वे लोग पढ़े लिखे नहीं हैं, उनको समझाने का मौका चाहिए। जब हम लोग तरकीब बतलाते हैं कि अपने एरिया में सरपंच न हों, लेकिन अगर दूसरी जगह मदद कर सकें तो उनको मौका दिया जाय। उनको मौका न देने का कारण यह है कि कुछ दिनों से मास्टर, मैं देख रहा हूं, सरकार से रुष्ट हैं। लेकिन सरकार यह समझती है कि उनको यहां शायद इस तरह से रखने से वह गोष्ठी बैठेगी नहीं तो यह तरीका ठीक नहीं है। जो न्याय का तरीका है उस पर मंत्री जी सोचें और ये जो मास्टर्स हैं उन पर विश्वास कीजिये, उन पर अविश्वास न कीजिये। शिक्षा मंत्री जो भी बैठे हैं। जब सर्कुलर निकले तो कुछ न कुछ ध्यान वह भी

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया

इस पर देंगे और उनके लिये ख्याल करेंगे और इन मास्टरों को रक्खा जायगा। इससे उनकी प्रतिष्ठा बढ़ेगी और आपका कार्य वे सुविधापूर्वक चलायेंगे। लिहाजा इस संशोधन को स्वीकार किया जाय।

अधिष्ठाता—प्रश्न यह है कि प्रश्न उपस्थित किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और हाथ उठा कर विभाजन होने पर निम्नलिखित मतानुसार स्वीकृत हुआ—

पक्ष में — ११३

विपक्ष में — १४।)

श्री रामनारायण त्रिपाठी—माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं उन तमाम मेम्बरों को धन्यवाद देता हूं कि जिन्होंने मेरे इस संशोधन में दिलचस्पी ली। मुझे माननीय हाफिज साहब की वह कहावत याद आ गयी जिसमें उन्होंने कहा था कि "दाढ़ी में तिनका" यानी बिल्कुल एक सीधे सादे संशोधन को भी सरकारी दल के लोग इस प्रकार से समझने की कोशिश करते हैं कि जिस पर मुझे बहुत ताज्जुब होता है। एक माननीय सदस्य ने तो यहां तक कहा कि अगर्चे मैं यह नहीं चाहता हूं कि अध्यापक गांव पंचायत और न्याय पंचायत में हिस्सा लें, बल्कि जो मैं यह चाहता हूं उसका कोई मकसद है। बहरहाल मेरा मकसद कुछ नहीं है; सिर्फ इतना है कि वह पढ़े लिखे लोग हैं और देहात में रहते हैं और उनकी संख्या बहुत ज्यादा है इसलिये मैं यह आवश्यक समझता हूं कि उनको उसमें हिस्सा लेने का अवसर मिलना चाहिये। यह इतनी बड़ी फौज बिना किसी फीस के आपका काम कर सकती है और इनका हिस्सा लेना मैं जरूरी समझता हूं। इसी विधेयक में हमने देखा है कि सरकार नामजद पंचों की एक बहुत बड़ी फौज खड़ी कर रही है। पिछली पंचायतों में जितने भी पंच थे उन्होंने पंच होते हुये भी खुल्लमखुल्ला सरकारी पक्ष की मदद की और वह इस वजह से कि उनको अलग न कर दिया जाय और उन्होंने विरोधी दल की कोई मदद नहीं की। इसलिये सरकार इन पंचों की बहुत बड़ी संख्या को खड़ा कर रही है चूंकि सरकार का असर गांवों में कम होता जाता है। इस वजह से नामजद पंचों के रूप में लाखों की फौज सरकार अपने लिये खड़ी कर रही है। हमारे संशोधन को सरकार ने स्वीकार नहीं किया। इसका कारण यही है कि सरकार यह समझती है कि अध्यापकों को पंचायतों के सदस्य और पदाधिकारी होने से नामजद पंचों की फौज की एक काट हो जावेगी। मेरे इस संशोधन का आशय केवल इतना था कि पढ़े लिखे लोग पंचायतों में काम करने के लिये आयें। मुझे ताज्जुब होता है कि सरकार इस सीधे सादे संशोधन को स्वीकार नहीं कर रही है। भगवती प्रसाद जी शुक्ल ने कहा कि हायर सेकेंडरी स्कूल के लोगों को तो मौका मिलता है, मगर इनके पास काम ज्यादा होने की वजह से मौका नहीं मिलना चाहिये। इसकी क्या वजह है कि वह तो राजनीति में हिस्सा ले सकते हैं मगर ये लोग नहीं ले सकते हैं। इन लोगों के पास काम ज्यादा रहता है और उन बड़े स्कूलों के मास्टरों के पास काम ज्यादा नहीं होता है यह बात कुछ समझ में नहीं आयी। चूंकि वह डिस्ट्रिक्ट बोर्ड का मुलाजिम है, अध्यापक है और वहां पर काम करता है इसलिये उसको भी कुछ हिस्सा वहां पर रचनात्मक कार्य करने का मिलना चाहिये। वह भी रचनात्मक कार्य कर सकता है। अध्यापक लोगों ने भी निःस्वार्थ जनता की सेवा की है। वह लोग ऐसे हैं कि उनके काम करने से बहुत लोगों को अवसर मिलेगा कि उनके पीछे वे चलें। तो इससे ऐसी सूरत में एक सहूलियत पैदा होगी। रचनात्मक कार्य में हमारे सरकारी कर्मचारी भी तो काम करते हैं और सरकार भी उनसे काम लेती है। इसी प्रकार से गांव पंचायत और न्याय पंचायत में भी जो कि सार्वजनिक सेवा का काम है उसमें काम करने के लिये अध्यापकों को अवसर मिलना चाहिये।

[श्री रामनारायण त्रिपाठी]

वहां पर कोई पार्टी बन्दी का सवाल नहीं है। वहां पर तो समझदार आदमी की जरूरत है जो ठीक तरह से वहां की स्थिति को समझ कर टैक्स वगैरह लगाने का काम करे। अगर वहां पर समझदार आदमी नहीं रहेंगे तो इसका नतीजा यह होगा कि गांव सभा टूट जायगी और जो काम आप चाहते हैं वह नहीं हो सकेगा। ऐसी सूरत में मैं उनका वहां पर रहना अनिवार्य और आवश्यक समझता हूं। मैं यह एक बुनियादी बात कह रहा हूं जो कि आपके लिये ही लाभदायक सिद्ध होगी।

इस वजह से मैं अध्यापकों का इन गांव पंचायतों में और न्याय पंचायतों में रहना जरूरी समझता हूं, क्योंकि वह सार्वजनिक हित के काम हैं जिसमें समझदार आदमियों के रहने की आवश्यकता है। इस कारण मुझे आशा है कि माननीय मंत्री जी इस पर पुनः विचार करेंगे।

श्री मोहनलाल गौतम—अधिष्ठाता साहब, इस संशोधन के दो हिस्से हैं। एक तो यह है कि क्या प्रैक्टिकल प्रोपोजीशन है इस समय कि सेंट्रल गवर्नमेंट के, स्टेट गवर्नमेंट के, या लोकल बोर्ड्स के मुलाजिम इन चुनावों में चुने जाने के लिये खड़े हो सकते हैं। मेरी जानकारी में न तो सेंट्रल गवर्नमेंट यह इजाजत देती है कि उसके कर्मचारी किसी चुनाव में खड़े हों और न स्टेट गवर्नमेंट के अधिकारियों या कर्मचारियों को यह अधिकार है कि वे खड़े होकर चुने जावें। यह हिदायतें हैं कि डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के कर्मचारी भी किसी पंचायत या न्याय पंचायत के लिये खड़े नहीं हो सकते और न चुने जा सकते हैं। ऐसी सूरत में अगर आप यह अधिकार दे भी दें कि वे चुने जा सकते हैं तब भी यह अधिकार एक तरफ का होगा। पंचायत राज्य कानून के अनुसार होगा और जब तक वे अथारिटीज जिनके वे मुलाजिम हैं, अधिकार न दें तब तक इसके कोई मानी नहीं हैं। बहस कुछ टीचर्स पर ही रह गई, हालांकि इस संशोधन का मतलब यह होता है कि चाहे चपरासी हो वह भी चुना जा सकता है। अगर इसका यह मतलब नहीं है तो फिर बहस हुई उसके लिये वे शब्द पर्याप्त नहीं हैं।

जहां तक अध्यापकों का सम्बन्ध है या किसी और का, मैं सदन से यह प्रार्थना करूंगा कि इस संशोधन को केवल इसी हद तक महदूद न समझें। अभी कई प्राइन हमारे सामने बाकी हैं कि पंचायतों, गांव सभाओं और डिस्ट्रिक्ट बोर्डों के क्या सम्बन्ध हों। मान लीजिये कि हम यह फैसला करते हैं कि डिस्ट्रिक्ट बोर्ड चुना हुआ हो, गांव सभा का या कोई उनका सम्बन्ध है और उसमें गांव पंचायतों के चुने जाने की भी कोई व्यवस्था हो, तब गांव पंचायतों के पदाधिकारी और डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के मुलाजिम दोनों अगर एक कर दिये तो उसमें काफी झंझट पड़ेगी। बड़ा मुश्किल हो जायगा प्रेसीडेंट, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के लिये यह तय करना कि एक प्रेसीडेंट है किसी गांव सभा का जो इस समय २ मील के गांव में टीचर है। डिस्ट्रिक्ट बोर्ड का टीचर यह समझता है कि चूंकि यह टीचरी का काम ठीक नहीं कर रहा है इसको ट्रांसफर कर दिया जाय २०, २५ मील की दूरी पर। तो क्या यह ट्रांसफर करना उसके लिये आसान या सम्भव होगा? अगर वह ट्रांसफर कर भी देता है तो सारा गांव उसके खिलाफ हो जायगा।

बहस यह भी हुई कि टीचर्स का जहां तक सवाल है, शिक्षा मंत्री जी यहां मौजूद हैं और वह इस पर विचार करेंगे कि अगर इस तरह के टीचर्स चुनाव में हिस्सा लें और टीचर्स का भी काम करें तो कहां तक मुनासिब होगा। मेरी अपनी राय है कि टीचर्स को बड़ी मुश्किल होगी चूंकि जब बजट सेशन होता है तभी इम्तिहान की तैयारी का समय होता है। टीचर या तो इम्तिहान की पूरी तैयारी बच्चों को नहीं करा सकेगा। या अपना काम लेजिस्लेचर का पूरा नहीं कर सकेगा। यूनीवर्सिटी के लोग या शिक्षा मंत्री क्या

समझते हैं, यह मैं नहीं जानता हूं। लेकिन मेरी राय है कि टीचर्स दोनों जगह पूरा इंसाफ नहीं कर सकते। यूनीवर्सिटी के या दूसरे लोगों की मैं इस समय नहीं कहता लेकिन मैं समझता हूं कि डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के टीचर्स को इससे अलग रखा जाय। इसलिये मुझे अफसोस है कि मैं इस संशोधन को स्वीकार नहीं कर सकता।

श्री रामनारायण त्रिपाठी--मैं वापस नहीं लेता।

अधिष्ठाता--प्रश्न यह है कि प्रस्तावित नयी धारा 5-A की उपधारा (*b*) की पंक्ति ३ में शब्द " authority " के बाद निम्नलिखित वाक्यांश जोड़ दिया जाय:--

"serving in the area of the Gaon Sabha or Nyaya Panchayat as the case may be"

(प्रश्न उपस्थित किया गया और हाथ उठाकर विभाजन होने पर निम्नलिखित मतानुसार अस्वीकृत हुआ--

पक्ष में--१७

विपक्ष में--९५।)

अधिष्ठाता--श्री कृपाशंकर जी का एक संशोधन फुलस्टाप के स्थान पर " , " कामा कर देने का है। वह आफिस से कर दिया जाय।

श्री रामदास आर्य (जिला मुजफ्फरनगर)--अधिष्ठाता महोदय, मैं आपकी आज्ञा से यह संशोधन पेश करता हूं कि खंड ६ में प्रस्तावित नयी धारा 5-A की उपधारा (*h*) की पंक्ति १ में शब्द " convicted " और शब्द " of an offence " के बीच में शब्द "by a court other than Nyaya Panchayat" जोड़ दिये जायं।

श्री कमलासिंह (जिला गाजीपुर)--प्वाइन्ट आफ आर्डर सर। जो संशोधन अभी उपस्थित किया गया है उसमें से यह है "कनविक्टेड बाई सिविल कोर्ट"। क्यों कि सिविल कोर्ट से कोई कनविक्शन नहीं होता वह हमेशा क्रिमिनल कोर्ट से ही होता है, इसलिये माननीय सदस्य को सिविल कोर्ट जैसी चीज नहीं लानी चाहिये थी। और माननीय मंत्री जी से पहले कनसल्ट कर लिया होता और इस सदन का समय बेकार न किया होता तो ज्यादा अच्छा था।

श्री रामदास आर्य--अधिष्ठाता महोदय, मैंने जो संशोधन पढ़ा है उसमें वे शब्द नहीं हैं जो ऐजेंडा में लिखे हुये हैं लेकिन उसमें मैंने पढ़ा है "by a court other than Nyaya Panchayat" इसलिये यही शब्द उसमें जोड़ दिये जायं

अधिष्ठाता महोदय, मेरा इससे यह अभिप्राय है कि सदन इस बात को महसूस करता है कि हमने गांव पंचायतें तथा न्याय पंचायतें बनायीं। मगर जो भी काम उन्हें करना था उनको वे नहीं कर सकी हैं। कारण यह है कि गांव पंचायतें अधिकतर पार्टी बेसिस पर बनी हैं और अदालती पंचायतों का भी यही हाल रहा। तो हमारे जो भी मामलात न्याय पंचायतों में आये उनमें से बहुत मामलात में हम ठीक प्रकार से न्याय नहीं पा सके। कारण वही है जो मैंने बतलाया है कि पार्टी बेसिस पर चुनाव हुये और एक पार्टी का बहुमत हुआ तो उसने दूसरी पार्टी को किसी तरह से गिराने की कोशिश की। जहां तक मामलात पेश हुए वे भी इस प्रकार के मामलात हुये कि जिनमें हम न्याय नहीं पा सके।

(इस समय ४ बजकर १८ मिनट पर श्री अध्यक्ष पुनः पीठासीन हुये)

जब न्याय पंचायतों में मामले गये तो यह देखा गया कि इसने वोट देते वक्त हमारी पाटी का फेवर (पक्ष) किया है या नहीं। तो कोई न्याययुक्त भी जो मामला था उसका फैसला भी उल्टा ही हुआ। तो इन बुराइयों को दूर करने के लिये ही यह अमेंडमेंट

[श्री रामदास आर्य]

लाया गया है कि वे मामलात जो गांव सभाओं व पंचायतों के अनेक प्रधान व सदस्यों के फैसले के लिये जाते हैं तो उनका फैसला न्याय पंचायतें न करें बल्कि ऊपर वाली कोर्ट इन मामलात को तय करें ताकि ठीक प्रकार से न्याय मिल सके। जो बात सही और न्याययुक्त हो वही माननी चाहिये। इन शब्दों के साथ मैं माननीय मंत्री जी से निवेदन करता हूं कि इस पर गम्भीरता पूर्वक विचार करके न्याय देने की कृपा करें और मेरे इस अमेंडमेंट को स्वीकार करें।

*श्री जयपाल सिंह--अध्यक्ष महोदय, मैं इस प्रस्ताव की ताईद करने के लिये खड़ा हुआ हूं। इस प्रस्ताव में यह कहा गया है कि वे मामलात जिनके अन्तर्गत किसी भी मेम्बर गांव पंचायत या प्रधान के खिलाफ कोई नैतिक अपराध का केस हो तो उसे न्याय पंचायतें तय न करें बल्कि उससे ऊंचे दरजे की अदालतें तय करें। मेरा मंशा कहने का यह है कि इस तरह के जितने केसेज आते हैं वे अधिकतर दलबन्दी के कारण होते हैं। मैं अपने यहां के तजुरबे से बतलाता हूं कि हमारे यहां अधिकतर कई केसेज ऐसे हुये हैं कि गांव सभा का प्रधान हरिजन हुआ तो हरिजन होने के नाते बड़ी जाति वालों में काफी दलबन्दी हुई। अक्सर जो सरपंच होते हैं वे बड़ी जाति के लोग होते हैं। इस तरह से आपस में दलबन्दी के कारण और जाति पांति के कारण भी कटुता बढ़ी और इसका नतीजा यह हुआ कि वह एक दूसरे के दुश्मन बन जाते हैं, और आपस में जाति-पांति के झगड़े ही नहीं होते, बल्कि एक ही पार्टी के होते हुये एक दूसरे के विपरीत दो गुट बन जाते हैं और वे एक दूसरे की मुखालफत में जुट जाते हैं। अगर पंच एक गुट में होते हैं तो प्रधान दूसरे गुट में चले जाते हैं। इस तरह से वहां जरा-जरा से झगड़े में दरख्वास्तें दी जायंगी कि उसने गन्ना तोड़ लिया और अदालत में केस पहुंच गया और वहां पर वह लोग चार-पांच रुपया जुरमाना कर देंगे और इस तरह से एक पार्टी वाले दूसरे को डिसक्वालिफाई करा देंगे। और आगे चल कर जैसा कि ऐक्ट में है कि सजा पाया हुआ आदमी जो मारल टरपीट्यूड में सजा पा चुका है वह आगे नहीं रह सकेगा। ऐसी अवस्था में इस तरह की जो गड़बड़ है उसको दूर करना चाहिये। मैं साफ कह देना चाहता हूं कि जहां तक गांवों की हालत है वहां पर लोगों में प्रधान होने के नाते एक डाह सा उसके खिलाफ पैदा हो जाता है। अगर कोई प्रधान नीची जात का हो गया तो उसके खिलाफ और बड़ी जातियां मिलकर हो जाते हैं और उससे दुश्मनी निकालने के लिये सब शामिल हो जाते हैं। ऐसी अवस्था में अगर हम इस संशोधन को मान लें तो ऐसा होने से रोक सकते हैं। लोग ऐसा करेंगे कि अगर वोट के आधार पर नहीं तो इस तरीके से जिसको चाहे डिसक्वालिफाई करा सकते हैं। अगर हम उनके साथ ज्यादती नहीं करना चाहते हैं जो पिछड़े हुये हैं, आजादी के जमाने में उनको लाभ पहुंचाना चाहते हैं तो यह जरूरी हो जाता है कि हम साफ तौर से वह सब तरीके इस्तेमाल करें, जिनसे उनके साथ न्याय हो सके और यह दुश्मनी निकालने के तमाम तरीके बन्द किये जा सकें। चाहे किसी भी जाति के लोग हों वहां दो गुट अवश्य ही हो जाते हैं और लड़ाई-झगड़े होंगे और इस तरह की दुश्मनी निकाली जायगी। ऐसी अवस्था में जब कहीं प्रधान, उपप्रधान या मेम्बर के खिलाफ मामले हों, जिनमें मारल टरपीट्यूड का सवाल हो और डिसक्वालीफाई होने का प्रश्न हो तो ऐसे केसेज को न्याय अदालत से नहीं बल्कि ऊंची अदालतों से उनका फैसला कराना चाहिये। यह न्याय पंचायतें अभी पूरे तरीके से कानून को भी नहीं समझती हैं और वह उनका लाभ भी पूरे तरीके से उपभोग नहीं कर पायी हैं इसलिये उनको अभी यह अधिकार न देना चाहिये कि वह किसी को डिसक्वालिफाई कर सकें। ऐसी हालत में मैं फिर सदन से प्रार्थना करूंगा कि वह इसे स्वीकार करे।

श्री हरिश्चन्द्र अष्ठाना (जिला सीतापुर)--अध्यक्ष महोदय, माननीय जयपाल सिंह जी का संशोधन जो इस समय भवन के सामने पेश है उसका मैं विरोध करता हूं। यह तो अदालती पंचायतों को एक हाथ से अधिकार दे कर दूसरे हाथ से उस अधिकार को छीनने की बात हुई।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

एक तरफ तो आप पंचायती अदालतों को अधिकार दे रहे हैं कि कुछ धाराओंके अन्तर्गत छोटे-छोटे मुकदमे करें और दूसरी तरफ यह प्रस्ताव करें कि अगर किसी को मारल टरपीट्यूड में उस अदालत से सजा हुई है तो फिर वह किसी किस्म की डिसक्वालीफिकेशन न हो और दूसरे पदों से मसलन गांव सभा के प्रधान इत्यादि वंचित न हो। मैं समझ सकता हूं कि आप पंचायती अदालतों को ऐसे मुकदमे करने का अधिकार ही न दें यदि आप समझते हैं कि पंचायती अदालतें ठीक कार्य नहीं करतीं तो उन धाराओं को जो मारल टरपीट्यूड से संबंध रखती हैं पंचायती अदालतों के अधिकार में से निकाल दें लेकिन जब आप उनके ज्यूरिस्डिक्शन में एक बार दे देते हैं तो यह डिस्क्रिमिनेशन करना ठीक नहीं। जब ३७९ के मुकदमे अदालत से फैसल हों और मारल टरपिट्यूड से किसी मैजिस्ट्रेट की अदालत से सजा हो तो वह खड़ा नहीं हो सकता, लेकिन अगर अदालती पंचायत से उसी जुर्म में सजा हो तो वह पंचायती पदों के लिये खड़ा हो सकता है यह नामुनासिब है। मैं यह अवश्य समझता हूं कि जो दलीलें माननीय जयपाल सिंह जी ने दीं उनके अन्दर थोड़ा सा तथ्य है मगर जो ढांचा अब बनने जा रहा है पंचायतों का, वह मैं समझता हूं भिन्न है और शायद माननीय जयपाल सिंह जी भी मानेंगे कि अब जो ढांचा बनने जा रहा है उसमें जो पहले कमियां थीं वह कुछ हद तक अब दूर हो जायेंगी। एक वाक्या यह भी है कि जो रिवीजन का प्राविजन इसके अन्दर है वह काफी वसीअ है। यदि किसी केस में अदालती पंचायत के अन्दर बिलकुल झूठी सजा हो जाय तो वह जरूर छूट जायगा या किसी दलबन्दी के कारण उसको सजा कर दी गई है और उसके खिलाफ कोई सबूत नहीं है तो ऐसे व्यक्ति का आखिर में कोई कनविक्शन ऊपरी अदालत में नहीं बहाल रह सकता। तो इस तरह से यह संशोधन ला कर अदालती पंचायत और दूसरी अदालतों में डिस्क्रिमिनेशन करना गलत है और मैं समझता हूं कि जयपाल सिंह जी का यह प्रस्ताव मुनासिब नहीं है और स्वीकार न होना चाहिये

श्री कृपाशंकर---अध्यक्ष महोदय, जो यह प्राविजन रखा गया है कि अदालती पंचायतों से जिनकी सजा होगी उनपर डिस्क्वालिफिकेशन लागू नहीं होगा। उनकी तरफ से जो यह बहस की गई और यह कहा गया कि अदालती पंचायतों में पार्टीबाजी होती है और इसी ख्याल से उनके फैसले पर डिस्क्वालिफिकेशन न रखा जाय। लेकिन इसी कानून में यह प्राविजन मौजूद है कि अगर गवर्नमेंट समझे तो गवर्नमेंट को अख्तियार है कि ऐसी हालतों में वह डिस्क्वालिफिकेशन को रिमूव भी कर सकती है। तो उस अवस्था में अगर कोई ऐसी बात है कि किसी पंचायत ने पार्टीबाजी या और किसी वजह से डिस्क्वालिफाई कर दिया गया है तो गवर्नमेंट को अख्तियार है कि वह रिमूव कर दे। लेकिन न्याय पंचायत मारल टरपीट्यूड पर फैसला करे तो डिस्क्वालिफाई न हो और अगर कोई और अदालत फैसला करती है तो डिस्क्वालिफाई हो यह मेरे ख्याल से इस तरह का कानून बनाना अच्छा नहीं होगा। जो प्राविजन किया गया है उससे वह अन्देशा ठीक हो जाता है कि नेक आदमी और अच्छे आदमी काम नहीं करने पायेंगे। अगर वह अच्छा है तो सरकार उसे रख सकती है और उस डिस्क्वालिफिकेशन को रिमूव कर सकती है। इस सब को देखने के बाद मैं समझता हूं कि अब इस बात की जरूरत नहीं होगी कि यह प्राविजन रखा जाय।

***श्री मोहनसिंह** (जिला बुलन्दशहर)---अध्यक्ष महोदय, मैं समझता हूं कि यह संशोधन जो श्री जयपाल सिंह जी और श्री रामदास जी के नाम से आये हैं यह नियम विरुद्ध हैं और वाकयात के विरुद्ध हैं, क्योंकि अगर यह 5—A पढ़ा जाय तो:—

"A person shall be disqualified for being chosen, nominated or appointed to, and for holding any office in the Gaon Sabha the gaon panchayat, or the Nyaya Panchayat constituted under section 42, if he....

(*h*) has been convicted of an offence involving moral turpitude,"

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री मोहन सिंह]

मैं समझता हूं कि आपका संशोधन यह है कि "convicted by a court other than Nyaya Panchayat of an offence involvingmoral turpitude." इसके मानी यह हैं कि हम न्याय पंचायतों के प्रति अविश्वास प्रकट करेंगे। यह चाहे नियम के विरुद्ध है कि कोई फैसला, कोई जजमेंट, कोई डेसिजन किसी लिगली कांस्टीट्यूटेड कोर्ट में वह न्याय पंचायत ही हो, दे दिया गया हो और उसको हम न मानें। मैं नहीं समझता कि इसमें बिरादरी, जाति और वर्ग का प्रश्न कहां आता है। यदि न्याय पंचायत ने फैसला दे दिया है और उसके खिलाफ किसी को शिकायत है तो उसके लिये वह हायर कोर्ट में रिवीजन के लिये जा सकता है। लेकिन यह कहना और यह आरगुमेंट देना कि न्याय पंचायतों को यह अधिकार न दिया जाय कि वह ऐसे आफेंस को ट्राई कर सकें जिसमें मारल टरपीट्यूड हो, यह बात यहां नहीं आती। तो यह आपका अधिकार और दफात में दिया हुआ है। इसने तो कंडीशन यही है कि उनको अधिकार हो लेकिन अगर वह तरजीह देकर के सजा कर देते हैं तो उसका कोई प्रभाव इस पर न माना जाय। मैं समझता हूं कि यह बात तो नियम के विरुद्ध है कि उनके डेसिजन को न माना जाय या यह समझा जाय कि उन्होंने गलत किया है, यह उचित नहीं होगा। इसलिये मैं इसका विरोध करता हूं।

श्री मोहनलाल गौतम--मुझे और कोई खास बात नहीं कहनी है। जो कुछ कहा जा चुका है वही काफी है।

श्री रामदास आर्य--माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मोहन सिंह जी ने जो कहा है कि इसमें न्याय पंचायत के अधिकार छीनने की बात है, ऐसी इसमें कोई बात नहीं है। इतना जरूर है कि जहां तक सदस्यता से अनर्हता की बात है, वहां तक इसका संबंध है। बाकी जितने भी मामलात हों उनको गांव पंचायत तय करेगी। ऐसे वाकयात आये हैं हमारे प्रांत में कि उन लोगों ने इस विचार को रखते हुये कि कौन से तरीके ऐसे हो सकते हैं, जिससे सदस्यता से, प्रधानपद से उनको हटाया जाय, इस पर अमल किया है। दूसरी बात हायर कोर्ट के संबंध में कही गई है कि वहां रिवीजन करा सकते हैं। मैं कहता हूं कि कितना खर्चा इलाहाबाद तक आने में लगेगा? इन शब्दों के साथ पुनः माननीय मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि वे इसे स्वीकार करने की कृपा करें।

श्री अध्यक्ष--माननीय रामदास जी, क्या आप अपना संशोधन वापस ले रहे हैं?

श्री रामदास आर्य--मैंने जो संशोधन पेश किया है उसे बड़े खेद के साथ वापस लेता हूं।

(सदन की अनुमति से संशोधन वापस लिया गया)

श्री गजेन्द्र सिंह (जिला इटावा)--माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि खंड ६ में प्रस्तावित नई धारा 5—A की उपधारा (i) के बाद निम्नलिखित उपधारा (ii) के रूप में रख दी जाय--

"(ii) has been fined or imprisoned for offences under the Black Marketing Act or any of the civil supplies Acts of U.P. or Central Government."

यह खंड इस प्रकार है:--

"A person shall be disqualified for being chosen nominated or appointed to, and for holding any office in the Gaon Sabha or Gaon Panchayat, or the Nyaya Panchayat constituted under section 42, if he"—

इसमें दस डिसक्वालिफिकेशन्स दी गयी हैं। जहां तक इनका ताल्लुक है यह बहुत ही उपयुक्त हैं, लेकिन उनके साथ में एक नई डिसक्वालिफिकेशन यह जोड़ना चाहता हूं कि जिन

लोगों ने ब्लैकमार्केटिंग की है और जो यू० पी० सिविल सप्लाइज ऐक्ट्स के द्वारा या सेंट्रल ऐक्ट के द्वारा पनिश किये गये हैं उन लोगों को गांव सभा, गांव पंचायत या न्याय पंचायत को किसी एलेक्टेड पोस्ट को होल्ड करने का राइट नहीं होना चाहिये। ऐसे आदमियों को, जिन्होंने समाज में पतित काम किये हैं, जिनके कार्यों के द्वारा समाज नीचे गिरा है, अगर उनको कोई भी एलेक्टेड पोस्ट होल्ड करने का राइट दिया जायगा तो उससे और भी समाज का नैतिक पतन होगा और समाज के चरित्र में गिरावट आयेगी। इसके साथ ही साथ गांवों में जिन लोगों ने ब्लैकमार्केटिंग की है उनके पास काफी पैसा इकट्ठा हो गया है। अब अगर वह किसी एलेक्टेड पोस्ट पर आ जाते हैं तो उनके पास दो चीजें हो जायेंगी, एक तो उनके पास पैसा है ही और दूसरे उनके पास पावर भी आ जायगी। इससे वह लोगों को और ज्यादा परेशान करेंगे। उस पोस्ट पर पहुंच करके वह और ब्लैकमार्केटिंग करेंगे, क्योंकि वह ब्लैकमार्केटिंग के आदी हो गये हैं। इसलिये मैं समझता हूं कि ऐसे आदमियों को समाज में कभी भी आगे बढ़ने का मौका नहीं देना चाहिये, जिन्होंने समाज में गलत काम किये हैं और जिनके कार्यों की वजह से समाज का चरित्र नीचे गिरा है और जिनके गलत कार्यों की वजह से जनता को परेशानी हुई है, सरकार को परेशानी हुई है और सरकार को उनके ऊपर मुकदमा चलाने में पैसा खर्च करना पड़ा है। ऐसी सूरत में मैं यह संशोधन पेश करता हूं और उम्मीद करता हूं कि माननीय मंत्री महोदय हमारे इस संशोधन को स्वीकार कर लेंगे।

श्री कृपाशंकर--माननीय अध्यक्ष महोदय, जो संशोधन इस समय सदन के सामने उपस्थित है, वैसे तो जहां तक माननीय सदस्य की भावना का संबंध है, उसकी मैं कद्र करता हूं क्योंकि इस तरह के आफेंसेज बहुत हुये हैं और वह लोग, जिन्होंने ब्लैकमार्केटिंग किया है, या सिविल सप्लाइज ऐक्ट में जुर्म किये हैं वह जरूर इस काबिल है कि उनको न रखा जाय। लेकिन उसमें ऐसे टेक्निकल आफेंसेज होते हैं कि बाज आदमी न जानते हुये भी सजा भोग लेते हैं। जैसे मान लिया जाय कि सिविल सप्लाइज ऐक्ट में रजिस्टर बनाने का हुक्म दिया जाता है कि इस तरह का रजिस्टर रखो और गांव का एक बे-पढ़ा लिखा बनिया रजिस्टर नहीं रखता है या ठीक तरह से इंट्री नहीं कर पाता है और उसकी सजा हो जाती है तो उसमें उसकी कोई विशेष गलती नहीं है। इस प्रकार ऐसे लोग भी इसमें आ जायेंगे।

अनेक सदस्य--ठीक सुनाई नहीं पड़ रहा है।

श्री अध्यक्ष--आप कृपा करके माइक्रोफोन पर बोलें।

श्री कृपाशंकर--मैं यह अर्ज कर रहा था कि यह सिविल सप्लाइज ऐक्ट और ब्लैकमार्केटिंग के जो अफेंसेज होते हैं वे अक्सर बड़े टेक्निकल होते हैं और उसमें ऐसे आदमी भी सजा पा जाते हैं, जिनकी कोई नियत जुर्म करने की नहीं होती है। जैसे कि मान लिया जाय कि सिविल सप्लाइज ऐक्ट के अनुसार हुक्म हुआ कि जितने दूकानदार हैं वे इस प्रकार के रजिस्टर मेंटेन करें। एक गांव का आदमी है, रोजगार करता है, छोटा मोटा उसके रजिस्टर मेन्टेन करने में थोड़ी ग़लती हो गई और उस पर दो रुपये या ५ रुपये जुर्माना हो गया। तो अगर यह संशोधन मान लिया जाय तो ऐसे आदमी भी इसी में आ जायंगे, लेकिन वह कोई ऐसा आफेंस नहीं है, जिसमें कोई नैतिकता का प्रश्न इन्वाल्वड (समाविष्ट) हो। बड़े मुजरिम भी हो सकते हैं, जिसमें कोई इसी प्रकार ब्लेकमार्केटिंग में भी है। हो सकता है कि एक बड़ा ब्लैकमार्केटियर हो और ऐसा भी हो सकता है कि जो जानता न हो कि इस रीजन से उस रीजन में गल्ला ले जाना जुर्म है और १० सेर चावल लिये हुये चला आया बेजानकारी में और उसे सजा हो गई। तो इसमें ऐसे आदमी भी आ जायंगे। वैसे इसमें जो जुर्म रखे गये हैं वे ऐसे रखे गये हैं, जिनको सभी जानते हैं छोटे बड़े, पढ़े-बेपढ़े, जैसे मारेल टर्पीटयूड और दूसरे बड़े-बड़े आफेंसेज।

[श्री कृपाशंकर]

ये ऐसे आफेंसेज हैं, जिनमें टेक्निकल आफेंस नहीं हो सकता। अगर इस संशोधन को मान लिया जाय तो ऐसी सम्भावना है कि अनजान में अगर किसी से कोई ग़लती हो गई तो वह भी इसमें आ सकता है। इसमें कोई संदेह नहीं कि इस प्रकार के जुर्म इस कंट्रोल के जमाने में बहुत हुये हैं और मेरा कुछ ऐसा ख्याल है कि अगर इस संशोधन को मान लिया जाय तो गांव के एक-चौथाई आदमी तो निकल ही जायंगे। ऐसा करने से कोई बहुत लाभ नहीं होगा और बाकी जुर्म वाले लोग तो आ ही जाते हैं। इसलिये मैं प्रस्तावक महोदय से यह चाहूंगा कि वे इसको वापस ले लें।

श्री कमला सिंह---अध्यक्ष महोदय, जो नई धारा माननीय गजेन्द्र सिंह जी ने प्रस्तुत की है इस सदन के सामने मैं उसका समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं।

श्री शिवनारायण (जिला बस्ती)---आन ए प्वाइंट आफ आर्डर, सर। क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि क्या इस समय कोई ब्लैकमार्केटिंग ऐक्ट भी मौजूद है? हमारे विचार से इस समय कोई ब्लैकमार्केटिंग ऐक्ट तो है नहीं। मैं समझता हूं कि यह संशोधन ही ग़लत है। सिविल सप्लाइज ऐक्ट है, लेकिन ब्लैकमार्केटिंग ऐक्ट मौजूद नहीं है।

श्री अध्यक्ष---क्या माननीय स्वशासन मंत्री इसके ऊपर कोई प्रकाश डाल सकते हैं?

श्री मोहनलाल गौतम---जहां तक मुझे मालूम है कोई ब्लैकमार्केटिंग ऐक्ट तो है नहीं।

श्री अध्यक्ष---माननीय गजेन्द्र सिंह जी, आपकी जानकारी में कोई ऐसा ऐक्ट है?

श्री रामेश्वरलाल (जिला देवरिया)---अध्यक्ष महोदय, माननीय स्वशासन मंत्री ने कहा कि जहां तक उन्हें मालूम है ब्लैकमार्केटिंग आजकल नहीं है। लेकिन मैं आप के द्वारा माननीय मंत्री की सूचना के लिये यह कह देना चाहूंगा कि १५ आने सेर के भाव से बाजार में चीनी आज भी बिक रही है जब कि कंट्रोल रेट २७ रुपये मन है।

श्री कमला सिंह---माननीय अध्यक्ष महोदय, जो गजेन्द्र सिंह जी ने नई धारा इस सदन के सामने रखी है मैं उसका समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं। जहां तक ब्लैकमार्केटिंग का सवाल है उसके लिये तो यह कहा जा सकता है कि ब्लैकमार्केटिंग ऐक्ट अब खत्म हो गया।.....

श्री अध्यक्ष---आप कृपा करके बैठ जायं मैं जरा एक सजेशन दे दूं।

"has been fined or imprisoned for black marketing under any of the Civil Supplies Act"---यह कर दिया जाय तो ब्लैकमार्केटिंग भी आ जायगा और हर एक छोटा-मोटा आफेंस भी इनक्लूड हो जायगा।

श्री कमला सिंह---अध्यक्ष महोदय, पूरा संशोधन क्या होगा इसको मैं समझा नहीं।

श्री अध्यक्ष---"(ii) has been fined or imprisoned for black marketing under any of the Civil Supplies Acts of U. P. or Central Government."

*श्री कमला सिंह---अध्यक्ष महोदय, यह देखा गया है कि हमारे प्रान्त के अंदर बहुत सी ऐसी चीजें हैं जिनकी कमी है और जिनको बाहर से मंगाया जाता है। इसी वजह से उनका कंट्रोल किया गया है। ऐसे लोगों को जो हमारे देश में रहते हैं, जो अपने स्वार्थ सिद्धि के लिये या रुपया कमाने की वजह से ज्यादा कीमत पर चीजों को बेचते हैं या ऐसे काम करते हैं जिनसे उनकी नैतिकता बहुत ज्यादा गिर जाती है। मैं समझता हूं कि ऐसे लोगों को अगर हम मौका देंगे कि वह लोग पंचायतों में कोई आफिस होल्ड करें तो गुनाह होगा। जहां तक ब्लैकमार्केटिंग का सवाल था माननीय नेहरू जी ने यह सजेशन दिया था कि ऐसे लोगों को कैपीटल पनिशमेंट दिया जाय। हम कोई भी चीज जिसकी हमारे यहां कमी है उसको हर एक आदमी को देने का प्रयत्न करें, उसके लिये कानून बनायें और रेट्स फिक्स करें। फिर भी लोग ब्लैक मार्केट करके इस तरह के गुनाह करते हैं, उनको किसी तरह का प्रोत्साहन नहीं दिया जाना चाहिये।

जहां तक मारल टर्पीटचूड का सवाल था उसके लिये माननीय मंत्री जी ने कहा था कि जिनको पंचायतों के किसी मामले में पनिशमेंट मिला है या किसी अदालत से पनिशमेंट मिला है तो ऐसे लोगों को प्रोत्साहन नहीं देना चाहिये। जहां तक मारल टरपीटचूड का सवाल था, उसमें सिर्फ ३७९ धारा थी जिसमें लोगों को पनिशमेंट दिया जा सकता था। हालांकि लोगों को मैजिस्ट्रेट्स की कोर्ट्स से या बड़ी-बड़ी कोर्ट्स से सजा मिलती थी। इस तरह मैं देखता हूं कि सिविल सप्लाइज में भी जितने मुकद्दमे चलाये जा रहे हैं, वह सब मुकदमे मैजिस्ट्रेट की कोर्ट में चल रहे हैं या बड़ी बड़ी कोर्ट्स में चल रहे हैं जहां बड़ी बड़ी सजायें लोगों को दी जाती हैं। जिससे एक क्राइम को कोई आदमी करता है तो उसको वह दुबारा रिपीट न करे ऐसी चीज है जिसको रोकने के लिये हम तरह-तरह की तरकीबें कर रहे हैं। अगर हम ऐसे लोगों को मौका देंगे कि वह पंचायतों का कोई आफिस होल्ड करें तो शहर में जो चीज होती है वह गांव में भी फैल जायगी और ऐसे लोग मौका ढूंढ़ कर परेशान करेंगे। इसके साथ-साथ और भी चीजों में वह गड़बड़ करेंगे और नतीजा यह होगा कि जिस चीज के पीछे हमारा ध्येय इतना उत्तम है कि पंचायतों के अन्दर ऐसे लोग आयें जो न्याय कर सकें, या हमारे गांवों की भलाई हो सके तो उसके अंदर बुराई आ जायगी। मैं समझता हूं कि अगर ऐसे लोग जो सिविल सप्लाई में सजा पाते हैं, उनको मौका देंगे तो ठीक नहीं होगा। इन शब्दों के साथ मैं श्री गजेन्द्र सिंह जी के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

श्री शिवनारायण---अध्यक्ष महोदय, इस पंचायत राज के कानून में दिया हुआ है कि किसी भी कारण से अगर किसी को सजा हुई है तो वह पंचायत के चुनाव में खड़ा नहीं हो सकता है, चाहे उसने ब्लैक मार्केटिंग की हो या चोरी की हो। फिजूल ब्लैक मार्केटिंग का शब्द जोड़कर....।

श्री रामनारायण त्रिपाठी---अध्यक्ष महोदय, हम जानना चाहेंगे कि जिस चीज का माननीय सदस्य रिफ्रेंस दे रहे हैं वह कहां है?

श्री शिवनारायण---अध्यक्ष महोदय, मारल टरपीटचूड के लिये जो श्री जयपाल सिंह जी ने कहा है उसमें तय कर दिया था कि किसी भी अदालत से कोई सजा पाता है तो वह डिफाल्टर है। अगर आप इसमें 'ब्लैक मार्केट' किया जाय यह जोड़ते हैं तो विधेयक पर बेकार का बोझा लादते जा रहे हैं। श्री गजेन्द्र सिंह जी ने वैसे ही इसको रख दिया है उन्होंने देखा नहीं है कि ऊपर आया है कि जो लोग सजायाफ्ता होंगे या उनको डिसक्वालीफिकेशन्स दी हुई है, इसको पढ़ना चाहिये

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री शिवनारायण]

था। सिर हिलाने से काम नहीं चलता है यह नहीं कि हवा में उड़ा दिया जाय। मैं माननीय सदस्य से दरख्वास्त करूंगा कि वह अपने संशोधन को वापस ले लें क्योंकि बिल में काफी गुंजायश है। जो लोग डिस्क्वालीफाइड होंगे उनके लिये डिस्क्वालीफिकेशन का जो पैमाना है नापने का वह हमारे पंचायत के बिल में मौजूद है। बिल में कमी नहीं है। सिर्फ इस संशोधन से काम नहीं चलेगा। मैं उनसे दरख्वास्त करूंगा कि वे इसको वापस कर लें।

†श्री मदनमोहन उपाध्याय---माननीय अध्यक्ष महोदय, जो संशोधन माननीय गजेन्द्र सिंह जी ने पेश किया है मैं उसका समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं। बड़ा दुख है इस बात का कि माननीय शिवनारायण जी ने भी इसका विरोध किया। जिस वक्त यह प्रस्ताव रखा जा रहा था कि कुछ लोगों को अपनी ग्राम सभाओं में अधिकार मिलना चाहिये और माननीय शिवनारायण जी ने खुद टीचर होकर हमारा साथ न दिया, यह ताज्जुब की बात है। हमने तो टीचरों को रख कर उनकी अक्ल की रक्षा की थी मगर उन्होंने साथ नहीं दिया। टीचर्स को अलग किया, सरकारी नौकर अलग हो गये। इतनी बड़ी लम्बी चौड़ी लिस्ट है कि जिसको अधिकार नहीं। अब सवाल यह है कि जिन्होंने ब्लैकमार्केटिंग किया हो, जिन्हें सिविल सप्लाईज ऐक्ट में सजा मिली हो उन्हें भी वंचित किया जाय और सरकार उसके लिए तैयार नहीं हो रही है। अध्यक्ष महोदय, जब म्यूनिसिपैलिटीज का बिल और टाउन एरियाज के अधिकार के बारे में यहां पर कानून पास हो रहा था उस समय माननीय मुख्य मंत्री जी ने आ करके इस संशोधन को स्वीकार किया कि टाउन एरियाज में और म्यूनिसिपैलिटीज के चुनाव में वह धारा लगा दी गयी कि सिविल सप्लाइज ऐक्ट में अगर पकड़ा गया हो तो पद हासिल नहीं कर सकता है। जब म्युनिसिपैलिटी में हो सकता है, टाउन एरिया में हो सकता है तो कौन सा ऐसा कारण है जिसकी वजह से हमारी ग्राम सभाओं के जो चुनाव होंगे, न्याय पंचायतें जो बनेंगी उसमें ब्लैकमार्केटियर्स चुने जायेंगे जो कि ब्लैकमार्केटिंग में सजा पाये हुए हों? यह तो अनुचित बात मालूम होती है। माननीय शिवनारायण जी को यह बात शोभा नहीं देती। उनके बहुत से मित्र ऐसे हैं जो ब्लैकमार्केटिंग करके आये हैं और उनको वे चाहते हैं कि रख लिये जायं। यह कैसे हो सकता है अध्यक्ष महोदय?

श्री शिवनारायण---अध्यक्ष महोदय, उपाध्याय जी ही उनमें से मालूम होते हैं।

श्री अध्यक्ष---इस प्रकार से वैयक्तिक आक्षेप सदन में नहीं चल सकता।

श्री मदनमोहन उपाध्याय---मैं समझ नहीं सका, अध्यक्ष महोदय। मैं तो चाहता था और आशा भी करता था कि कम से कम और कामों के लिए रखें, लेकिन ब्लैकमार्केटिंग के लिए, जब कि आप टीचर्स को भी निकालना चाहते हैं...।

श्री शिवनारायण---आन ए प्वाइंट आफ आर्डर, सर। अध्यक्ष महोदय, मैंने इस संशोधन को स्वयं करेक्ट किया है और हाउस ने उसको स्वीकार किया है कि कोई ब्लैकमार्केटिंग का ऐक्ट नहीं है। सिविल सप्लाईज का ऐक्ट है और उसमें मैंने कहा है .....

श्री अध्यक्ष---यह प्वाइंट आफ आर्डर नहीं है। यह तो सूचना है।

---

†वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री मदनमोहन उपाध्याय---अध्यक्ष महोदय, मैं लिस्ट पढ़ना चाहता हूं :—

"A person shall be disqualified for being chosen, nominated or appointed to, and for holding any office in the Gaon Sabha, if he

(a) is, for the time being, not a member of the Gaon Sabha concerned;

(b) holds any office of frofit under the state Government or the Central Government or a local authority (other than a Gaon Sabha or Nyaya Panchayat);

(c) is a salaried servent of the Gaon Sabha or Nyaya Panchayat;

(d) has been dismissed form the service of the Sate Government, the central Government or a local authority or a Nyaya Panchayat for misconduct;

(e) is in arrears of any tax, fee or rate due by him to the Gaon Sabha for such period as may be prescribed;

(f) suffering from leprosy;

(g) is an undischarged insolvent;

(h) has been convicted of an offence involving moral turpitude;

(i) has been ordered to give security for good behaviour."

माननीय शिवनारायण जो ने यह कहा था कि सारी दफायें दे दी गयी हैं तो ब्लेक मार्केटिंग रखने की क्या आवश्यकता है? मैं याद दिलाता हूं कि टाउन एरिया और म्यूनिसिपैलिटी ऐक्ट में कम से कम माननीय मंत्री जी ने स्वीकार कर लिया था कि जो लोग सजा पाये हुये हैं उनको पद पर होने का अधिकार नहीं होगा। तो मैं समझता हूं कि माननीय मंत्री जी इसको स्वीकार कर लेंगे।

श्री रामेश्वरलाल---माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं गजेन्द्र सिंह जी द्वारा प्रस्तुत संशोधन का समर्थन करने के लिए उपस्थित हुआ हूं। संशोधन के अनुसार सिविल सप्लाईज ऐक्ट से जिन लोगों को सजा हुई है वे गांव पंचायत में डिस्क्वालिफाइड समझे जायंगे। यह मतलब निकलता है। लेकिन जब मैंने इस सम्बन्ध में भाषण सुने और विशेषकर कृपाशंकर जो का भाषण सुना तो मुझे बड़ा दुःख हुआ। कृपाशंकर जी कृपा तो हैं ही, साथ-साथ शंकर भी लगा हुआ है। तो वह तो कृपा कर ही सकते हैं। लेकिन वह आदमी जिसके घर में मुरदा पड़ा हुआ हो और कफन न मिलता हो, जिसने खाने को मक्का भी न पाया हो और एक रुपये और डेढ़ रुपये सेर मक्का खरीद कर खाई हो, जो बग़ैर वस्त्र के रहा हो, वह तो ११० और १०९ से कहीं ज्यादा महत्व इस प्रकार के अपराध को देगा।

श्री रामनरेश शुक्ल (जिला प्रतापगढ़)---एक प्वाइंट आफ आर्डर आपकी आज्ञा से मैं उठाना चाहता हूं। यह जो संशोधन अभी रखा गया है उसमें इस किस्म का कोई कानून नहीं मिलता है जिसका कि उसमें जिक्र किया गया है। इसलिए अध्यक्ष महोदय इस पर बहस की जरूरत नहीं है क्योंकि ---"has been fined or imprisoned for offences under the blackmarketing act."

श्री अध्यक्ष---लेकिन यह तो अब इस फार्म में है ---"has been fined or imprisoned for blackmarketing under any of the civil supplies acts of U. P. or the central government."

श्री रामनरेश शुक्ल---तो अध्यक्ष महोदय, सिविल सप्लाईज ऐक्ट तो कोई है नहीं। There is no civil supplies Act. तो जब सिविल सप्लाईज ऐक्ट न यू० पी० का, न सेंट्रल गवर्नमेंट का, कोई ऐक्ट इस किस्म का है ही नहीं, तो यह संशोधन आ कैसे सकता है ?

श्री अध्यक्ष---सिविल सप्लाईज ऐंड कन्ट्रोल ऐक्ट यह है कि नहीं ?

श्री रामनरेश शुक्ल---सिविल सप्लाईज ऐक्ट आफ यू० पी० आर दि सेंट्रल गवर्नमेंट हमारी जानकारी में कोई नहीं है।

श्री अध्यक्ष---माननीय गजेन्द्र सिंह, क्या आप बता सकते हैं कि सिविल सप्लाइज ऐंड कन्ट्रोल ऐक्ट कौन से हैं ?

श्री गजेन्द्र सिंह---माननीय अध्यक्ष महोदय, सिविल सप्लाईज ऐंड कंट्रोल ऐक्ट है। फिर उसके साथ-साथ एनी शब्द जुड़ा हुआ है और उसके साथ-साथ ब्लैकमार्केटिंग जुड़ा हुआ है...।

श्री अध्यक्ष---मेरा मतलब यह है कि यहां पर जो संशोधन आये वह सही होना चाहिये। कम से कम 'ऐक्ट' के बारे में तो सदन को जानकारी होनी चाहिये। नहीं तो एक हंसी की बात होगी कि जो चीज नहीं है वह उसमें आ जाय। कोई भी चीज करेक्ट फार्म में आनी चाहिये। मैं समझता हूं कि वक्त भी करीब-करीब खत्म हो चुका है। आप लोग इस पर आज सोच लें और कल इसे लिया जाय। इस पर विचार स्थगित रक्खा जाय और यह देख लिया जाय कि सिविल सप्लाइज ऐक्ट है या नहीं।

श्री रामनरेश शुक्ल--अगर मेरे दोस्त सहमत हों तो जो भावना उनकी है वह हम लोगों की भी है, इसकी जगह दूसरा कोई संशोधन आ जाय जो सही हो।

(इसके बाद सदन ५ बजे अगले दिन ११ बजे तक के लिये स्थगित हो गया)

कैलासचन्द्र भटनागर,
सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश।

लखनऊ,
२७ अप्रैल, १९५४।

नत्थी 'क'

(देखिये तारांकित प्रश्न १५ का उत्तर पीछे पृष्ठ ७८ पर)

तालिका

व्यक्ति अथवा सहकारी समिति का नाम	पता	तकावी की मात्रा
१—श्री त्रिलोचन प्रसाद सिंह	भदरी, तहसील कुंडा, जिला प्रतापगढ़	रुपया १०,०००
२—श्री रामेश्वर सिंह	ताला, परगना व तहसील पट्टी, जिला प्रतापगढ़	१५,०००
३—लच्छीपुर सहकारी समिति	लच्छीपुर, प्रतापगढ़	१०,०००
४—संग्रामगढ़ सहकारी समिति	संग्रामगढ़, प्रतापगढ़	१०,०००
	योग....	४५,०००

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी 'ख'

(देखिये तारांकित प्रश्न २९ का उत्तर पीछे पृष्ठ ८२ पर)

हैंड बैग्स के वितरण की सूची

१—देवनागिरी लिपि सुधार सम्मेलन के सदस्य, अन्य निमंत्रित व्यक्ति, संबंधित कार्यकर्त्ता तथा सचिव, उप-सचिव और सचिवालय के कतिपय अधिकारीगण	१७७
२—विधान सभा के विरोधी दल के नेता	१
३—विधान सभा के संयुक्त दल के नेता	१
४—समाचार-पत्रों के सम्पादक तथा संवाददाता	२८
५—फोर्ड फाउन्डेशन टीम के सदस्य	९
६—समाजवादी पार्टी के विदेशी सदस्य	५
७—हिन्दी पुरस्कार समिति के सदस्य	५
८—सूचना स्थायी समिति के सदस्य	१४
९—जर्मन पत्रकार	२
१०—अमेरिकन पत्रकार	१
११—नैपाल राज्य के प्रमुख व्यक्तियों को	६
योग...	२४९

नत्थी 'ग'

(देखिये तारांकित प्रश्न ५३ का उत्तर पीछे पृष्ठ ८८ पर)

आजमगढ़ जिले में बनाये गये नलकूपों की ग्रामवार तालिका

तहसील का नाम	बनाये गये नल-कूपों की संख्या	ग्राम का नाम, जिसमें नलकूप बनाया गया
१	२	३
आजमगढ़	३	१—बेलनाडीह २—नीबी ३—बिजोरा
घोसी	२६	१—सिया राहीबरजाला २—रियां ३—उसरी ४—करनपार ५—बिरेचा ६—पांडेपुर ७—सोनाडीह ८—अमीला खास ९—सुखलाली १०—अतार साबान ११—टकटावा रामपुर १२—पक्त सीगापुर १३—जमालपुर मिर्जापुर १४—सुमारी डीह १५—काल्यान डीह १६—चौबेपुर १७—अकौना १८—पिकाली १९—नाडवा पट्टी २०—कच्ची कालान २१—सुखान्डुवा २२—देवकली २३—मानिकपुर २४—अदरी २५—अलीनगर २६—पनाहल
श्रीहम्मदाबाद गोहना	२३	१—भीटी २—अदाडीह ३—नागपुर ४—राकौली

उत्तर प्रदेश विधान सभा

तहसील का नाम	बनाये गये नलकूपों की संख्या	ग्राम का नाम, जिसमें नलकूप बनाया गया
१	२	३
मोहम्मदा बाद गोहना (जारी)	२३	५—काकेरीपुर ६—दुमराआन ७—निलसन ८—खनोर ९—कुरदवा भुटालकाबाबो १०—पूरा ठुकराई ११—समोपुर १२—मुबारकपुर १३—नाराबाओपुर १४—कासीपुर १५—सरदारपुर बाबो १६—जमपुरी १७—खुरहट १८—शाहगढ़ १९—सामीपुर २०—कसबा सरायं २१—सिठान २२—ठिकवा २३—खण्डगिल्या
मऊ पावर हाउस	१	१—मऊ
सागी	७	१—चाकबाजहो २—मधुवन ३—जाल्लीपुर ४—नाथूपुर ५—पठान ६—रउसा ७—बुझी

नत्थी 'घ'

(देखिये तारांकित प्रश्न ७७ का उत्तर पीछे पृष्ठ ९५ पर)

सूची

क्रम संख्या	कार्य का नाम	श्रेणी	लम्बाई	मिट्टी का काम	पुल तथा पुलियां	सोलिंग एकत्रीकरण	सोलिंग कुटाई	इन्टर एकत्रीकरण	इन्टर कुटाई	टाप एकत्रीकरण	टाप कुटाई	सीमेंट कांक्रीट बिछाना
१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०	११	१२	१३
	नया निर्माण											
१	नौगढ़-शोहरतगढ़	राज्य मार्ग	१४.२	१४.२	१४.०	१४.०	१४.०	१४.०	१४.०	४.०	२.०	..
२	बांसी-नौगढ़	राज्य मार्ग	९.६	९.४	९.२	८.६	८.२	६.६	६.६	२.०	..	..
	पुनः निर्माण											
१	खलीलाबाद-मखलिसपुर		१२.२	१२.२	..	१२.२	१२.२	१२.२	१२.२	..	..	..
२	खलीलाबाद-मेंहदावल		१५.०	..	..	..	..	१५.०	१५.०	११.०	११.०	..
३	बस्ती-डुमरियागंज बढ़नी		५०.४	५०.४	४७.०	४७.०	४७.०	४३.०	४३.०	..	..	..
४	बस्ती बांसी	राज्य मार्ग	३२.२	..	..	४.२	४.२	३२.२	३२.२	५.४	५.४	..
५	शोहरतगढ़ नैपाल सीमा तक	राज्य मार्ग	५.४	५.४	..	५.४	५.४	५.४	५.४	..	..	..
	कच्ची सड़कें											
१	मेंहदावल-बनकटा-बांसी	कच्ची सड़क	२०.०	२०.०	२०.०	..	..	..	..	..	..	..
	सी० सी० ट्रैक											
१	खलीलाबाद-मेंहदावल		६.४	४.०	३.०	४.०	३.०	..	..	..	..	..
२	खलीलाबाद-मुखलिसपुर		५.०	३.०	३.०	..	..	..	..	..	..	..
३	बस्ती-बांसी		६.०	६.०	१.०	१.०	..	..	..	..	..	..
४	बस्ती-डुमरियागंज		६.०	६.०	३.०	४.६	१.१	..	..	..	..	१–२
५	बस्ती-मेंहदावल		६.०	६.०	..	६.०	२.०	..	..	..	..	१–२

उत्तर प्रदेश सभा

क्रम संख्या	कार्य का नाम	श्रेणी	लम्बाई	मिट्टी का काम	पुल तथा पुलिया	सोलिंग एकत्री-करण	सोलिंग कुटाई	इन्टर एकत्री-करण	इन्टर कुटाई	टाप एकत्री-करण	टाप कुटाई	सीमेंट कंक्रीट बिछाना
१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०	११	१२	१३
६	वाल्टरगंज मिल्स से बांसी सड़क के ६ वें मील तक		७.०	३.४	१.०							३—०
७	बभनान-हरैया		५.०	५.०	४.४	४.४						
८	मुडरंवा डडंवा		६.०	५.०	५.०							
९	बस्ती-मेंहदावल एक्सटेंशन		१०.०	९.०	१०.०							
१०	बस्ती कलवारी		४.०	४.०								
	कच्ची सड़कें तथा ग्राम सड़कें											
१	लालगंज-डडंवा	कच्ची सड़क	४.०	३.०								
२	ढगाल विश्वनाथपुर	कच्ची सड़क	५.०	५.०								
३	दुधारा बस्ती	कच्ची सड़क	४.०	४.०								
४	तालपुरवा बांसी	कच्ची सड़क	८.०	८.०								
५	बिसरवोर इटवा	कच्ची सड़क	९.०	९.०								
६	हुरैया सेमरा	कच्ची सड़क	६.०	६.०								
७	डेवालिया कैप्टेनगंज	कच्ची सड़क	८.०	८.०								
८	धनगट्टा सिरगी	ग्राम सड़क	६.०	६.०								
९	वासखेर कराही	ग्राम सड़क	७.०									
१०	रुदौली मानपुर	ग्राम सड़क	८.०	८.०								
११	उस्का सोहासं	ग्राम सड़क	६.०	६.०								
१२	विर्धीपुर सिघड़ा	ग्राम सभा	६.०	६.०								
१३	चांदापुर अहरौलिया	ग्राम सड़क	६.०									
१४	डुमरियागंज मल्हवार	ग्राम सड़क	७.०	७.०								
१५	नलिहापुर रजुवापुर	ग्राम सड़क	७.०									

९७ मील जिला बोर्ड को वापस कर दी गई

पी० एस० यू० पी ए० पी० ३३ एल० ए०—१९५४—८५० ।